रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—26 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—26

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275583
CG-DL-E-19082026-275583

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 1] नई दिल्ली, गुरूवार, 19 फरवरी, 2026/30 माघ, 1947 (शक) [खण्ड. LXII
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947 (SAKA) [Vol. LXII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026/30 माघ, 1947 (शक)

दि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्माश्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (2) दि माइन्स एंड मिनीरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2023; (3) दि रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ्स एंड डेर्थस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (4) दि कोस्टल एक्वाक्लचर अथारिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (5) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2025; (6) दि वक्फ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2025; (7) दि बिल्स आफ लेडिंग ऐक्ट, 2025; (8) दि टेक्सेशन लाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2025; (9) दि इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2025; और (10) दि प्रोमोशन एंड रेगुलेशन आफ ऑनलाइन गेमिंग ऐक्ट, 2025; के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगेः—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, Feburary 19, 2026/Magha 30, 1947 (Saka)

The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Act, 2021; (2) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023; (3) The Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023; (4) The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023; (5) The Finance Act, 2025; (6) The Waqf (Amendment) Act, 2025; (7) The Bills of Lading Act, 2025; (8) The Taxation Laws(Amendment) Act, 2025 (9) The Indian Institutes of Management(Amendment) Act, 2025 and (10) The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

पृष्ठ

1. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 43) 03
The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Act, 2021

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 16) 15
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023

3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 20) 25
The Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023

4. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 27) 35
The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023

5. वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 7) 51
The Finance Act, 2025

6. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 14) 159
The Waqf (Amendment) Act, 2025

7. वहन-पत्र अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 18) 179
The Bills of Lading Act, 2025

8. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 29) 183
The Taxation Laws (Amendment) Act, 2025

9. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 31) 187
The Indian Institutes of Management (Amendment) Act, 2025

10. ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 32) 189
The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 43)

[18 दिसम्बर, 2021]

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा नियत करे ।

वृहत् नाम का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, वृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित वृहत् नाम रखा जाएगा, अर्थात् :— 1998 का 13

"कतिपय राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम ।"।

धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में "संशोधन आवश्यक नहीं है" ।

धारा 2 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय संस्थाओं की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषणा ।

"2. (1) अनुसूची में उल्लिखित संस्थाओं के उद्देश्य वे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, यह घोषणा की जाती है कि ऐसे प्रत्येक संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

(2) यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात्, धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन स्थापित प्रत्येक संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था होगी ।"।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित किसी संस्थान के संबंध में "नियत दिन से" उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उसके सामने यथा उल्लिखित उसकी स्थापन की तारीख अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ख) और खंड (ग) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गक) "परिषद्" से धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (घ), खंड (ङ) "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे और खंड (च) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "कोई संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(छ) "संस्थान" से अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(छक) "सदस्य" से धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट

या निर्वाचित परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(छख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छग) "अनूसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;';

(vi) खंड (ज) और खंड (ञ) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष में, "संस्थान की स्थापना" शब्द के स्थान पर, "संस्थानों की स्थापना और निगमन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित प्रत्येक संस्थान एक निगमित निकाय होगा ।";

(iii) उपधारा (2) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखा जाएगा ;

(iv) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) किसी संस्थान का शासी बोर्ड, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो विख्यात शिक्षाविद् या वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या वृत्तिक होगा, जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(ख) संस्थान का निदेशक, पदेन ;

(ग) राष्ट्रीय औषध संस्थान और अनुसंधान से संबद्ध भारत सरकार के औषध विभाग का संयुक्त सचिव, पदेन ;

(घ) संबद्ध राज्य सरकार में चिकित्सा या तकनीकी शिक्षा से संबंधित सचिव, पदेन ;

(ङ) भारत के औषधि महानियंत्रक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि, पदेन ;

(च) तीन प्रख्यात औषध विशेषज्ञ, जिनमें से कम से कम एक विशेष ज्ञान या शिक्षा, अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक अनुभव रखने वाली महिला होगी जो परिषद् द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी ;

(छ) दो औषध उद्योगपति, जो परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(ज) संस्थान के दो आचार्य, जो सिनेट द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे :

परन्तु खंड (च) , खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा ;";

(v) उपधारा (4) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 4क का संशोधन । **7.** मूल अधिनियम की धारा 4क में, "अपनी अधिकारिता के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का लोप । **8.** मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन । **9.** मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) "नियत दिन से ही" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के संबंध में नियत दिन से ही" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) सोसाइटी की या उससे संबंधित सभी चल और अचल संपत्ति उस संस्थान में निहित होगी ।";

(iii) "संस्थान" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "उस संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन । **10.** मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "संस्थानों" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) औषध-शिक्षा में, स्नातक और स्नाक्तोत्तर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट उपाधि और अनुसंधान पाठ्यक्रम विकसित करना या उससे संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित करना ;

(iiक) कार्यपालक शिक्षा पाठ्यक्रम, अल्पकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और ऐसे अन्य अल्पकालिक कार्यपालक पाठ्यक्रम संचालित करना ;";

(ग) खंड (v) में, "संकाय के सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान करके" शब्दों के स्थान पर, "सहयोगकारी अनुसंधान की अभिवृद्धि करके, संकाय के सदस्यों, अनुसंधानकर्ता और विद्वानों का आदान-प्रदान करके" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xक) औषधि प्रकटीकरण और विकास तथा चिकित्सा डिवाइस के लिए उत्कर्ष केंद्र स्थापित करना ;"।

धारा 8 का संशोधन । **11.** मूल अधिनियम की धारा 8 में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "किसी संस्थान का बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन । **12.** मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "संस्थानों" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) में, संशोधन आवश्यक नहीं है ।

13. मूल अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "संस्थानों" शब्द को रखा जाएगा ;

(ii) "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

14. मूल अधिनियम की धारा 11 में,— धारा 11 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "संस्थानों" शब्द को रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

15. मूल अधिनियम की धारा 12 में,— धारा 12 का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "संस्थानों" शब्द को रखा जाएगा ;

(ii) प्रारंभिक भाग में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

16. मूल अधिनियम की धारा 13 में, प्रारंभिक भाग में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे । धारा 13 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 14 में, "संस्थान की सीनेट" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान की सीनेट" शब्द रखे जाएंगे । धारा 14 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, "संस्थान का निदेशक" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान का निदेशक" शब्द रखे जाएंगे । धारा 16 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 17 में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे । धारा 17 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 18 में, "संस्थान के कुलसचिव" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान के कुलसचिव" शब्द रखे जाएंगे । धारा 18 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 20 में "संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, संदाय करेगी" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का और ऐसी रीति से, जो वह धारा 20 का संशोधन ।

उचित समझे, संदाय करेगी" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "संस्थानों" शब्द को रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) में, "संस्थान एक निधि रखेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान एक निधि रखेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 22 में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(i) उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में, "संस्थान के लेखाओं" शब्दों के स्थान पर, "किसी संस्थान के लेखाओं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (4) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 24 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 25 में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 27 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 28 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 28 में, "संस्थान के अध्यादेशों" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान के अध्यादेशों" शब्द रखे जाएंगे ।

नए अध्याय 2क का अंत: स्थापन।

29. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 2क

परिषद्

परिषद् की स्थापना।

30क. (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सभी संस्थानों के लिए एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे परिषद् कहा जाएगा ।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के

मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, पदेन ;

(ग) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव, पदेन ;

(घ) प्रत्येक शासी बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन ;

(ङ) प्रत्येक संस्थान का निदेशक, पदेन ;

(च) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, पदेन ;

(छ) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, पदेन ;

(ज) जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य अनुसंधान, उच्चतर शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के चार सचिव, पदेन ;

(झ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन से अन्यून, किन्तु पांच से अनधिक व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो शिक्षा, औषधि उद्योग, चिकित्सा डिवाइस, उद्योग या औषधीय अनुसंधान में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों ;

(ञ) तीन संसद् सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे ;

(ट) अध्यक्ष, भारतीय ओषधि विनिर्माण संगम, पदेन ;

(ठ) अध्यक्ष, भारतीय औषधीय उत्पादक संगठन, पदेन ;

(ड) अध्यक्ष, भारतीय औषधि परिषद्, पदेन ;

(ढ) औषधियों से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का वित्तीय सलाहकार, पदेन ;

(ण) औषधियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारत सरकार का संयुक्त सचिव, पदेन ।

(3) यह घोषित किया जाता है कि परिषद् के सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने से निर्हरित नहीं होगा ।

परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उन्हें संदेय भत्ते ।

30ख. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि, यथास्थिति, उसके नामित या निर्वाचित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि, तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

(3) धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन निर्वाचित किसी सदस्य की पदावधि समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वह मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री,

अथवा लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अथवा राज्यसभा का उपसभापति बनता है या उस सदन का, जिसने उसे निर्वाचित किया है, सदस्य नहीं रहता है ।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए होगी, जिसके स्थान पर उसे नामित या निर्वाचित किया गया है ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई पद छोड़ने वाला सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश नहीं देती है, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर नामित या निर्वाचित नहीं हो जाता है ।

(6) परिषद् के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसा उस सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, किन्तु कोई भी सदस्य इस उपधारा के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

परिषद् के कार्य ।

30ग. (1) परिषद् का साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करे और ऐसे सभी कदम उठाए जिससे औषध-शिक्षा और अनुसंधान का नियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके और उनके मानक बनाए रखे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात् :—

(क) पाठ्यक्रमों की अवधि, संस्थानों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली डिग्रियों और विद्यासंबंधी विशेष उपाधियों, प्रवेश मानक तथा अन्य विद्या संबंधी विषयों से संबंधित मामलों पर सलाह देना ;

(ख) काडर, कर्मचारियों की भर्ती की पद्धिति और सेवा की शर्तों, छात्रवृत्ति और फीस माफी संस्थित करने, फीसों के उद्ग्रहण और सामान्य हित के अन्य विषयों के संबंध में नीति अधिकथित करना ;

(ग) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं की परीक्षा करना और उनमें से ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करना जो आवश्यक समझी जाएं तथा ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं को भी मोटे तौर पर इंगित करना ;

(घ) औषध-शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के संवर्धन, समन्वय के संवर्धन और विकासों की निगरानी करना तथा उनसे आनुषंगिक विषय हेतु नीति या मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना ;

(ङ) प्रत्येक संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना तथा केन्द्रीय सरकार को उस प्रयोजन के लिए निधियों के आबंटन की सिफारिश करना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में, यदि ऐसा अपेक्षित हो, उसे सलाह देना ; और

(छ) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन समनुदेशित किए जाए ।

(3) परिषद् की बैठक छह मास में कम से कम एक बार होगी तथा वह अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाएं ।

30घ. (1) परिषद् का अध्यक्ष, साधारणतया परिषद् की बैठकों में अध्यक्षता करेगा : परिषद् का अध्यक्ष ।

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, परिषद् की बैठकों में अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से स्वयं के द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(2) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाएं ।

(3) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित किए जाएं ।

30ङ. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी । इस अध्याय के विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) परिषद् के सदस्यों के बीच रिक्तियां भरने की रीति ;

(ख) परिषद् का सदस्य चुने जाने तथा सदस्य बने रहने के लिए निर्हताएं ;

(ग) वे परिस्थितियां जिसमें और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, सदस्यों को हटाया जा सकेगा ;

(घ) परिषद् की बैठकें और उनमें कारबार के संचालन की प्रक्रिया ;

(ङ) परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; और

(च) परिषद् के कार्य और वह रीति, जिसमें ऐसे कार्य किए जा सकेंगे ।

(3) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत

हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।"।

धारा 31 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 31 में, "संस्थान", शब्द के स्थान पर, "परिषद् या किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "संस्थान", शब्द के स्थान पर, "संस्थानों" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) "संस्थान", शब्द के स्थान पर, "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 33 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 33 में, "जब कभी संस्थान", शब्दों के स्थान पर, "जब कभी कोई संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 33क का अंत: स्थापन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

"33क. इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए संस्थान, ऐसे निदेशों का कार्यान्वयन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।"।

धारा 35 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 35 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) जब तक अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित संस्थानों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, तब तक यथाप्रवृत्त राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सेक्टर-67, एस. ए. एस. नगर (मोहाली), जिला रोपड़, पंजाब के परिनियम और अध्यादेश, आवश्यक उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ उन संस्थानों को लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।"।

अनुसूची

[धारा 2(1), धारा 3(क), (छ), (छग), धारा 4(1), धारा 30क(1) और धारा 35(ख) देखिए]

क्र० सं०	संस्थान का अवस्थान और राज्य	इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थाओं के नाम	संस्थान की स्थापना की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मोहाली, पंजाब	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सोसाइटी, मोहाली	8 जुलाई, 1998
2.	अहमदाबाद, गुजरात	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	6 सितंबर, 2007
3.	हाजीपुर, बिहार	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर	6 सितंबर, 2007
4.	हैदराबाद, तेलंगाना	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	6 सितंबर, 2007
5.	कोलकाता, पश्चिमी बंगाल	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	6 सितंबर, 2007
6.	गुवाहाटी, असम	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	5 अगस्त, 2008
7.	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली	26 सितंबर, 2008

———

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 16)

[9 अगस्त, 2023]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,— 1957 का 67

(i) खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ककक) "खोज अनुज्ञप्ति" से सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में भूमीक्षण संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं या दोनों को करने के लिए अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (कङ) में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात्, ", खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (जक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(जक) "भूमीक्षण संक्रियाएं" से ऐसी संक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो प्रादेशिक, आकाशी, भूभौतिकीय या भूरासायनिक सर्वेक्षणों और भू-वैज्ञानिक मानचित्र के माध्यम से किसी खनिज के प्रारंभिक पूर्वेक्षण के लिए की गई है और जिसके अंतर्गत गड्ढा बनाना, खाई खोदना, नरमाना और उपसतह उत्खनन भी सम्मिलित है;'।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 4क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4क में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों, खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों की समाप्ति ।";

(ii) उपधारा (1) में, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"खनिज रियायत प्रदान करने पर निर्बन्धन ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए खनिज रियायत अनुदत्त की जा सकेगी ।";

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कख) पांच हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक के कुल क्षेत्र में आने वाली एक या एक से अधिक खोज अनुज्ञप्तियां :

परन्तु एक खोज अनुज्ञप्ति के अधीन प्रदान किया गया क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं होगा ;";

(ii) खंड (ग) में, "भूमीक्षण अनुज्ञापत्र खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के स्थान पर "खनिज रियायत" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 3 के अध्याय शीर्ष का प्रतिस्थापन ।

7. मूल अधिनियम के अध्याय 3 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उस भूमि के बारे में, जिसके खनिज सरकार में निहित हैं, खनिज रियायत अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया"।

धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खनिज रियायत के लिए आवेदन ।";

(ii) उपधारा (4) के खंड (क) में "धारा 10ख, धारा 11 या धारा 11क या धारा 11ख के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 10ख, धारा 10खक, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख या धारा 11घ के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 10खक का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 10ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नीलामी के माध्यम से सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए खोज अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना ।

"10खक. (1) इस अधिनियम के उपबंध—

(क) धारा 17क के अधीन आने वाले क्षेत्रों ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट ऐसे खनिजों, जहां परमाणु खनिज की श्रेणी समान है या ऐसे सीमा मूल्य से अधिक है, जिसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(घ) ऐसी भूमि, जिससे संबंधित खनिज सरकार में निहित नहीं हैं,

पर लागू नहीं होंगे ।

(2) धारा 10ख और धारा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा खोज अनुज्ञप्ति, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में भूमीक्षण या पूर्वेक्षण या दोनों संक्रियाओं को करने के प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र में प्रदान की जा सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और कारणों को अभिलिखित करते हुए, सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों को ऐसी तारीख से संशोधित कर सकेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी, जिनके लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, खोज अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार के परामर्श से नियत की जाए, खोज अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए क्षेत्र को अधिसूचित करने की अपेक्षा राज्य सरकार से कर सकेगी और ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार, ऐसी अवधि के भीतर क्षेत्र अधिसूचित नहीं करती है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी नियत अवधि के अवसान के पश्चात्, खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी ।

(6) राज्य सरकार, प्रतिस्पर्धी बोली लगाने, जिनके अन्तर्गत ई-नीलामी भी सम्मिलित है, की पद्धति द्वारा नीलामी के माध्यम से खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे आवेदक का चयन करेगी जो इस अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट अर्हक शर्तों को पूरा करता हो और ऐसे आवेदक को खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी ।

(7) जहां—

(क) राज्य सरकार ने खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नीलामी सफलतापूर्वक पूरी नहीं की है ; या

(ख) नीलामी के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, खोज अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए खोज अनुज्ञप्ति या आशय पत्र किसी कारण से वह जो भी हो, समाप्त या व्यपगत कर दिया गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार के परामर्श से नियत की जाए यथास्थिति, नीलामी या पुन:नीलामी प्रक्रिया को संचालित करने या पूरा करने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे मामलों में, जहां ऐसी नीलामी या पुन:नीलामी प्रक्रिया, ऐसी अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी नियत अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसे क्षेत्र के लिए खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नीलामी कर सकेगी:

परन्तु नीलामी के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को नीलामी में अधिमानित बोली पर ब्यौरों की सूचना देगी और राज्य सरकार ऐसी अधिमानित बोलीदाता को, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी ।

(8) खोज अनुज्ञप्ति धारक, ऐसी खोज अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा किए गए पूर्वेक्षण संक्रियाओं के अनुसरण में खान पट्टे में प्रदान किए गए क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार को पट्टे धारक द्वारा संदेय खान पट्टों की नीलामी में कोट की गई लागू रकम की हिस्सेदारी का हकदार होगा :

परन्तु ऐसे क्षेत्र के पट्टेदार द्वारा खोज अनुज्ञप्ति के धारक को संदेय लागू रकम में हिस्सेदारी केवल सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई खानों के संबंध में अनुज्ञेय होगी ।

(9) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, खान अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नीलामी संचालित करने की रीति का उपबंध करेगी, जिसके अन्तर्गत इसके निबंधन और शर्तें भी सम्मिलित है, चयन के लिए बोली लगाने के मापदंड, ऐसे क्षेत्र के पट्टेदार द्वारा संदेय खान पट्टों की नीलामी में लागू रकम में से खोज अनुज्ञप्ति

के धारक को संदेय हिस्सेदारी, ऐसे संदाय के लिए अवधि और ऐसी अन्य शर्तें जो आवश्यक हों, सम्मिलित होंगी ।

(10) धारा 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) खोज अनुज्ञप्ति, खोज अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी ;

(ख) यदि खोज अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात्, किन्तु इसके अवसान की तारीख से पूर्व खोज अनुज्ञप्ति का धारक उस अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार करने के लिए आवेदन करता है तो राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि पांच वर्ष की अवधि के भीतर उसके नियंत्रण से परे के कारणों से अवीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करना ऐसे अनुज्ञप्ति धारक के लिए संभव नहीं होगा, ऐसी उक्त अवधि का विस्तार अतिरिक्त अवधि के लिए कर सकेगी जो दो वर्ष से अधिक न हो ।

(11) खोज अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात्, ऐसी अनुज्ञप्ति का धारक, ऐसे क्षेत्र को, जो अवीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं को जारी रखने के प्रयोजन के लिए उस अनुज्ञप्ति के लिए आने वाले कुल क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, प्रतिधारित कर सकेगा और शेष क्षेत्र को, उसके द्वारा प्रतिधारित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को प्रतिधारित करने के कारणों और उस क्षेत्र की सीमाओं को बताते हुए, एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के पश्चात्, अभ्यर्पित कर सकेगा ।

(12) खोज अनुज्ञप्ति धारक, उन संक्रियाओं को जिनके के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, पूरा करने या खोज अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख के तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, अवीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाएं के परिणामों को स्पष्ट करते हुए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को एक भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(13) यदि खोज अनुज्ञप्ति धारक, खोज अनुज्ञप्ति के अवसान के पूर्व, भूमीक्षण और पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करने में असफल होता है या उपधारा (12) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होता है तो राज्य सरकार, ऐसी कार्रवाही कर सकेगी, जो ठीक समझे, जिसमें शास्ति अधिरोपित करना भी सम्मिलित है ।

(14) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, खोज अनुज्ञप्ति धारक से भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से छह मास के भीतर, ऐसे क्षेत्र के संबंध में जहां खान अंश का अस्तित्व स्थापित है, यथास्थिति, धारा 10ख या धारा 11 या धारा 11घ के अधीन एक या अधिक पृथक् खान पट्टों को प्रदान करने के लिए नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, और भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे खान पट्टों के अनुदान के लिए अधिमानी बोलीदाता का चयन करेगी :

परन्तु जहां अधिमानी बोलीदाता को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर चयनित नहीं किया जाता है, वहां राज्य सरकार उस व्यक्ति को, जो खोज

अनुज्ञप्ति धारक था ऐसी रकम और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, भुगतान करेगी ।"।

नई धारा 11घ का अतःस्थापन।

10. धारा 11ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् ;—

केन्द्रीय सरकार पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए नीलामी आयोजित करेगी ।

"11घ. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में किसी क्षेत्र में खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति देने के प्रयोजन के लिए ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्धा बोली की रीति द्वारा नीलामी के माध्यम से, ऐसे अधिमानी बोलीदाता का, जो धारा 5 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता शर्तों को पूरा करता है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाए चयन करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, नीलामी के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, राज्य सरकार को नीलामी में अधिमानी बोलीदाता के ब्यौरे को सूचित करेगी और राज्य सरकार, ऐसे अधिमानी बोलीदाता को, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा नीलाम किए गए खान पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में रायल्टी, अनिवार्य भाटक, नीलामी में उद्धृत लागू रकम और कोई अन्य कानूनी संदाय, यथास्थिति, राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारियों को प्रोद्भूत होगा, मानो नीलामी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई हो ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 में, —

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खनिज रियायत का रजिस्टर ।";

(ख) उपधारा (I) में,—

(i) खंड (ङ) में, "और" शब्द को लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) खोज अनुज्ञप्ति के लिए आवेदनों का रजिस्ट्रीकरण ; और

(ज) खोज अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर ।"।

धारा 12क का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 12क में,—

(i) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" के पश्चात्, जहा कहीं भी ये आता है "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के परन्तुक में हिन्दी पाठ में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्याय 4 के अध्याय शीर्षक का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम के अध्याय 4 में अध्याय शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खनिज रियायतों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम"।

14. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में,— धारा 13 का संशोधन ।

(i) खंड (कग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (थथछ) में, "धारा 10ख, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख के अधीन खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 10ख, धारा 10खक, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख, धारा 11घ के अधीन खनिज रियायत" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(फक) धारा 10खक की उपधारा (4) के अधीन खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए क्षेत्रों को अधिसूचित करने की रीति;

(फख) धारा 10खक की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन अधिमानी बोलीदाता को खोज अनुज्ञप्ति अनुद्त्त करने की रीति;

(फग) धारा 10खक की उपधारा (9) के अधीन खोज अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी संचालन की रीति, उसके निबंधन और शर्त, चयन के लिए बोली मानदंड, धारक को देय अंश, संदाय के लिए अवधि और अन्य शर्तें ;

(फघ) धारा 10खक की उपधारा (12) के अधीन भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति;

(फङ) धारा 10खक की उपधारा (14) के परन्तुक के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम और संदाय की रीति;" ;

(iv) खंड (भ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(भक) धारा 11घ की उपधारा (1) के अधीन अधिमानी बोलीदाता के चयन की रीति और निबंधन और शर्तें ;

(भख) धारा 11घ की उपधारा (2) के अधीन अधिमानी बोलीदाता के खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की रीति ;"।

15. मूल अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 17क का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "या खोज अनुज्ञप्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 18क का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 में, पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 19 का संशोधन ।

"खनिज रियायत शून्य होगी यदि यह अधिनियम के उल्लंघन में की जाती है ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्पष्टीकरण में, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्दों के पश्चात् "खोज अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 24क का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 24क में, पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खनिज रियायत धारक का अधिकार और दायित्व ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की पहली सूची में,—

(i) "11ग" अंक और अक्षर के पश्चात् "11घ" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग ख

परमाणु खनिज

1. यूरेनियम और थोरियम वाले "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज ।

2. यूरेनियम वाले फास्फोराइट्स और अन्य फास्फेटिक अयस्क ।

3. पिचब्लेन्ड और अन्य यूरेनियम अयस्क ।

4. यूरेनीफेरस एलेनाइट, मोनाजाइट और थोरियम खनिज ।

5. तांबे और सोने, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्कों के निष्कर्षण के पश्चात् अयस्कों से बचे हुए यूरेनियम युक्त अवशेष ।

6. समुद्र तट रेत खनिज अर्थात् टेरी या समुद्र तट रेत में पाए जाने वाले आर्थिक भारी खनिज, जिसमें इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन, गार्नेट, मोनाजाइट, जिरकोन और सिलिमेनाइट भी सम्मिलित है ।" ;

(iii) भाग ग के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग घ

महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के खनिज

1. बेरिल और अन्य बेरेलियम खनिज।
2. कैडमियम खनिज।
3. कोबाल्ट खनिज ।
4. गैलियम खनिज ।
5. ग्लाउकोनाइट
6. ग्रेफाइट।
7. इंडियम खनिज ।
8. लीथियम खनिज।
9. मोलीवेडनम खनिज ।
10. निकेल खनिज ।

11. निओबियम खनिज ।

12. फास्फेट (यूरेनियम युक्त) ।

13. प्लेटिनम समूह के तत्व वाले खनिज ।

14. पोटाश ।

15. "दुर्लभ मृदा" के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम समूह अन्तर्विष्ट न हो ।

16. रेनियम खनिज ।

17. सेलेनियम खनिज ।

18. टैंटलम युक्त खनिज ।

19. टेल्यूरियम खनिज ।

20. टिन खनिज ।

21. टाइटेनियम खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट रुटाइल और ल्यूकोक्सिन) ।

22. टंगस्टन खनिज ।

23. वैनेडियम खनिज ।

24. जर्कोनियम खनिज और जिर्कोन युक्त खनिज ।"।

21. मूल अधिनियम में, षष्ठम अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नई सप्तम अनुसूची का अंतःस्थापन ।

"सप्तम अनुसूची

[धारा 3(ककक), धारा 10खक(2) और धारा 10खक(3) देखिए]

खनिज

1. एपेटाइट ।
2. बेरिल और अन्य बेरेलियम खनिज ।
3. कैडमियम खनिज ।
4. कोबाल्ट खनिज ।
5. तांबा खनिज ।
6. डायमंड ।
7. सोना ।
8. ग्रेफाइट ।
9. इंडियम खनिज ।
10. सीसा खनिज ।
11. लीथियम खनिज ।
12. मोलिब्डेनम खनिज ।
13. निओबियम खनिज ।
14. निकिल खनिज ।

15. पोटाश ।

16. प्लेटिनम समूह के तत्व का खनिज ।

17. "दुर्लभ मृदा" समूह का तत्व ।

18. रेनियम खनिज ।

19. राक पोटाश।

20. सेलेनियम ।

21. चांदी ।

22. टैंटलम खनिज ।

23. टेल्यूरियम खनिज ।

24. टिन युक्त खनिज ।

25. टाइटेनियम खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रुटाइल और ल्यूकोक्सिन)।

26. टंगस्टन खनिज ।

27. वैनेडियम खनिज ।

28. जस्ता खनिज ।

29. जर्कोनियम खनिज और जर्कोनिमय युक्त खनिज ।"।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 20)

[11 अगस्त, 2023]

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा कतिपय अभिव्यक्तियों के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन ।

2. संपूर्ण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "महारजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, "भारत का महारजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे । 1969 का 18

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (कख) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "आधार संख्या" का वही अर्थ होगा जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है ; 2016 का 18

(कक) "दत्तक ग्रहण" का वही अर्थ होगा जो उसका किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (2) में है ;'; 2016 का 2

(ii) खंड (ख) को उसके खंड (खक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (खक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "डेटाबेस" से आंकड़े का संगठित संग्रहण अभिप्रेत है जिसे सामान्यतः किसी कंप्यूटर नेटवर्क से इलैक्ट्रानिक रूप में संगृहीत और अभिगमित किया जाता है ;'।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "संशोधन आवश्यक नहीं है" ;

(ii) उपधारा (1) में "संशोधन आवश्यक नहीं है" ;

(iii) उपधारा (3) में "साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात् "तथा रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) भारत का महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस बनाए रखेगा तथा मुख्य रजिस्ट्रारों और रजिस्ट्रारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के आंकड़े को ऐसे डेटाबेस के साथ साझा करे ।

(5) धारा 17 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उपधारा (4) के अधीन अनुरक्षित रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को, अनुरोध किए जाने पर, निम्नलिखित से संबंधित डेटाबेस तैयार करने या अनुरक्षण करने से संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकेगा—

(क) जनसंख्या रजिस्टर;

(ख) निर्वाचक नामावलियां;

(ग) आधार संख्या;

(घ) राशन कार्ड ;

(ङ) पासपोर्ट ;

(च) चालन अनुज्ञप्ति;

(छ) संपत्ति रजिस्ट्रीकरण;और

(ज) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अन्य डेटाबेस, जो अधिसूचित किए जाएं,

और प्राधिकारी, ऐसे अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, की गई कार्रवाई की सूचना केंद्रीय सरकार को, प्रदान करेगा:

परंतु खंड (ख) में निर्वाचक नामावलियों से संबंधित डेटाबेस को तैयार करना या उसका रखरखाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।"। 1950 का 43

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म या मत्यु को रजिस्टर करने के लिए कदम उठाएगा और भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा यथा अनुमोदित पोर्टल का उपयोग करके राज्य स्तर पर रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के एकीकृत डेटाबेस का अनुरक्षण करेगा और रजिस्ट्रारों के लिए आवश्यक होगा कि वे रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के आंकड़े को ऐसे डेटाबेस के लिए साझा करें ।

(6) धारा 17 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य स्तर पर उपधारा (5) के अधीन अनुरक्षित रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को, अनुरोध किए जाने पर, राज्य स्तर पर अन्य डेटाबेस से संबंधित प्राधिकारी को उपलब्ध करा सकेगा और प्राधिकारी, ऐसे अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, राज्य सरकार को, की गई कार्रवाई की सूचना देगा :

परंतु निर्वाचक नामावलियों से संबंधित डेटाबेस को तैयार करना या उसका रखरखाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।"। 1950 का 43

धारा 7 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "इस प्रयोजन के लिए" शब्दों के पश्चात् ",इलैक्ट्रानिकी रूप से या अन्यथा," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 9 के अधीन" शब्दों और अंक के पश्चात् "उसकी अधिकारिता में हुए जन्म और मृत्यु के संबंध में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (5) में,—

(क) "उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और" शब्दों के स्थान पर "उप-रजिस्ट्रार और किसी आपदा या महामारी की दशा में विशेष उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "आपदा" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में है ; 2005 का 53

(ii) "महामारी" पद से महामारी अधिनियम, 1897 में निर्दिष्ट महामारी अभिप्रेत है ।'। 1897 का 3

धारा 8 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में,—

(क) "मौखिक या लिखित रूप में" शब्दों के स्थान पर "मौखिक या अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "विभिन्न विशिष्टियों" शब्दों के पश्चात्, "जिसके अंतर्गत जन्म की दशा में माता-पिता और सूचनादाता की आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "वयस्थ पुरुष" शब्दों के स्थान पर, "वयस्क" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) गैर-संस्थानिक दत्तक ग्रहण की बाबत, दत्तक माता-पिता ;

(कख) एकल माता-पिता या अविवाहित माता के गर्भ से जन्में किसी शिशु की बाबत, माता-पिता ;

(कग) सरोगेसी के माध्यम से किसी शिशु के जन्म की बाबत, जैविक माता-पिता ;";

(iv) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(घक) किसी ऐसे शिशु की बाबत, जिसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से दत्तक लिया गया है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का भारसाधक व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (57) में है ; 2016 का 2

(घख) किसी बालक देखरेख संस्था में किसी अनाथ या परित्यक्त बालक या अभ्यर्पित बालक के संबंध में बालक देखरेख संस्था का भारसाधक व्यक्ति या अभिरक्षक ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "परित्यक्त बालक" या "बालक देखरेख संस्था" या "अनाथ" या "अभ्यर्पित बालक" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमश: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (1), खंड (21), खंड (42) और खंड (60) में है ; 2016 का 2

(घग) किसी सरोगेसी चिकित्सालय में, सरोगेसी के माध्यम से किसी

शिशु के जन्म की बाबत, सरोगेसी चिकित्सालय का भारसाधक व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सरोगेसी" और "सरोगेसी चिकित्सालय" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यघ) और खंड (यङ) में है ;'। 2021 का 47

8. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 10 का संशोधन ।

"(2) जहां मृत्यु, किसी विशिष्ट उपचार या साधारण उपचार उपलब्ध कराने वाली किसी चिकित्सा संस्था में होती है, वहां प्रत्येक ऐसी संस्था स्वामित्व पर विचार किए बिना, ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित, जिसने हाल ही की बीमारी के दौरान उस व्यक्ति की परिचर्या की थी, मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, जिसके अन्तर्गत बीमारी का वृतांत, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, निःशुल्क उपलब्ध कराएगी और ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति निकटतम नातेदार को उपलब्ध कराएगी ।

(3) चिकित्सा संस्था से भिन्न किसी स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, और ऐसे व्यक्ति की, उसकी हाल ही में किसी बीमारी के दौरान, किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परिचर्या की गई थी, तो ऐसा चिकित्सा व्यवसायी उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, तुरन्त मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, जिसके अन्तर्गत बीमारी का वृतांत, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क जारी करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध सूचना देने के लिए अपेक्षा की गई है और ऐसा व्यक्ति, प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु की सूचना देने के समय उसे रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा ।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 11 में, "इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है" शब्दों के स्थान पर "इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और यदि वह लिख नहीं सकता है" शब्द रखे जाएंगे । धारा 11 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"12. रजिस्ट्रार, जैसे ही जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूरा होता है, किंतु सात दिन के बाद नहीं, धारा 8 या धारा 9 के अधीन सूचना देने वाले व्यक्ति को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अपने हस्ताक्षर से, ऐसे जन्म या मृत्यु से संबंधित अपने रजिस्टर से उद्धृत प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में निःशुल्क देगा, जो विहित की जाए ।"। जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 13 का संशोधन ।

'(2) कोई जन्म या मृत्यु, जिसकी विलंबित सूचना उसके होने के तीस दिन के पश्चात्, किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाती है वह जिला रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ही, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए, स्व-अनुप्रमाणित

दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

(3) कोई जन्म या मृत्यु, जिसकी विलंबित सूचना उसके होने के एक वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात्, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर, और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,"कार्यपालक मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त 1974 का 2 कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ।'।

धारा 16 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में "जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा" शब्दों के स्थान पर "जन्म और मृत्यु का इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, रजिस्टर रखेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसे रजिस्टर में से, जन्म या मृत्यु का कोई प्रमाणपत्र इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे ऐसे प्ररूप और रीति में जारी किया जा सकेगा जो विहित की जाए :

परन्तु किसी व्यक्ति को जारी किया गया किसी मृत्यु से संबंधित कोई प्रमाणपत्र**,** रजिस्टर में यथाप्रविष्ट मृत्यु के कारण के संबंध में विशिष्टियां प्रकट नहीं करेगा ।";

(ii) उपधारा (2) में "उद्धरण" शब्द दोनों स्थानों पर जहां आता है, के स्थान पर "प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) या धारा 12 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र का प्रयोग, किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् जन्म लिया है, जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने हेतु निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा,—

(क) शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश;

(ख) चालन अनुज्ञप्ति जारी करना;

(ग) मतदाता सूची तैयार करना;

(घ) विवाह का रजिस्ट्रीकरण;

(ङ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी कानूनी निकाय या स्वायत निकाय में किसी पद पर नियुक्ति;

(च) पासपोर्ट जारी करना;

(छ) आधार संख्या जारी करना; और

(ज) कोई अन्य प्रयोजन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।"।

धारा 18 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 18 में, "जिला रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश में" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "कोई व्यक्ति जो" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, कोई व्यक्ति जो," शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने" शब्दों के स्थान पर,"यथास्थिति, अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने या हस्ताक्षर करने" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) दीर्घ पंक्ति में,"पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जो कोई धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (घक), खंड (घख), खंड (घग) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो,—

(क) ऐसी कोई सूचना, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; या

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में अन्तर्लिखित किए जाने के प्रयोजन से, कोई ऐसी सूचना देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों के संबंध में से किसी के बारे में जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, मिथ्या है; या

(ग) धारा 11 के अधीन अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने या हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा,

प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) "अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में" शब्दों के पश्चात् "या धारा 12 के अधीन सूचनादाता को कोई प्रमाणपत्र देने में" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 10 की उपधारा (2) या उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कोई प्रमाणपत्र प्रदान करने या जारी करने में उपेक्षा करता है या उससे इनकार करता है या कोई व्यक्ति जो ऐसे प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार को परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इनकार करता है वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

(ङ) उपधारा (4) में,—

(i) "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, कोई व्यक्ति जो," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) "दस रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करता है, ऐसे उल्लंघन के लिए जिसके लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

(छ) उपधारा (5) में "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898" शब्दों और अंकों के स्थान 1898 का 5
पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1974 का 2

धारा 24 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) में "इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्" शब्दों से प्रारंभ होने वाले भाग और "पचास रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिनियम के अधीन,—

(क) किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, धारा 23 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, जिसने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर दो सौ पचास रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे अपराध के प्रशमन के रूप में प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में एक हजार रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा ।"।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अपील ।

"25क. (1) कोई व्यक्ति जो,—

(i) रजिस्ट्रार के किसी कार्रवाई या आदेश से व्यथित है, वह जिला

रजिस्ट्रार को; या

(ii) जिला रजिस्ट्रार के किसी कार्रवाई या आदेश से व्यथित है, वह मुख्य रजिस्ट्रार को,

यथास्थिति ऐसे आदेश की प्राप्ति या ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए अपील कर सकेगा ;

(2) ऐसी अपील प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति, जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील का विनिश्चय करेगा ।"।

धारा 30 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में,—

(i) खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(ङ) वह प्ररूप और रीति जिनमें धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र दिया जाएगा;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा और स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;";

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जा सकेगा;

(छख) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;";

(iii) खंड (i) में, "उद्धरण" शब्द के स्थान पर, "प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा ।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 27)

[12 अगस्त, 2023]

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005
का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,— 2005 का 24

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "जलकृषि निवेश" से जल और मृदा की गुणवत्ता के अनुरक्षण और उसमें पलने वाले जीवों के विकास और बेहतर स्वास्थ्य या उसमें उपलब्ध अन्य जलीय जीवन के लिए तटीय जलकृषि में निवेश के रूप में उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री अभिप्रेत हैं, और इसमें बीज, उर्वरक, चारा, विकास पूरक, प्रोबायोटिक, पर्यावरण उपचारक और कीटाणुनाशक सम्मिलित हैं ;

(कक) "जलीय प्रतिचित्रण" से भू-स्थानिक तटीय क्षेत्र वितरण मानचित्र अभिप्रेत है जो तटीय जलकृषि के लिए संभावित और उपयुक्त क्षेत्रों को दर्शाता है;

(कख) "जलीय अंचलीकरण" से राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा धारणीय तटीय जलकृषि के लिए अधिसूचित विभिन्न प्रजातियों या तटीय जलकृषि की रीतियों के लिए स्थानिक योजना के अंचल अभिप्रेत हैं;

(कग) "प्राधिकरण" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(कघ) "जैव सुरक्षित सुविधा" से रोग कारित करने वाले रोगाणुओं से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जैव सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए जो ऐसे क्रियाकलाप के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट तटीय जलकृषि क्रियाकलाप करने वाला एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है;

(कङ) "जैव सुरक्षा" से तटीय जलकृषि यूनिट के भीतर हानिकारक जीवों जिसके अंतर्गत वायरस और बैक्टीरिया भी है, के प्रारंभ या प्रसार के जोखिम के विश्लेषण, प्रबंध और रोकथाम और संक्रामक बीमारी के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए अपनाया गया कोई उपाय या रणनीति या एकीकृत दृष्टिकोण अभिप्रेत है;

(कच) "ब्रूड स्टॉक बहुगुणन केंद्र" से ऐसा तटीय जलकृषि क्रियाकलाप करने वाली एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है जो केंद्रक प्रजनन केंद्र से ऐसे पश्च या किशोर लार्वा प्राप्त करती है, जो विनिर्दिष्ट रोगाणु मुक्त या विनिर्दिष्ट रोगाणु सहिष्णु या विनिर्दिष्ट रोगाणु प्रतिरोधी है या ऐसे अन्य पश्च या किशोर लार्वा प्राप्त करती है और रोग से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर जैव सुरक्षा और निकट रोग निगरानी के अधीन इसका पालन-पोषण करती है;';

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ग) "तटीय जलकृषि" या "तटीय जलकृषि क्रियाकलाप" से सीमेंट के कुंडों, तालों, बाडों, कठघरों, बेडों, अहातों में या अन्यथा तटीय क्षेत्रों के लवणीय या खारे जल में, नियंत्रित परिस्थितियों के अधीन यातों अंतरङ्ग या बहि:रंग, वल्कमय जलचर, कोमल देहधारी प्राणी, फिनफिश, समुद्री शैवाल या किसी अन्य जलीय जीवन सहित मत्स्य जीवन के किसी भी चरण का पालन और संवर्धन करना

अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत क्रियाकलाप जैसे ब्रूड स्टॉक, बीज, ग्रो आउट का उत्पादन सम्मिलित है, परंतु इसमें ताजा जल की जलकृषि सम्मिलित नहीं है;

(गक) "तटीय जलकृषि यूनिट" से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है जो तटीय जलकृषि या उससे जुड़े किसी संबद्ध क्रियाकलाप में लगी हुई है और इसमें केंद्रक जनन केंद्र, ब्रूड स्टॉक बहुगुणन केंद्र, अंडज उत्पत्तिशाला और फार्म सम्मिलित हैं;';

(iii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

1986 का 29 '(घ) "तटीय क्षेत्र" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(घक) "तटीय पर्यावरण" से तटीय क्षेत्र में भूमि और जल का क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत जीवित जीवों की पूरी प्रणाली और उसका भौतिक परिवेश सम्मिलित है;

(घख) "फार्म" से एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है, जहां तालों, बाडों, कठघरों, बेडों, अहातों या अन्यथा में, तटीय क्षेत्रों के लवणीय या खारे जल में, नियंत्रित परिस्थितियों के अधीन वल्कमय जलचर, कोमल देहधारी प्राणी, फिनफिश, समुद्री शैवाल या किसी अन्य जलीय जीवन सहित मत्स्य का पालन किया जाना है और इसमें नर्सरी पालन सम्मिलित है, परंतु इसमें ताजा जल की जलकृषि सम्मिलित नहीं है;

(घग) "अंडज उत्पत्तिशाला" से एक तटीय जलकृषि यूनिट अभिप्रेत है जो लवणीय या खारे जल में वल्कमय जलचर, कोमल देहधारी प्राणी, फिनफिश, समुद्री शैवाल या किसी भी अन्य जलीय जीवन सहित मत्स्य के प्रजनन और बीज उत्पादन के तटीय जलकृषि क्रियाकलाप करता है और इसमें नुप्ली और जीवित भोजन का पालन भी सम्मिलित है, परंतु इसमें ताजा जल की जलकृषि सम्मिलित नहीं है ;';

(iv) खंड (ङ) में, "और सदस्य सचिव" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ङक) "केंद्रक जनन केंद्र" से जैव सुरक्षित तटीय जलकृषि क्रियाकलाप पर चलाई जा रही तटीय जलकृषि युनिट अभिप्रेत है, जिसके पास घरेलू विनिर्दिष्ट रोगाणुमुक्त, विनिर्दिष्ट रोगाणु सहिष्णु और विनिर्दिष्ट रोगाणु प्रतिरोधी स्टॉक का उत्पादन करने के प्रयोजन के लिए, रोग कारित करने वाले रोगाणु से मुक्त स्थापन है;

(ङख) "प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है, जो तटीय जलकृषि के क्रियाकलाप के प्रचालन में लगा हुआ है;

(ङग) "स्वामी", किसी तटीय जलकृषि यूनिट के संबंध में निम्नलिखित

सम्मिलित है—

(i) उसके विधिक उत्तराधिकारी या अभिकर्ता; और

(ii) प्रचालक, बंधकदार, अनुज्ञप्तिधारी जिसके अंतर्गत उप अनुज्ञप्तिधारी भी है या ऐसे तटीय जलकृषि यूनिट के वास्तविक कब्जे में कोई अन्य व्यक्ति;

(ङघ) "भेषजीय रूप में सक्रिय पदार्थ या रोगाणुरोधी अभिक्रमक" से प्राकृतिक रूप से होने वाले अर्द्ध सिंथेटिक या सिंथेटिक पदार्थ अभिप्रेत है जो वीबो सांद्रता में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को समाप्त करने या रोकने के रोगाणुरोधी क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है;';

(vi) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

'(ज) "विनिर्दिष्ट रोगाणुमुक्त" या "विनिर्दिष्ट रोगाणु प्रतिरोधी" अथवा "विनिर्दिष्ट रोगाणु सहिष्णु" से ऐसे रोगाणुओं से मुक्त, प्रतिरोधी या सहिष्णु अभिप्रेत है जो पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन द्वारा सूचीबद्ध किया जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य रोगाणु है, जो तटीय जलकृषि में प्रयुक्त अभ्यर्थी प्रजातियों के लिए विनिर्दिष्ट हैं;

(झ) "राज्य" में संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ।'।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(अ) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) में "समुद्र विकास विभाग" शब्दों के स्थान पर "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगें ;

(ii) खंड (घ) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शब्द रखें जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) में, "कृषि मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (च) में, "वाणिज्य मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चक) केन्द्रीय सरकार के मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ;";

(vi) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) प्रत्येक तटीय राज्य और संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;";

(vii) खंड (ज) का लोप किया जाएगा ।

(आ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तो केंद्रीय सरकार उक्त पद पर नए पदधारी की नियुक्ति करने तक, प्राधिकरण के किसी सदस्य को अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्य करने के लिए, जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।"।

धारा 7 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) यदि अध्यक्ष, प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण का कोई अन्य सदस्य तथा अध्यक्ष और नामनिर्दिष्ट सदस्य दोनों की अनुपस्थिति में, उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।"।

नई धारा 7क का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्राधिकरण की समितियां

"7क. (1) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकरण समय-समय पर कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए यथावश्यक समितियों का गठन कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक समिति ऐसे व्यक्तियों की संख्या से मिलकर बनेगी तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्य करेगी, जैसा विहित किया जाए ।"।

नई धारा 9क का अंतस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण का सचिव ।

"9क. (1) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण का सचिव होने के लिए ऐसे रैंक के किसी अधिकारी को, जो वह उपयुक्त समझे, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, नियुक्त कर सकेगी ।

(2) सचिव, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन ;

(ख) प्राधिकरण के परामर्श से प्राधिकरण की कार्य योजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगना ;

(ग) प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य योजनाओं और विनिश्चयों का क्रियान्वयन ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण के कार्य उपयोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार विशिष्टतया उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की पर्याप्तता और लिए गए समय के संबंध में किए जाते हैं ;

(ङ) प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करना तथा बजट का निष्पादन ;

(च) केन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण की समितियों के साथ समन्वय ;

(छ) सभी मामलों में प्राधिकरण का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व ।

(3) सचिव, प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को

प्रस्तुत करेगा,—

(क) पूर्व वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को समाविष्ट करने वाली साधारण रिपोर्ट ;

(ख) कार्य के कार्यक्रम ;

(ग) पूर्व वर्ष के लिए वार्षिक लेखे ; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट ।

(4) सचिव, प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को साधारण रिपोर्ट और कार्यक्रम अग्रेषित करेगा और साधारण रिपोर्ट को प्रकाशित कराएगा ।

(5) सचिव, प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

(6) सचिव, प्राधिकरण के सभी वित्तीय व्ययों का अनुमोदन करेगा और केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण के क्रियाकलापों की रिपोर्ट भेजेगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में, "जलकृषि फार्मों" शब्दों के स्थान पर "तटीय जलकृषि यूनिटों" शब्द रखें जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "फार्मों" शब्द के स्थान पर "यूनिटों" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) किसी तटीय जलकृषि यूनिट को, जो प्रदूषण कारित कर रही है, ऐसी यूनिट के अधिभोगी की सुनवाई के पश्चात् हटाने या ढहाने का आदेश देना ;";

(iv) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घक) जल अंचलीकरण और जल प्रतिचित्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से धारणीय तटीय जलकृषि सहित, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसे कार्यक्रमों की योजना और निष्पादन के माध्यम से ऐसे क्षेत्र में, जो विहित किया जाए किसी तटीय जलकृषि की संख्या, प्रजातियों और पद्धति को विनियमित या प्रतिबद्ध करना ;

(घख) तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण के नुकसान की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए तटीय जलकृषि में प्रयुक्त प्रोबायोटिक्स, चिकित्सा और ऐसे अन्य निवेश सहित तटीय जलकृषि निविशों, जो विहित की जाए, के मानकों को नियत या अंगीकृत करना, सत्यापित, मानीटर, विनियमित या प्रतिषिद्ध करना ;

(घग) बीमारी से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए जैव सुरक्षा और निकट रोग निगरानी के साथ ऐसी यूनिटों में कार्यान्वित किए जाने वाले तटीय जलकृषि क्रियाकलापों सहित तटीय जलकृषि निवेशों के मानकों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नियत या अंगीकृत करना, सत्यापित,

मानीटर, नियमित या प्रतिषिद्ध करना;

(घघ) तटीय जलकृषि यूनिट के बहिःस्राव के उत्सर्जन या निस्सारण के लिए मानक नियत या अंगीकृत करना :

परंतु ऐसे स्रोतों के बहिःस्राव के उत्सर्जन या निस्सारण की क्वालिटी या संरचना को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न तटीय जलकृषि यूनिट के लिए भिन्न-भिन्न उत्सर्जन या निस्सारण मानक नियत किए जा सकेंगे;

(घङ) तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों की बाबत सूचना एकत्रित करना और उसका प्रसार करना ;";

(आ) उपधारा (2) में, "फार्म" शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "यूनिट" शब्द रखा जाएगा;

8. मूल अधिनियम धारा 12 में,— धारा 12 का संशोधन ।

(क) "भूमि, ताल, बाड़े या अहाते" शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "यूनिट" शब्द रखा जाएगा;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सूचना की अपेक्षा का प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं अधित्याग किया जा सकेगा, जैसा वह उचित समझे :

परंतु यह और भी कि स्वामी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए निर्धारित किए गए, ढहाने के व्यय और पर्यावरण को नुकसान की लागत, यदि कोई हो का संदाय करने के लिए दायी होगा ।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 12क का अंतःस्थापन ।

"12क. प्राधिकरण किसी तटीय जलकृषि क्रियाकलाप में निम्नलिखित के उपयोग को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगा,— कतिपय सामग्रियों का प्रतिषेध ।

(क) ऐसे भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ, रोगानुरोधी अभिकर्मक और अन्य सामग्री जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान कारित करे, जैसा कि विहित किया जाए; या

(ख) ऐसे पदार्थ, अभिकर्मक या सामग्री, जो खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं, को अंतर्विष्ट करने वाले जलकृषि निवेश।"।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में,— धारा 13 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में "फार्म" शब्द के स्थान पर "यूनिट" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु प्राधिकरण सरकार द्वारा आबंटित या सौंपी गई भूमि पर तटीय जलकृषि यूनिट चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसी प्रक्रिया के अधीन और ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, किंतु यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से अनधिक के लिए जारी कर सकेगा ।";

(iii) उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में "फार्म" शब्द, जहां-कहीं वह आता है, के स्थान पर "तटीय जलकृषि यूनिट" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) ऐसे फार्म की दशा में, जिसमें दो हेक्टेयर से अधिक जलमग्न क्षेत्र और कोई अन्य तटीय जलकृषि यूनिट समाविष्ट है, तटीय जलकृषि से संबंधित कोई क्रियाकलाप आरंभ करने हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा (5) के अधीन किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक प्राधिकरण का ऐसी जांच करने, जो वह ठीक समझे, के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी तटीय जलकृषि यूनिट का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकर न हो ।"।

(v) उपधारा (8) में 16 दिसंबर, 2005 से,—

(अ) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) पारिस्थितिकी संवेदीजोन या भू-आकृति विशेषताओं वाले क्षेत्रों में कोई तटीय जलकृषि नहीं की जाएगी;

(ख) कोई तटीय जलकृषि, अण्डज उत्पत्तिशाला, केन्द्रक प्रजनन केन्द्र और ब्रूड स्टाक बहुगुणन केन्द्र के सिवाय समुद्र की दशा में, गैर विकास क्षेत्र में तथा संकरी खंड़ी, नदियों और पृष्ठ सागरखंड की दशा में मध्यवर्ती क्षेत्र में नहीं की जाएगी ;

(ग) समुद्री अतृण कृषि, पेन कृषि, राफ्ट कृषि और केज कृषि क्रियाकलाप के सिवाय कोई तटीय जलकृषि, तटीय विनियमन जोन के भीतर संकरी खाड़ी, नदियों और पृष्ठ सागरखंड में नहीं की जाएगी :"।

(आ) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "उच्च ज्वार सीमा" से भूमि पर उस स्थान तक वह सीमा अभिप्रेत है, जिस तक वृहत ज्वार के दौरान अधिकतम जल सीमा पहुंचती है ;

(ii) "पारिस्थितिकी संवेदीजोन", "भू-आकृति विशेषताएं", "गैर विकास क्षेत्र", "मध्यवर्ती क्षेत्र", "तटीय विनियमन क्षेत्र", का वही अर्थ होगा जो उनका पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन 1986 का 29
जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में यथापरिभाषित है ।';

(vi) उपधारा (9) में "फार्म" शब्द, जहां-कहीं वह आता है, के स्थान पर "यूनिट" शब्द रखा जाएगा ;

(vii) उपधारा (10) में,—

(क) "फार्म" शब्द, के स्थान पर "तटीय जलकृषि यूनिट" शब्द रखा

जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु प्राधिकरण, नवीकरण के लिए आवेदन करने में विलंब का रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के संदाय के अधीन रहते हुए माफ कर सकेगा ।" ;

(viii) उपधारा (11) में दोनों स्थानों पर "फार्म" शब्द, जहां वह आता है, के स्थान पर "तटीय जलकृषि यूनिट" शब्द रखे जाएंगे;

(ix) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जांएगी, अर्थात् :—

"(12) प्राधिकरण, इस धारा के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, फेरफार, संशोधन या उपांतरण कर सकेगा ।

(13) इस अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विरूपित या विकृत या खो जाने की दशा में, प्राधिकरण ऐसी फीस का और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संदाय करने पर अनुकृति प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा।"।

नई धारा 13क का अंतःस्थापन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अधिकारियों का प्राधिकार ।

"13क. (1) प्राधिकरण, आदेश द्वारा किसी जिले में प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में मत्स्य सहायक निदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने या ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए, जो उस आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के भारत सरकार के उप सचिव से अन्यून की पंक्ति के किसी अधिकारी को, अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, उसमें फेरफार करने या उसे अपास्त कर सकेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया

1908 का 5 संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे हाजिर कराना ;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की किसी कार्यालय से अध्यपेक्षा करना ;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(ङ) किन्हीं साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।"। 1974 का 2

धारा 14 के स्थान पर नई धारा 14 तथा धारा 14क का प्रतिस्थापन ।

12.मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में तटीय जलकृषि करने के लिए शास्ति ।

"14. जहां कोई व्यक्ति, या इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या तद्धीन जारी किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अधिसूचनाओं के उल्लंघन में तटीय जलकृषि या पारंपरिक तटीय जलकृषि करता है अथवा तटीय जलकृषि या पारंपरिक तटीय जलकृषि करना कारित करता है तो धारा 13क के अधीन प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित सभी या कोई कार्रवाई करेगा, अर्थात् :—

(क) तटीय जलकृषि यूनिट में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी कार्यकलाप का निलंबन या रोकना ;

(ख) नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति का अधिरोपण ;

(ग) किसी ढांचे का हटाना या ढा देना ;

(घ) उस पर खड़ी फसल को नष्ट करना ;

(ङ) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्द करना ।

सारणी

क्रम सं.	तटीय जलकृषि/ प्रतिषिद्ध सामग्रियों का उपयोग	अपराध	शास्ति		
			पहली बार अपराध	दूसरी बार अपराध	तीसरी बार और पश्चातवर्ती अपराध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	फार्म	अरजिस्ट्रीकरण	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर के भाग)	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या

			के लिए दस हजार रुपए	हेक्टेयर के भाग) के लिए पंद्रह हजार रुपए	हेक्टेयर के भाग) के लिए पच्चीस हजार रुपए
		अरजिस्ट्रीकरण से भिन्न अधिनियम के उपबंधों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा अधिसूचनाओं का अननुपालन ।	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर के भाग) के लिए पांच हजार रुपए	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर का भाग) के लिए दस हजार रुपए	जलमग्न क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर (या हेक्टेयर के भाग) के लिए पंद्रह हजार रुपए
2	अण्डज उत्पत्तिशाला, ब्रूड स्टाक बहुगुणन केन्द्र, केन्द्रक प्रजनन केन्द्र या ऐसी अन्य तटीय जलकृषि यूनिटें ।	अरजिस्ट्रेशन	पचास हजार रुपए	पचहत्तर हजार रुपए	एक लाख रुपए
		अरजिस्ट्रीकरण से भिन्न अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं का अननुपालन	पच्चीस हजार रुपए	पचास हजार रुपए	एक लाख रुपए
3	धारा 12क के अधीन प्रतिषिद्ध सामग्री का उपयोग ।	धारा 12क के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों का उल्लंघन ।	पचास हजार रुपए	पचहत्तर हजार रुपए	एक लाख रुपए

14क. (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा : अपील ।

परंतु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् की गई किसी अपील को किंतु पूर्वोक्त तारीख से नब्बे दिन के अवसान से पूर्व ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील

फाइल करने से निवारित करने के पर्याप्त कारण थे ।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी ने अपील फाइल करने के समय जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, के अधीन संदेय शास्ति की रकम को जमा नहीं कर दिया हो :

परंतु इस निमित्त अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन पर अपील प्राधिकारी का यदि यह मत है कि इस उपधारा के अधीन किया जाने वाला निक्षेप अपीलार्थी को असम्यक् कठिनाई उत्पन्न करेगा तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे निक्षेप को या तो बिना किसी शर्त या ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना उचित समझे, अभियुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् , जो वह उपयुक्त समझे, और संबद्ध पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि कर सकेगा, उपांतरित कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा, और—

(क) यदि उपधारा (2) के अधीन शास्ति के माध्यम से जमा की जाने वाली राशि अपील प्राधिकारी द्वारा संदत्त किए जाने के लिए निदेश दी गई शास्ति से अधिक है तो ऐसी अधिक रकम का अपीलार्थी को प्रतिदाय कर दिया जाएगा ; या

(ख) यदि अपील प्राधिकारी शास्ति अधिरोपित करने के आदेश को अपास्त कर देता है तो शास्ति के माध्यम से जमा की गई संपूर्ण राशि का अपीलार्थी को प्रतिदाय कर दिया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।"।

नई धारा 22क का अंत:स्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

खर्च और शास्ति के बकाया का भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाना ।

"22क. कोई खर्च, जो शोध्य है और संदत्त नहीं है, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया गया है तथा कोई राशि, जिसका धारा 14 के अधीन शास्ति के रूप में वसूले जाने का निदेश दिया गया है कि ऐसी रीति में वसूलनीय जाएगी जैसे भू-राजस्व के बकाया की, की जाती है ।"।

धारा 24 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) धारा 4 की उपधारा (3क) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कृत्य ;"।

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(खक) धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन समितियों के गठन की रीति ;

(खख) धारा 7क की उपधारा (2) के अधीन समितियों में व्यक्तियों की संख्या, उनके कृत्य और समितियों की निबंधन और शर्तें ;

(खग) धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन सचिव की नियुक्ति की रीति और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(खघ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घक) के अधीन वह क्षेत्र जिसमें प्राधिकरण किसी तटीय जलकृषि की संख्या, प्रजातियों और ढंग को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(खङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घख) के अधीन तटीय जलकृषि में उपयोग किए गए अन्य इनपुट ;

(खच) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घग) के अधीन तटीय जलकृषि यूनिट के प्रमाणन, मानीटरी और विनियमन की रीति तथा जैव सुरक्षा के साथ तटीय जलकृषि कार्यकलापों को करने की रीति और तटीय जलकृषि यूनिटों में रोगों से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निकटता से रोग निगरानी ;

(iii) खंड (ङ) में "उस धारा के अधीन किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या आहाते" शब्दों के स्थान पर, "किसी तटीय जलकृषि यूनिट" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) धारा 12 के तीसरे परंतुक के अधीन पर्यावरण को नुकसान की लागत के निर्धारण की रीति ;

(चख) धारा 12क के खंड (क) के अधीन ऐसी अन्य सामग्री का प्रतिषेध, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पंहुचा सकती है ;

(चग) धारा 13 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन प्रक्रिया और अवधि ;";

(v) खंड (ञ) में "वाली फीस" शब्द के पश्चात् "और उसके परंतुक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की फीस" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(vi) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञक) धारा 13 की उपधारा (12) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में फेरफार, संशोधन और उपांतरण करने की रीति ;

(ञख) धारा 13 की उपधारा (13) के अधीन अनुकृति प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए फीस और अनुदत्त करने की रीति ;

(ञग) धारा 14 के खंड (क) के अधीन किसी तटीय जलकृषि यूनिट में कार्यकलाप के निलंबन या रोकने की अवधि और रीति ;

(ञघ) धारा 14 के खंड (ङ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्द करने की अवधि और रीति ;"।

धारा 25 का संशोधन ।

15 .मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) में "फार्म"शब्द के स्थान पर "यूनिट" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 27 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) 1986 का 29
के खंड (v) या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना में प्रतिषिद्ध कार्यकलापों से व्यौहार करने वाले पैरा के अंतिम उपपैरा के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और सदैव 19 फरवरी, 1991 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात तटीय जलकृषि को लागू नहीं होगी ।";

(ख) उपधारा (2) में "फार्म" शब्द का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 28 का अंतःस्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय उपबंधों और संशोधनों का भूतलक्षी विधिमान्यकरण।

"28. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन तटीय जलकृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है तब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,
1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 1986 का 29
के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण अभिभावी और सदैव विधिमान्य रहेगा ;

(ii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन जारी तटीय 1986 का 29
विनियमन जोन अधिसूचना या द्वीप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना के अधीन ऐसी तटीय जलकृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप अनुज्ञात कार्यकलाप रहेंगे ;

(iii) इस अधिनियम के अधीन तटीय जलकृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए अनुदत्त सभी रजिस्ट्रीकरण लागू नियमों, विनियमों और
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन समय-समय पर जारी 1986 का 29
अधिसूचनाओं के अधीन विधिमान्य अनुज्ञा होगी ।

(2) धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंध और उपधारा (8) के उपबंध जैसा कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा 16 दिसंबर, 2005 से भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई है, का सभी प्रयोजनों के लिए सदैव प्रभाव समझा जाएगा मानो की वह सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त थी और तदनुसार,—

(i) किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त उपबंधों के अनुसार तात्पर्यित या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या उक्त उपबंधों के

अनुसार की गई समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे ;

(ii) उक्त उपबंधों के अनुसार की गई किसी कार्रवाई या किसी कार्रवाई का लोप किए जाने के लिए कोई बात या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जाएंगी या नहीं रखी जाएंगी या जारी नहीं रहेंगी ; और

(iii) किसी भी न्यायालय द्वारा किसी तटीय जलकृषि कार्यकलाप को हटाने या बन्द करने या उससे संबंधित किसी ढ़ांचे को गिराने के लिए या उक्त उपबंधों के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या बात या न की गई बात के संबंध में कोई डिक्री या आदेश या निदेश का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसे कि धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंध तथा उपधारा (8) में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों से प्रवृत्त रहे हों ।"।

———————

वित्त अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 7)

[29 मार्च, 2025]

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2025 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 91, धारा 104 से धारा 120, धारा 125 और धारा 136, 1 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख धारा 121 से धारा 124 और धारा 126 से धारा 134, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आयकर-, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, या उन दशाओं में, जहां आय, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1961 का 43 आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, और जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो, शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर, निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा तथा संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष की आयु का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर,

"तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, धारा 115खखञ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम के मामले के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या ऐसे व्यक्तियों के संगम, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम के, जो सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, के मामले में या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की

धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अन्तर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक

करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, सिवाय ऐसी देशी कंपनी की, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस

रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (घ) में वर्णित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे कर के दस

प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में,—

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए रुपए से अधिक, किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय अपवर्जित है) दो करोड़ रुपए रुपए से अधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु उपरोक्त खंड (iii) के अधीन नहीं आती है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी दशा में, जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू होते हैं तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि व्यक्तियों के संगम की दशा में,जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है और जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम, या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय है, और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि भारत में निवासी ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, ऐसी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, जो आय के उस भाग पर परिकलित आय-कर को किसी अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194त्र, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 194न, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, इसके

सदस्यों के रूप में केवल कंपनी से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, इस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर

से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित की जाएगी ;

(च) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से

अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है और केवल कंपनियों के उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बना है, ऐसे संगम की दशा में,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संग्रहीत किया गया है या जिनके संग्रहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, किसी व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख,

धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, 115खखञ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि की दशा में या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय [जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो

उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं

है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (घ) में वर्णित किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर

अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परन्तुक के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, पहले परंतुक के अनुसार संगणित "अग्रिम कर", संघ के प्रयोजनों के लिए व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर पर" ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर" ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर), "ऐसे अग्रिम कर के पच्चीस प्रतिशत की दर पर" ; और

(iv) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, किंतु ऊपर खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और

धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर" :

परंतु यह भी कि जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के लागू होने की दशा में और कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन प्रभार्य लाभांश भी है, आय के उस भाग के संबंध में "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में तथा धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन प्रभार्य आय पर, "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा (2) के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय निम्नलिखित से अधिक है,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, जिसकी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर को अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है या उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां निर्धारिती ने पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के

संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि उन मामलों में जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की धारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा मानो "दो लाख पचास हजार रुपए"शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार इस धारा में उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है :

परन्तु यह और भी कि इस धारा की कोई बात, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट, आय पर उपधारा (9) में यथा विनिर्दिष्ट, संगणित आय-कर के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (14) में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(i) उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) निम्नलिखित द्‌वारा धारित कोई प्रतिभूतियां :—

(i) जो ऐसा कोई विदेशी सांस्थागत विनिधानकर्ता है और जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया है ; या 1992 का 15

(ii) धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसी कोई विनिधान निधि, जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया है ;"; 1992 का 15 2019 का 50

(ii) उपखंड (ग) में, 1 अप्रैल, 2026 से, "खंड (10घ) के अधीन छूट, इस कारण लागू नहीं होती है क्योंकि उसका चौथा और पांचवां परंतुक उसे लागू होता है" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (22) में,—

(i) उपखंड (ii) के पश्चात्, दीर्घ पंक्ति में, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iiक) दो समूहों अस्तित्वों के बीच कोई अग्रिम या ऋण, जहां,—

(अ) समूह अस्तित्व में से एक अस्तित्व कोई "वित्त कंपनी" या कोई "वित यूनिट" है ; और

(आ) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या प्रधान अस्तित्व भारत से बाहर, बोर्ड द्‌वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले देश या राज्यक्षेत्र से भिन्न भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है ;';

(ii) स्पष्टीकरण 3 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ग) "वित्त कंपनी" और "वित्त यूनिट" का वही अर्थ होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) 2019 का 50

विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ङ) और खंड (च) में क्रमश: उनका है :

परंतु ऐसी वित्त कंपनी या वित्त यूनिट को, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सुसंगत विनियमों के अनुसार खजाना संबंधी क्रियाकलापों या खजाना संबंधी सेवाओं को आरंभ करने हेतु वैश्विक या क्षेत्रीय कारपोरेट खजाना केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है ;

(घ) "समूह अस्तित्व", "मूल अस्तित्व" और "प्रधान अस्तित्व" वे अस्तित्व होंगे, जो इस निमित्त यथा विहित ऐसी शर्तों को पूरा करते हैं ।';

(ग) खंड (47क) के उपखंड (ग) के पश्चात् और परंतुक से पहले, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) कोई क्रिप्टो आस्ति, जो उस मूल्य का डिजिटल निरूपण है, जो संव्यवहारों का विधिमान्यकरण करने तथा सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित वितरित खाता-बही या किसी वैसे ही प्रौद्योगिकी का अवलंब लेता है, चाहे इसमें किसी ऐसी आस्ति को उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं :"।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से,— धारा 9 का संशोधन ।

(क) खंड (i) के स्पष्टीकरण (2क) में पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि ऐसे संव्यवहार या क्रियाकलाप, जो निर्यात के प्रयोजन के लिए भारत में माल के क्रय तक सीमित है, भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति को गठित नहीं करेंगे :"।

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

5. अधिनियम की धारा 9क में,— धारा 9क का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) के खंड (ग) में,—

(i) "या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "विनिधान समग्र निधि" शब्दों के स्थान पर, "विनिधान पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर को समग्र निधि" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां निधि में पूर्वोक्त संकलित सहभागिता या विनिधान किसी पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर को पांच प्रतिशत से अधिक हो जाता है, वहां इस खंड में उल्लिखित शर्त को पूरा किया गया माना जाएगा, यदि उसे ऐसे पूर्व वर्ष के, यथास्थिति, 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर के चार मास के भीतर पूरा कर दिया जाता है ;";

(ख) उपधारा (8क) में "2024" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

6. अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (4घ) के स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (कक) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में,—

(अ) उपखंड (i) की मद (I) में उपमद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,—

"(ख) जिसे खुदरा स्कीम या विनिमय व्यापार निधि के रूप में प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए 2019 का 50 गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन ऐसी स्कीमों या निधियों के लिए अधिकथित शर्तों को पूरा करता है ।";

(आ) उपखंड (ii) की मद (I) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।'

(ख) खंड (4ङ) में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(i) उपखंड (ii) में, "अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों" शब्दों के पश्चात् "या ओवर द काउंटर व्युत्पन्नीय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी यूनिट" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या कोई विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति विनिमय 1992 का 15 बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।";

(ग) खंड (4च) में "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे;

(घ) खंड (4ज) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में,—

(अ) "वायुयान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "वायुयान या पोत" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "2026" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वायुयान" से कोई वायुयान या हैलीकॉप्टर या किसी

वायुयान या हैलीकॉप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;

(ख) "पोत" से कोई पोत या कोई समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;';

(ङ) खंड (10घ) में, आठवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि निम्नलिखित दशा में प्राप्त किसी राशि को चौथे, पांचवें, छठे और सातवें परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे,—

(क) किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा जारी किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन, जिसमें ऐसी पालिसी पर लाभांश के माध्यम से आबंटित राशि भी सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय" का वही अर्थ होगा, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा
2019 का 50 केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप विनियम (1) के खंड (ट) में उसका है ;';

(च) खंड (12ख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(12खक) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से किसी निर्धारिती को, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन, जो किसी अवयस्क का अभिभावक या संरक्षक है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
2013 का 23 अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार, अवयस्क के खाते में से आंशिक रूप से की गई निकासी पर कोई संदाय, उस परिमाण तक, जो उसके द्वारा किए गए अभिदायों की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो ;";

(छ) खंड (23चङ) में,—

(i) "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों" शब्दों के पश्चात्, "(चाहे ऐसे पूंजी अभिलाभों को धारा 50कक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में माना जाता है अथवा नहीं)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (i) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ;

(ज) खंड (34ख) में,—

(i) "वायुयान" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "वायुयान या पोत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वायुयान" से, कोई वायुयान या हैलीकॉप्टर या किसी वायुयान या हैलीकॉप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;

(ख) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है ; 2005 का 28

(ग) "पोत" से कोई पोत या कोई समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;'।

(i) खंड (50) में दीर्घ पंक्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु इस खंड के उपबंध 1 अप्रैल, 2026, को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुंसगत पूर्व वर्ष की किसी आय को लागू नही होगें ।'।

धारा 12कख का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु जहां कोई आवेदन उक्त खंड के उपखंड (i) से उपखंड (v) के अधीन किया जाता है और धारा 11 तथा धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, के पूर्ववर्ती दो पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे गए हो ।';

(ख) उपधारा (4) के स्पष्टीकरण के खंड (छ) में, "आवेदन पूर्ण नहीं है या उसमें" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन में" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कोई व्यक्ति, जिसका न्यास या संस्था को, यथास्थिति, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान कुल अभिदाय एक लाख रुपए से अधिक है या सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक सकल अभिदाय दस लाख रुपए से अधिक है ;";

(ii) खंड (घ) में, "व्यक्ति," शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ङ) में, "(ख)," कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(क) उपखंड (iii) के पैरा (ग) में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (viii) के पश्चात्, आने वाले परंतुक के खंड (vi) के उपखंड (आ) में, "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम, जो विहित की जाए"

शब्द रखे जाएंगे ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 23 का संशोधन ।

"(2) ऐसे गृह या उसके किसी भाग से मिलकर बनी संपत्ति का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा, यदि वह स्वामी के अपने ही निवास के लिए अधिभोग में है या उसका वस्तुत: अधिभोग किसी कारण से नहीं किया जा सकता है ।"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 44खखग के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 44खखघ का अंत:स्थापन ।

भारत में इलैक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए या इलैक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के कारबार में लगे अनिवासी के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

'44खखघ. (1) धारा 28 से धारा 43क में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती, जो अनिवासी है और भारत में इलैक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा की स्थापना के प्रयोजनों के लिए या इलैक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ है,—

(क) कोई निवासी कंपनी, जो केंद्रीय सरकार के इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन भारत में इलैक्ट्रानिक विनिर्माण सुविधा या इलैक्ट्रानिक माल, वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के लिए कोई संबद्ध सुविधा स्थापित या प्रचालित कर रही है ; और

(ख) ऐसी निवासी कंपनी इस निमित्त विहित की गई शर्तों को पूरा करती है,

उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि को "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य अनिवासी निर्धारिती के ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमें निम्नलिखित होंगी,—

(क) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के मद्दे उसकी ओर से किसी अनिवासी निर्धारिती या किसी व्यक्ति को संदत्त या संदेय रकम; और

(ख) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने के मद्दे अनिवासी निर्धारिती द्वारा या अनिवासी निर्धारिती की ओर से प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।

परंतु धारा 44घक या धारा 115क के उपबंध इस उपधारा में निर्दिष्ट रकमों के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(3) धारा 32 की उपधारा (2) में और धारा 72 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अनिवासी निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, वहां ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती को अनामेलित अवक्षयण और अग्रनीत हानि का मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।'।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1ख) में, 1 अप्रैल, 2026 से, "खंड (10घ) के अधीन, उसके चौथे और पांचवे परंतुक के लागू होने के कारण, छूट लागू नहीं होती है" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के धारा 45 का संशोधन ।

अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में,—

(i) 1 अप्रैल, 2026 से, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 'पारिणामिक निधि' से भारत में किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसे निम्नलिखित मंजूर किया गया है,—

(i) प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या खुदरा स्कीम या विनिमय व्यापार निधि के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन 1992 का 15
बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2019 का 50
अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है ; या

(ii) खंड (ख) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 72क का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 72क में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(i) उपधारा (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6ख) जहां, यथास्थिति, कोई समामेलन या कारबार पुनर्गठन, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, किया जाता है, उपधारा (1), उपधारा (6) या उपधारा (6क) के अधीन पूर्ववर्ती अस्तित्व की संचयी हानि का भाग बनाने वाली कोई हानि, जो, यथास्थिति,—

(क) समामेलक कंपनी है ; या

(ख) फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान है ; या

(ग) प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी है,

जो उत्तरवर्ती अस्तित्व की हानि समझी जाती है, जो, यथास्थिति,—

(i) समामेलित कंपनी है ; या

(ii) उत्तरवर्ती कंपनी है ; या

(iii) उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी है,

जिसके लिए मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को पहले संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनधिक निर्धारण वर्षों के लिए, उत्तरवर्ती अस्तित्व को अग्रनीत किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (7) में, खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कख) "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से उपधारा (1) के अधीन पहले

समामेलन या उपधारा (6) या उपधारा (6क) के अधीन पहले कारबार पुनर्गठन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है ।'।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 72कक में, 1 अप्रैल, 2026 से,— धारा 72कक का संशोधन ।

(i) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसे समामेलन की कोई स्कीम, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, प्रवर्तन में लाई जाती है, पूर्ववर्ती अस्तित्व की संचयी हानि का भाग बनाने वाली कोई हानि, जो, यथास्थिति,—

(क) बैंककारी कंपनी है या कंपनियां हैं ; या

(ख) समामेलक तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं ; या

(ग) समामेलक सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं,

जो उत्तरवर्ती अस्तित्व की हानि समझी जाती है, जो, यथास्थिति,—

(i) बैंककारी संस्था या कंपनी है ; या

(ii) समामेलित तत्स्थानी नया बैंक है या नए बैंक हैं ; या

(iii) समामेलित सरकारी कंपनी है या कंपनियां हैं,

जिसके लिए ऐसे मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व के लिए ऐसी हानि को प्रथम बार संगणित किया गया था, के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के आठ से अनधिक निर्धारण वर्षों के लिए, उत्तरवर्ती अस्तित्व को अग्रनीत किया जाएगा ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(viii) "मूल पूर्ववर्ती अस्तित्व" से प्रथम बार समामेलन के संबंध में पूर्ववर्ती अस्तित्व अभिप्रेत है ।'।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगक की उपधारा (2) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 29 अगस्त, 2024 से अंत:स्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 80गगक का संशोधन ।

"परंतु यह और कि किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टिक है, की दशा में, खंड (क) में निर्दिष्ट रकम, जो 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् वापस ली गई है, कर से प्रभार्य नहीं होगी ।"।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में, 1 अप्रैल, 2026 से,— धारा 80गगघ का संशोधन ।

(क) उपधारा (1ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कटौती वहां भी अनुज्ञात की जाएगी, जहां निर्धारिती द्वारा, जो किसी ऐसे अवयस्क का माता या पिता या अभिभावक है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन कटौती की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, पेंशन स्कीम के अधीन ऐसे अवयस्क के खाते में कोई संदाय या निक्षेप किया गया है ।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "निर्धारिती के खाते में उसके नाम में जमा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती या किसी अवयस्क, यथास्थिति, उसके खाते में या

अवयस्क के खाते में जमा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अवयस्क का माता या पिता या अभिभावक या नामनिर्देशिती है, अवयस्क की मृत्यु के कारण उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के बंद होने पर प्राप्त रकम को ऐसे व्यक्ति की आय के रूप में नहीं समझा जाएगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, प्रारंभिक भाग में, "जहां निर्धारिती द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "उसके खाते या किसी अवयस्क के खाते में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80ठक का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (2) के खंड (घ) में, "2025" अंकों के स्थान पर, "2030" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 87क का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(क) परंतुक में,—

(i) खंड (क) में,—

(I) "सात लाख रुपए" शब्द के स्थान पर, "बारह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) "पच्चीस हजार रुपए" शब्द के स्थान पर, "साठ हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "सात लाख रुपए" शब्दों, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "बारह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन कटौती, धारा 115खकग की उपधारा (1क) में उपबंधित दरों के अनुसार संदेय आय-कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 92गक का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में,—

(क) 1 अप्रैल, 2026 से,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए कोई निर्देश नहीं किया जाएगा, यदि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने ऐसे संव्यवहार के संबंध में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3ख) में निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को घोषित कर दिया है :

परंतु यह और कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए कोई निर्देश उपधारा (3ख) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में, जिसके लिए विकल्प विधिमान्य घोषित किया जाता है अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसी घोषणा के पूर्व या पश्चात् किया जाता है तो इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे, मानो ऐसे संव्यवहार के लिए कोई निर्देश नहीं किया गया हो ।";

(ii) उपधारा (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3ख) असन्निकट कीमत, जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपधारा (3) के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में अवधारित की जारी रही निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् के दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समरूप अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार को लागू होगी, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती, उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उपरोक्त प्रभाव के विकल्प या विकल्पों का प्रयोग करता है ;

(ख) ऐसे विकल्प या विकल्पों का प्रयोग ऐसी यथाविहित प्ररूप, रीति और समयावधि के भीतर किया जाता है ; और

(ग) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसे विकल्प या विकल्पों का प्रयोग किया जाता है, एक मास के भीतर, लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि विकल्प यथाविहित शर्तों के अधीन रहते हुए विधिमान्य है या हैं :

परंतु इस उपधारा के उपबंध अध्याय 14ख के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।";

(iii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को उपधारा (3ख) के अधीन विधिमान्य विकल्प के रूप में घोषित कर दिया है, वहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे समरूप संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का परीक्षण और अवधारण करेगा और निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश की प्राप्ति पर, धारा 155 की उपधारा (21) के उपबंधों के अनुसार उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना प्रारंभ करेगा ।";

(ख) उपधारा (9) के परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (10) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(11) यदि उपधारा (3ख) और उपधारा (4क) को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कठिनाई को दूर करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा :

परंतु ऐसा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत 1 अप्रैल, 2026 से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(12) बोर्ड द्वारा उपधारा (11) के अधीन जारी प्रत्येक मार्गदर्शी सिद्धांत को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तवर्ती सत्र सम्मिलित हो सकेंगे और यदि, सत्र के तुरंत पश्चात् आने वाले सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात् मार्गदर्शी सिद्धांत यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।"।

धारा 112क का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(क) आरंभिक भाग में, "खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "खंड (10घ) के अधीन छूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अनुप्रयोज्यता के कारण लागू नहीं होते हैं" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (10घ) के अधीन छूट लागू नहीं होती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 113 का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 113 में, "कुल" शब्द के पश्चात्, "अप्रकटित" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 सितंबर, 2024 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

धारा 115कघ का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (iii) में, दीर्घ पंक्ति में, 1 अप्रैल, 2026 से, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "साढ़े बारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115खकग का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(क) खंड (ii) में, "या उसके पश्चात्" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	4,00,000 रुपए तक	शून्य
2.	4,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
3.	8,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
4.	12,00,001 रुपए से 16,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
5.	16,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
6.	20,00,001 रुपए से 24,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
7.	24,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत ।"।

धारा 115पक का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (2) में, "धारा 111क और धारा 112" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से, ", धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115फ का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115फ में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(i) खंड (क), खंड (ख) खंड (च) और खंड (ज) में, "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) 'अंतर्देशीय जलयान' का वही अर्थ होगा, जो अंतर्देशीय जलयान
2021 का 24 अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (थ) में उसका है ;"।

धारा 115फख का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115फख में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(क) "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) परंतुक में "पोत" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फघ का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115फघ में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(i) "कोई पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, कोई पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "पोत या जलयान" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

1958 का 44 (iii) खंड (ख) में, "वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोत है या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत
1958 का 44 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोत है या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत वाणिज्य पोत

परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अंतर्देशीय जलयान है" शब्द रखे जाएंगे; 2021 का 24

(iv) खंड (ग) में, "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) दीर्घ पंक्ति के पश्चात्, खंड (i) में, "कोई समुद्रगामी पोत या जलयान" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, कोई समुद्रगामी पोत या जलयान या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फछ का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115फछ में, 1 अप्रैल, 2026 से, उपधारा (4) में "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फझ का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115फझ में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(क) उपधारा (2) के खंड (ii) में,—

(i) "अन्य पोत संबंधी क्रियाकलाप" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, अन्य पोत संबंधी या अंतर्देशीय जलयान संबंधी क्रियाकलाप," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (अ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "एक या अधिक पोतों" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, एक या अधिक पोतों या अंतर्देशीय जलयानों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (6) में, "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फट का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 115फट में, उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से, ", जो पोत हैं," शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, जो पोत या अंतर्देशीय जलयान हैं," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115फत का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115फत की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात्, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के लिए उपधारा (3) के अधीन आदेश, उस तिमाही की समाप्ति से, तीन मास की अवधि के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था ।"।

धारा 115फन का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115फन में, 1 अप्रैल, 2026 से,—

(i) उपधारा (3) में, "किसी नए पोत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ", यथास्थिति, किसी नए पोत या नए अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के खंड (ग) में, "उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट नए पोत का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, नए पोत या नए अंतर्देशीय जलयान का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोत या अंतर्देशीय

जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण में, 'प्रयोजनों के लिए, "नया पोत" में ऐसा' शब्दों के स्थान पर, 'प्रयोजनों के लिए, ", यथास्थिति, नया पोत या नया अंतर्देशीय जलयान" में ऐसा' शब्द रखे जाएंगे ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115फफ में, 1 अप्रैल, 2026 से,— धारा 115फफ का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) में, "भाड़े पर लिए गए पोतों" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, भाड़े पर लिए गए पोतों या अंतर्देशीय जलयानों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, "भाड़े पर लिए गए पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, भाड़े पर लिए गए पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115फभ में, उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2026 से,— धारा 115फभ का संशोधन ।

(i) खंड (क) में, "किसी पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, किसी पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान की दशा में, अंतर्देशीय

2021 का 24 जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी प्रमाणपत्र ।"।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 115फयक में, उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2026 से,— धारा 115फयक का संशोधन ।

(क) "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "ऐसे पोत" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, ऐसे पोत या अंतर्देशीय जलयान" शब्द रखे जाएंगे ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में,— धारा 132 का संशोधन ।

(क) उपधारा (8) में, ''निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना आदेश की तारीख से तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से, ''तिमाही, जिसमें निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना संबंधी आदेश किए गए हैं, की समाप्ति से एक मास'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 1 की आरंभिक भाग में, "प्राधिकार" शब्द के स्थान पर, "प्राधिकारों" शब्द रखा जाएगा ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में, "धारा 158खङ के स्पष्टीकरण 2" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 158ख के स्पष्टीकरण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । धारा 132ख का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (8क) में,— धारा 139 का संशोधन ।

(क) "चौबीस मास" शब्दों के स्थान पर, "अड़तालीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अद्यतन विवरणी वहां प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जहां धारा 148क के अधीन उसके मामले में

सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से छत्तीस मास के पश्चात् कोई कारण बताओ सूचना जारी की गई है :

परंतु यह भी कि चौथा परंतुक वहां लागू नहीं होगा, जहां धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है कि धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह कोई उपयुक्त मामला नहीं है ।"।

धारा 140ख का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (3) के खंड (ii) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2025 से, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित, संदेय कर और ब्याज के योग का साठ प्रतिशत, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चौबीस मास की समाप्ति के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छत्तीस मास की अवधि पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है; या

(iv) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज की योग का सत्तर प्रतिशत, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छत्तीस मास की समाप्ति के पश्चात् किंतु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास की अवधि पूरा होने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है ।"।

धारा 143 का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) में उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2025 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) किसी पूर्ववर्ती पूर्वतन वर्ष की विवरणी में जानकारी के संबंध में, विवरणी में ऐसी कोई असंगतता, जो विहित की जाए ;"।

धारा 144खक का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 144खक के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) "उस तारीख से, जिसको अनुमोदनकर्ता पैनल की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक को रद्द करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि :"।

धारा 144ग का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (14ग) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 153 का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) उस तारीख से, जिसको निर्धारण कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक को रद्द करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या" ।

धारा 153ख का संशोधन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण के खंड (i) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) उस तारीख से, जिसको निर्धारण कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के

आदेश या व्यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक को रद्द करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या"।

धारा 155 का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में, उपधारा (20) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(21) जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाता है और अंतरण मूल्यांकन अधिकारी ने यह घोषित किया है कि निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प, उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पश्चात् वाले दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंध में विधिमान्य है, वहां निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना का संशोधन करके,—

(क) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसे संव्यवहार के संबंध में उक्त धारा की उपाधारा (4क) के अधीन इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप ; और

(ख) ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए,

उस मास के अंत से तीन मास के भीतर, जिसमें ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण पूरा किया जाता है, उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन: संगणना करेगा और उसको धारा 92ग की उपधारा (4) का पहला और दूसरा परंतुक लागू होगा :

परंतु जहां, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश या किसी सूचना या समझी गई सूचना उक्त दो क्रमवर्ती पूर्ववर्ती वर्षों के लिए, उक्त तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है या जारी नहीं की जाती है, वहां ऐसी पुन:संगणना, उस मास के अंत से तीन मास के भीतर की जाएगी, जिसमें यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश को किया जाता है या किसी सूचना या समझी गई सूचना को जारी किया जाता है ।"।

धारा 158ख का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के खंड (ख) में, "धन, सोना-चांदी, आभूषण" शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "आभासी डिजिटल आस्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

धारा 158खक का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 158खक में 1 सितंबर, 2024 से,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "लंबित" शब्द के स्थान पर, "किया जाना अपेक्षित" शब्द

रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) में, "किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, "किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनः संगणना या निर्देश या आदेश" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (7) में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 158खख का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 158खख में, 1 सितंबर, 2024 से,—

(अ) पार्श्व शीर्ष में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(आ) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी और रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) ब्लॉक अवधि की धारा 158खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल अप्रकटित आय निम्नलिखित का कुल योग होगी, अर्थात् :—

(क) धारा 158खग के अधीन प्रस्तुत विवरणी में घोषित अप्रकटित आय ;

(ख) उपधारा (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित की गई अप्रकटित आय ।

(1अ) निम्नलिखित आय, ब्लॉक अवधि की कुल अप्रकटित आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(क) ब्लॉक अवधि से मिलकर बनने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित या धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारित या धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (ग) या धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पूर्व में निर्धारित की गई कुल अवधारित आय ;

(ख) ब्लॉक अवधि से मिलकर बनने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में तथा खंड (क) के अंतर्गत नहीं आने वाली तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व धारा 139 के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी में या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के प्रत्युत्तर में घोषित कुल आय ;

(ग)(i) उस पूर्ववर्ती वर्ष, जहां ऐसा पूर्व वर्ष समाप्त हो गया है और तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख के पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व ऐसे वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की शोध्य तारीख समाप्त नहीं हुई है ;

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली, जिसमें तलाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है तथा तलाशी या अध्यपेक्षा आरंभ होने वाली तारीख के ठीक पूर्व के दिन को समाप्त

होने वाली, अवधि के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख के ठीक पूर्व के दिन को या उसके पहले ऐसी अवधि;

(iii) तलाशी आरंभ करने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से आरंभ होने वाली और तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार से निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली ऐसी अवधि के सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंध में प्रविष्टियों के आधार पर, प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उसके पहले अवधि के संबंध में निर्धारिती द्वारा संगणित आय :

परंतु जहां निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा यथा संगणित आय का कोई भाग अप्रकटित आय है, तो वह ऐसी आय को पुन: संगणित कर सकेगा ।

(घ) धारा 115क की उपधारा (5) या धारा 115छ या धारा 194त की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय ।";

(इ) उपधारा (2) में, ", जो धारा 158खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय का भाग है," शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ।

(ई) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप अवधारित किए जाने के लिए अपेक्षित आय और ऐसी अन्य सामग्रियों या सूचना, जो या तो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध हैं या जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के दौरान उसकी जानकारी में आती हैं या प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को या उससे पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर अवधारित आय किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित है या उस पूर्ववर्ष के, जिसमें प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया था, 1 अप्रैल को आरंभ होने वाली और प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में धारा 92गक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित है, वहां ऐसी आय को ब्लॉक अवधि की कुल अप्रकटित आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा और ऐसी आय को इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन किए गए निर्धारण में विचार में लिया जाएगा ।";

(उ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) धारा 158खक की उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित कुल अप्रकटित आय पर प्रभारित किया

जाएगा ।";

(ऊ) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 158खग का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 158खग की उपधारा (1) में, 1 सितम्बर, 2024 से—

(अ) खंड (क) में,—

(i) "उसकी कुल आय, जिसके अंतर्गत अप्रकटित आय भी है, को" शब्दों के स्थान पर, "उसकी अप्रकटित आय को" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय को तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जहां,—

(i) पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या अध्यपेक्षा की गई है, के ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख, ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा आरंभ करने की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है ;

(ii) निर्धारिती ऐसे पूर्ववर्ष के लिए धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी था ;

(iii) ऐसी सूचना जारी किए जाने की तारीख को, ऐसे पूर्ववर्ष के लेखाओं (सामान्य अनुक्रम में रखे गए) की संपरीक्षा नहीं की गई हैं; और

(iv) निर्धारिती ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने हेतु समय का विस्तार करने के लिए लिखित में अनुरोध करता है, जिससे ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा कराई जा सके;";

(आ) खंड (ख) में, "अप्रकटित आय सहित कुल आय को अवधारित करने के लिए" शब्दों के स्थान पर, "अप्रकटित आय को अवधारित करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(इ) खंड (ग) में,—

(i) "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 158खघ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 158खघ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और 1 सितम्बर, 2024 से रखी गई समझी जाएगी,—

किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय ।

158खघ. जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई अप्रकटित आय किसी ऐसे व्यक्ति (जिसे इसमें इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" कहा गया है) से भिन्न किसी व्यक्ति (जिसे इसमें "अन्य

व्यक्ति" कहा गया है) से संबंधित है, जिसके संबंध में धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, तब पूर्वोक्त अप्रकटित आय से संबंधित कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण, अभासी डिजीटल आस्ति या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या कोई लेखा बही या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित अन्य दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री या सूचना ऐसे निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी जिसे ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता प्राप्त है और वह निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध धारा 158खग के अधीन कार्यवाही करेगा तथा इस अध्याय के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे :

परंतु,—

(क) जहां ऐसे अन्य व्यक्ति से सुसंगत एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए ब्लॉक अवधि वही होगी, जो विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए है ; और

(ख) जहां ऐसे अन्य व्यक्ति से सुसंगत एक विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से अधिक है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए ब्लॉक अवधि वही होगी, जो उस विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए है, जिसके मामले में ब्लॉक अवधि किसी पश्चातवर्ती तारीख को समाप्त होती है :

परंतु यह और कि ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, धारा 158खक की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन उपशमन के प्रयोजनों के लिए, धारा 132 के अधीन तलाशी प्रारंभ करने की या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख के प्रति निर्देश को उस तारीख के प्रति निर्देश समझा जाएगा, जिसको ऐसी पूर्वोक्त या अप्रकटित आय के संबंध में धन, सोना-चांदी, आभूषण, अभासी डिजीटल आस्ति या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या कोई लेखा बही या अभिगृहीत या अध्यपेक्षित अन्य दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री या सूचना ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी जिसको ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता प्राप्त है ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 158खङ में, 1 सितंबर, 2024 से,— धारा 158खङ का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "मास" शब्द के स्थान पर, "तिमाही" शब्द रखा जाएगा और रखा हुआ समझा जाएगा ;

(ii) पहले परंतुक में, "कुल आय" शब्दों के स्थान पर, "कुल अप्रकटित आय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह और कि उस दशा में, जहां धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के पांचवे परंतुक के अनुसरण में, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त खंड के अधीन अनुज्ञात समय, तीस दिन की और अवधि तक बढ़ा दिया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंधों का इस प्रकार प्रभाव होगा, मानो "बारह मास" शब्दों के स्थान पर, "तेरह मास" शब्द रखे गए हों ।';

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) "मास" शब्द के स्थान पर, "तिमाही" शब्द रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह और कि उस दशा में, जहां धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के पांचवे परंतुक के अनुसरण में, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त खंड के अधीन अनुज्ञात समय तीस दिन की और अवधि तक बढ़ा दिया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंधों का इस प्रकार प्रभाव होगा, मानो "बारह मास" शब्दों के स्थान पर, "तेरह मास" शब्द रखे गए हों ।';

(ग) उपधारा (4) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) उस तारीख से, जिसको किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा निर्धारण कार्यवाहियों पर रोकादेश मंजूर किया गया था, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको ऐसे रोकादेश को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी, समाप्त होने वाली अवधि ; या

धारा 158खचक का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 158खचक में, 1 सितम्बर, 2024 से,—

(क) उपधारा (1) में, "कुल आय की, जिसके अन्तर्गत अप्रकटित आय है, विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "अप्रकटित आय की विवरणी" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) उस तारीख, जिसको उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोकादेश मंजूर किया जाता है, से आरंभ होने वाली तथा उस तारीख को, जिसको रोकादेश को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्रमाणिक प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ;"।

धारा 158खझ का लोप ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 158खझ का लोप किया जाएगा और 1 सितंबर, 2024 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 193 का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 193 में,—

(क) "संदेय ब्याज की रकम", शब्दों के पश्चात्, ", जो वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों का योग है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) परंतुक के खंड (v) के उपखंड (क) में "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194 का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 194 के पहले परंतुक के खंड (ख) में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194क का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) में,—

(क) खंड (i) में,—

(i) "चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (घ) में "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) तीसरे परंतुक में,—

(अ) "चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (xi) के पश्चात् आने वाले परंतुक के खंड (ख) में,—

(i) "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ख का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में,—

(क) "जो ऐसी रकम या रकमों का योग है", शब्दों के स्थान पर, "जो एकल संव्यवहार की बाबत ऐसी रकम है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "वित्तीय वर्ष के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 194खख का संशोधन ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में,—

(क) "वित्तीय वर्ष के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों के योग की" शब्दों के स्थान पर, "एकल संव्यवहार के संबंध में दस हजार रुपए से अधिक की रकम की" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194घ का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के दूसरे परंतुक में, "पंद्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194छ का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 194छ की उपधारा (1) में, "पंद्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ज का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के पहले परंतुक में, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194झ का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि इस धारा के अधीन वहां कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा पाने वाले के खाते में या उसे किसी मास या मास के भाग के लिए जमा किए गए या संदत्त ऐसे किराए के रूप में आय पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है :"।

धारा 194ञ का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (आ) में, "तीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ट का संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट के परंतुक के खंड (i) में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ठक का संशोधन ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के पहले परंतुक में, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ठखग का संशोधन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखग की उपधारा (1) में, "पूर्वतर हो, उस पर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "आय-कर की कटौती करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194थ का संशोधन ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 194थ की उपधारा (5) के खंड (ख) में, "ऐसे किसी संव्यवहार से भिन्न, जिसे धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 194ध का संशोधन ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 194ध की उपधारा (2) में, "धारा 203क और धारा 206कख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 203क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 206कख का लोप ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 206कख का लोप किया जाएगा ।

धारा 206ग का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) सारणी में,—

(अ) क्रम संख्यांक (iii) के सामने,—

(I) स्तंभ (2) में, "काष्ठ" शब्द के स्थान पर, "काष्ठ या अन्य वनोत्पाद (जो तेंदू पत्ते नहीं हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(II) स्तंभ (3) में, "ढाई प्रतिशत" शब्द के स्थान पर, "दो प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) क्रम संख्यांक (iv) के सामने, स्तंभ (3) में, "ढाई प्रतिशत" शब्द के स्थान पर, "दो प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) क्रम संख्यांक (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''वनोत्पाद'' का वही अर्थ होगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम में या भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित है ।''; 1927 का 16

(ख) उपधारा (1छ) में,—

(i) पहले, दूसरे और चौथे परंतुक में, "सात लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि प्राधिकृत व्यौहारी राशि को संग्रहीत नहीं

करेगा, यदि विप्रेषित की जा रही रकम को शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, धारा 80ङ की उपधारा (3) के खंड (ख) में यथापरिभाषित किसी वित्तीय संस्थान से प्राप्त किया गया ऋण है :";

(ग) उपधारा (1ज) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस उपधारा के उपबंधों में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2025 से लागू नहीं होगी ।";

(घ) उपधारा (7क) में, 1 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 153 की उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (6) तथा उसका स्पष्टीकरण 1, जहां तक हो सके, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को लागू होंगे ।";

(ङ) उपधारा (9) में, "उपधारा (1ग) या उपधारा (1ज)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (10क) में, "(1ग), (1च) या (1ज)" कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "(1ग) या (1च)" कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 206गगक का लोप किया जाएगा । धारा 206गगक का लोप ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में,— धारा 246क का संशोधन ।

(i) खंड (ञक) में, "उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ढ) में, "उपायुक्त द्वारा किया गया" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (9) के परंतुक का लोप किया जाएगा । धारा 253 का संशोधन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (8) के परंतुक का लोप किया जाएगा । धारा 255 का संशोधन ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (3) के नीचे आने वाले स्पष्टीकरण में, "ऐसी किसी कालावधि का, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक रखी गई है," शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि का," शब्द रखे जाएंगे । धारा 263 का संशोधन ।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 264 की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण में, "उस अवधि को, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है," शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक निष्प्रभावी करने धारा 264 का संशोधन ।

वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि को," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 270कक का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 270कक की उपधारा (4) में, ''एक मास'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन मास'' शब्द, रखे जाएंगे ।

धारा 271ककख का संशोधन ।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख की उपधारा (1क) में, "राष्ट्रपति की अनुमति होती है," शब्दों के पश्चात् "किंतु 1 सितंबर, 2024 के पूर्व," शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे तथा 1 सितंबर, 2024 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

धारा 271खख का लोप ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 271खख का लोप किया जाएगा ।

धारा 271ग का संशोधन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 271ग की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271गक का संशोधन ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 271गक की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घ का संशोधन ।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 271घ की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घक का संशोधन ।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 271घक की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271घख का संशोधन ।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 271घख की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 271ङ का संशोधन ।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

धारा 275 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 275 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

शास्तियां अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन ।

"275. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस तिमाही की समाप्ति से छह मास के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें—

(क) वे कार्यवाहियां जिनके दौरान शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है, पूर्ण की जाती हैं, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 की विषय-वस्तु नहीं है;

(ख) धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है;

(ग) धारा 246 या धारा 246क के अधीन अपील का आदेश अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन अपील की विषय-वस्तु है और धारा 253 के अधीन कोई अतिरिक्त अपील फाइल नहीं की गई है;

(घ) धारा 253 के अधीन अपील का आदेश अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, यदि सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धारा के अधीन अपील की विषय-वस्तु है;

(ङ) शास्ति के अधिरोपण की सूचना, किसी अन्य मामले में जारी की जाती है ।

(2) शास्ति को अधिरोपित करने वाला या उसमें वृद्धि करने वाला या उसे कम करने वाला या शास्ति के अधिरोपण की कार्यवाहियों को बंद करने वाला आदेश धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 या धारा 260क या धारा 261 के अधीन पारित आदेश को प्रभावी करते हुए पुनरीक्षित रूप में निर्धारण या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के आधार पर, वहां पुनरीक्षित किया जा सकेगा, जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश उक्त धाराओं के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है ।

(3) शास्ति को अधिरोपित करने वाला या उसमें वृद्धि या उसे कम करने वाला या उसे रद्द करने वाला या उपधारा (2) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाहियों को बंद करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा,—

(क) जब तक निर्धारिती को सुना नहीं गया हो या सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;

(ख) उस तिमाही के अंत से, जिसमें धारा 246 या धारा 246क या धारा 253 या धारा 260क या धारा 261 के अधीन पारित आदेश अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त नहीं हो जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है, छह मास की समाप्ति के पश्चात् ।

(4) धारा 274 की उपधारा (2) के उपबंध, उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने या उसे कम करने के आदेश को लागू होंगे ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित अवधि का अपवर्जन किया जाएगा,—

(क) धारा 129 के परंतुक के अधीन निर्धारिती को फिर से सुनवाई

का अवसर दिए जाने में लगा समय;

(ख) उस तारीख को आरंभ होने वाली अवधि, जिसको शास्ति के उद्ग्रहण के लिए कार्यवाही पर रोक किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा मंजूर की गई थी और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको रोक को रद्द करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी ।"।

धारा 276खख का संशोधन ।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 276खख में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध उस समय लागू नहीं होंगे यदि स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय, ऐसे संदाय के संबंध में धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन विवरण फाइल करने के लिए विहित समय पर या उससे पूर्व किसी समय केंद्रीय सरकार को जमा कर दिया गया है ।"।

नई धारा 285खकक का अंत:स्थापन ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार का विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता ।

"285खकक. (1) कोई व्यक्ति, जो क्रिप्टो आस्ति के संबंध में यथाविहित कोई रिपोर्टिंग अस्तित्व है, ऐसी क्रिप्टो आस्ति के किसी संव्यवहार के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे आय-कर प्राधिकारी को, जो विहित किए जाएं, किसी विवरण में जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है, त्रुटि के संबंध में सूचित कर सकेगा और वह उसे उस त्रुटि का, ऐसी सूचना से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो अनुज्ञात की जाए, सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा और यदि त्रुटि का ऐसी अवधि के भीतर सुधार नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसे व्यक्ति ने विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी ।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, तो विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसा विवरण प्रस्तुत करे और वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (3) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में, विवरण प्रस्तुत किए जाने पर विवरण में उपलब्ध कराई गई सूचना में किसी गलती के बारे में ज्ञात होता है या गलती का पता चलता है तो वह दस दिन की अवधि के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे विवरण में हुई गलती के संबंध में जानकारी देगा तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सही जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(5) केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, निम्नलिखित को विहित कर सकेगी,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को विहित आय-कर अधिकारी

के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना ;

(ख) जानकारी की प्रकृति तथा वह रीति, जिसमें ऐसी जानकारी को खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा बनाए रखा जाएगा ; और

(ग) किसी क्रिप्टो आस्ति उपयोक्ता या स्वामी की पहचान के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा बरती जाने वाली सम्यक् तत्परता ।

(6) इस धारा में, 'क्रिप्टो आस्ति' का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (47क) के उपखंड (घ) में उसका है ।"।

दूसरी अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन ।

91. आय-कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 68ख के उपनियम (2) के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) उस तारीख से, जिसको उक्त कर, ब्याज, जुर्माने, शास्ति या किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिता प्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(ii) उस तारीख से, जिसको स्थावर संपत्ति की कुर्की या विक्रय की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको रोक निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारिताप्राप्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या" ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

धारा 18 का संशोधन ।

92. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उचित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनन्तिम रूप से निर्धारण किया जाए," शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उचित अधिकारी, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनन्तिम रूप से निर्धारण कर सकेगा,";

(ख) उपधारा (1क) में, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में," शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1ख) उचित अधिकारी, अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क को, उपधारा (1) के अधीन ऐसे निर्धारण की तारीख से दो वर्ष के भीतर अंतिम रूप देगा :

परंतु सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2025 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, उपधारा (1) के अधीन लंबित किसी अनंतिम निर्धारण के संबंध में, दो वर्ष की उक्त अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिसको उक्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है ।

(1ग) जहां उचित अधिकारी, इस कारण से उपधारा (1ख) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का अंतिम रूप से निर्धारण करने में असमर्थ है कि,—

(क) भारत से बाहर किसी प्राधिकारी से विधिक प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी मांगी जा रही है ; या

(ख) उसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की वैसे ही मामले में कोई अपील, अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है ; या

(ग) अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक का अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है ; या

(घ) बोर्ड ने वैसे ही मामले में, ऐसे मामले को लंबित रखने के लिए विनिर्दिष्ट निदेश या आदेश जारी किया है ; या

(ङ) समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड के समक्ष आयातकर्ता या निर्यातकर्ता का आवेदन लंबित है,

वहां उचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को, अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं देने के लिए कारण को सूचित करेगा और ऐसे मामले में, उपधारा (1ख) में विनिर्दिष्ट समय अनंतिम निर्धारण की तारीख से लागू नहीं होगा, अपितु उस तारीख से लागू होगा, जब ऐसा कारण विद्यमान नहीं है ।"।

नई धारा 18क का अंत:स्थापन ।

93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

निकासी पश्चात् प्रविष्टि का स्वैच्छिक पुनरीक्षण ।

"18क. (1) धारा 149 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, निकासी के पश्चात्, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, माल के संबंध में पहले ही की गई प्रविष्टि का पुनरीक्षण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने पर, माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, शुल्क का स्वत: निर्धारण करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की गई पुनरीक्षित प्रविष्टि और किए गए स्वत: निर्धारण का परिणाम,—

(क) किसी शुल्क का कम उद्ग्रहण, उद्ग्रहण न होना, कम संदत्त या संदत्त न होना है, तो ऐसे माल के आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा उसका धारा 28कक के अधीन ब्याज के साथ स्वैच्छया संदाय किया जा सकेगा ;

(ख) ऐसे माल पर संदेय शुल्क के आधिक्य में संदत्त शुल्क या ऐसे माल पर संदत्त संपूर्ण शुल्क के रूप होता है, जिसमें प्रतिदाय अपेक्षित है, तो ऐसी पुनरीक्षित प्रविष्टि धारा 27 के अधीन प्रतिदाय के लिए दावा के रूप में समझी जाएगी ।

(4) उचित अधिकारी,—

(क) समुचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर मुख्यतः चयनित मामलों में उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की गई पुनरीक्षित प्रविष्टि और किए गए स्वत: निर्धारण का सत्यापन कर सकेगा ;

(ख) जहां उपधारा (2) के अधीन स्वत: निर्धारण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, वहां ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का पुन: निर्धारण कर सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन प्रविष्टि का पुनरीक्षण निम्नलिखित मामलों में नहीं किया जाएगा,—

(क) वे मामले, जहां अध्याय 12क के अधीन कोई संपरीक्षा या अध्याय 13 के अधीन तलाशी, अभिग्रहण या समन कार्यवाही आरंभ कर दी गई है और संबंधित आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को सूचित कर दिया गया है ;

(ख) वे मामले जिनमें प्रतिदाय वहां अपेक्षित है जहां उचित अधिकारी ने धारा 17 के अधीन शुल्क का पुन: निर्धारण किया है या धारा 18 के अधीन या धारा 84 के अधीन शुल्क का निर्धारण किया है ;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।"।

94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 27 का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन प्रतिदाय के दावा या धारा 149 के अधीन दस्तावेजों के संशोधन के मामले में एक वर्ष की परिसीमा की अवधि की संगणना ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख से की जाएगी ।"।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 28 का संशोधन ।

"(खक) उस दशा में, जहां शुल्क धारा 18क की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन संदत्त किया जाता है, वहां शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख ;"।

96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क में,— धारा 127क का संशोधन ।

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1944 का 1 '(घक) "अंतरिम बोर्ड" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31क के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ङक) "लंबित आवेदन" से धारा 127ख के अधीन 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) इसे धारा 127ग के अधीन अनुज्ञात किया गया है ; और

(ii) धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को या उसके पूर्व कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ।'।

धारा 127ख का संशोधन ।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई आवेदन 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि अंतरिम बोर्ड के गठन की तारीख से ही, बोर्ड द्वारा प्रत्येक लंबित आवेदन पर उस प्रक्रम से कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन उसके गठन के ठीक पूर्व विद्यमान था ।"।

धारा 127ग का संशोधन ।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'(11) 1 अप्रैल, 2025 से ही,—

(क) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (8क) के उपबंध, लंबित आवेदनों को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि "समझौता आयोग", शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अंतरिम बोर्ड", शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (7) में, "न्यायपीठ", शब्द के स्थान पर, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे गए हों ।

(12) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अंतरिम बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31क के अधीन उसके गठन की तारीख से तीन मास के भीतर, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, उपधारा (8क) में निर्दिष्ट समय सीमा को, ऐसे गठन की तारीख से बारह मास से अनधिक की ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।'। 1944 का 1

धारा 127घ का संशोधन ।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127घ की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 127च का संशोधन ।

100. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127च की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन अंतरिम बोर्ड द्वारा

समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127छ के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 127छ का संशोधन ।

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन अंतरिम बोर्ड द्वारा समझौता आयोग के कृत्य किए जाएंगे और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 127ज का संशोधन ।

"(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन अंतरिम बोर्ड द्वारा समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और इस धारा के सभी उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51 **103.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का,— पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) 1 मई, 2025 से, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

1944 का 1 **104.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 में,— धारा 31 का संशोधन ।

(i) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "अंतरिम बोर्ड" से धारा 31क के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) "लंबित आवेदन" से धारा 32ङ के अधीन 1 अप्रैल, 2025 से पूर्व फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) इसे धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया गया है ; और

(ii) धारा 32च की उपधारा (5) के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को या उसके पूर्व कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ।'।

105. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 31क का अंतःस्थापन ।

अंतरिम समझौता बोर्ड ।

"31क. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, लंबित आवेदनों के निपटान के लिए, एक या अधिक अंतरिम समझौता बोर्ड, जो आवश्यक हों, गठित करेगी :

परंतु अंतरिम बोर्ड के गठन की तारीख से ही, प्रत्येक लंबित आवेदन पर बोर्ड द्वारा उस प्रक्रम से कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ऐसा लंबित आवेदन इसके गठन के ठीक पूर्व विद्यमान था ।

(2) प्रत्येक अंतरिम बोर्ड तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें प्रत्येक मुख्य आयुक्त या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होगा, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(3) यदि अंतरिम बोर्ड के सदस्य, किसी प्रश्न पर राय में भिन्नता रखते हैं तो वह प्रश्न बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा ।

(4) अंतरिम बोर्ड की सहायता, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाएगी ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

106. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन इस प्रकार गठित समझौता आयोग, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा ।"।

धारा 32क का संशोधन ।

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32क की उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 32ख का संशोधन ।

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ख की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 32ग का संशोधन ।

109. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ग में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 32घ का संशोधन ।

110. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32घ में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 32ङ का संशोधन ।

111. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई आवेदन इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 32च का संशोधन ।

112. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'(11) 1 अप्रैल, 2025 से ही,—

(क) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (5क), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, इस उपांतरण के साथ लंबित आवेदनों को लागू होंगे कि "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "आदेश की तारीख से सात दिन" शब्दों के स्थान पर, "आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (7) में, "न्यायपीठ" शब्द के स्थान पर, "अंतरिम बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) के उपबंध इसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "समझौता आयोग या अंतरिम बोर्ड" शब्द रख दिए गए हों ।

(12) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अंतरिम बोर्ड, धारा 31क के अधीन इसके गठन की तारीख से तीन मास के भीतर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय-सीमा को, ऐसे गठन की तारीख से बारह मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।'।

धारा 32छ का संशोधन ।

113. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32छ की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2025 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन अंतरिम बोर्ड द्वारा समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32झ का संशोधन ।

114. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32झ की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ञ का संशोधन ।

115. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ञ के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन समझौता आयोग के कृत्यों का पालन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ट का संशोधन ।

116. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन अंतरिम बोर्ड द्वारा समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ठ का संशोधन ।

117. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ठ की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के अधीन अंतरिम बोर्ड द्वारा समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ड का संशोधन ।

118. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32ण का संशोधन ।

119. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

धारा 32त का संशोधन ।

120. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32त में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 से ही, इस धारा के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिम बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।"।

केंद्रीय माल और सेवा कर

धारा 2 का संशोधन ।

121. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 2017 का 12
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (61) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की 2017 का 13
उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (69) में,—

(क) उपखंड (ग) में "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, नागरिक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए स्थापित और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोग करने के लिए, शक्तियुक्त विधि द्वारा निहित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;

(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, नागरिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोग करने के लिए, शक्तियुक्त विधि द्वारा निहित स्थानीय स्वशासन किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है ;'।

122. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा । धारा 12 का संशोधन ।

123. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा । धारा 13 का संशोधन ।

124. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में,— धारा 17 का संशोधन ।

(i) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर, "संयंत्र और मशीनरी" शब्द रखे जाएंगे और इन्हें 1 जुलाई, 2017 से रखा हुआ समझा जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण 2—खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के प्रति किसी प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा तथा यह अर्थ लगाया गया समझा जाएगा कि वह "संयंत्र और मशीनरी" के प्रतिनिर्देश है ।'।

125. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,— धारा 20 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम 2017 का 13 की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस 2017 का 13 अधिनियम की धारा 9 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

धारा 34 का संशोधन ।

126. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

(i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है ।"।

धारा 38 का संशोधन ।

127. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में,—

(i) उपधारा (1) में "स्वत: सृजित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "कोई विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) "के अधीन स्वत: जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (ख) में, "धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, "जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण भी सम्मिलित हैं" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

128. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "रीति और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 107 का संशोधन ।

129. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो ।"।

धारा 112 का संशोधन ।

130. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील

फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो ।"।

नई धारा 122ख का अंत:स्थापन।

131. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति ।

"122ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ।"।

नई धारा 148क का अंत:स्थापन।

132. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि ।

"148क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) माल ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलैक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी ;

(ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,—

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएगा ;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज बनाए रखेगा ;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा,

जो विहित की जाए ।"।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

133. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में,—

(i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा और यह 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति ;";

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, "पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए" शब्दों और अंक के स्थान पर, "पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 3**—पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन" "मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं ।'। 2005 का 28

संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाना ।

134. सभी ऐसे कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहीत किया गया है किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता, यदि धारा 13 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती ।

सेवा कर

मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पुनः बीमा सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में सेवा कर से भूतलक्षी छूट के लिए विशेष उपबंध ।

135. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की धारा 66, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 से पूर्व विद्यमान थी, या उक्त अधिनियम के उक्त अध्याय की धारा 66ख, जैसी वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उक्त अध्याय के लोप से पूर्व विद्यमान थी, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 के साथ समाप्त होने वाली (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अवधि के दौरान मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अधीन पुनः बीमा के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए करार की गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा या संग्रहीत नहीं किया जाएगा । 2017 का 12

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा जिसे संग्रहीत किया गया है किंतु जिसे इस प्रकार संग्रहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त नहीं हुई होती :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा जिसको वित्त विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है ।

(3) उक्त अध्याय के लोप के होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन भूतलक्षी रूप से प्रतिदाय को उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अध्याय सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त रहा था ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

136. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2025 से "2025" अंकों के स्थान पर, "2027" अंक रखे जाएंगे । 2002 के अधिनियम सं0 58 का संशोधन ।

भाग 2

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 का संशोधन

सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनके प्रबंध से संबंधित विधि को संशोधित करना समीचीन है;

और "राज्य का लोकऋण" की विषय-वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा संकल्प पारित किए गए हैं कि इन राज्यों में पूर्वोक्त विषयों का विनियमन संसद् की विधि द्वारा किया जाना चाहिए ।

137. (1) यह भाग प्रथमत: संपूर्ण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा और वह ऐसे अन्य राज्य को भी लागू होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस भाग का अंगीकार करते हैं । इस भाग का लागू होना ।

(2) यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को तुरंत लागू होगा और ऐसे किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस भाग को अंगीकार करता है, इस प्रकार अंगीकार किए जाने की तारीख को लागू होगा और इस भाग में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस भाग के किसी राज्य को लागू होने के संबंध में प्रतिनिर्देश से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको यह भाग ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त होता है ।

2006 का 38 **138.** सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना के पैरा 3 में, ''जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल के सिवाय, सभी राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में'' शब्दों के स्थान पर, "सभी राज्यों के विधान-मंडलों के सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में" शब्द रखे जाएंगे । प्रस्तावना का संशोधन ।

139. मूल अधिनियम की धारा 1 में,— धारा 1 का संशोधन ।

(i) उपधारा (3) में, ''जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सभी राज्यों को और सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होता है और यह जम्मू-कश्मीर राज्य को भी, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को उस निमित्त

पारित संकल्प द्वारा अंगीकार करे,'' शब्दों, अंको और कोष्ठकों के स्थान पर, "सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "और जम्मू कश्मीर राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकृत करे" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

140. मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में,—

(i) ''किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) ''और धारा 3 में वर्णित रूपों में से किसी एक रूप में है'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

141. मूल अधिनियम की धारा 3 में, ''ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

142. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के अंत में आने वाले, ''आदेश को प्रभावित नहीं करेगी ।'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत धारा 2 के खंड (च) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की अंतरणीयता पर किसी निर्बंधन को प्रभावित करने के रूप में समझा जाएगा ।'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 31 का संशोधन ।

143. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 32 का संशोधन ।

144. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) में, ''और वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

1944 के अधिनियम सं0 18 का निरसन और व्यावृत्ति ।

145. (1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 को निरसित किया जाता है । 1944 का 18

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई किसी बात या किसी कार्रवाई को इस प्रकार इस भाग द्वारा यथासंशोधित सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 द्वारा या (2006 का 38) उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी, मानो उक्त अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था, जिसको ऐसी कोई बात या कार्रवाई की गई थी ।

(3) निरसित अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को, जो इस भाग के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के (2006 का 38) अधीन बैंक द्वारा बनाए गए विनियम समझा जाएगा ।

भाग 3

वित्त अधिनियम 2016 में संशोधन

2016 का अधिनियम 28 का संशोधन ।

146. वित्त अधिनियम, 2016 में 1 अप्रैल, 2025 से—

(i) धारा 163 की उपधारा (3) के खंड (क) में, "इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्", शब्दों के पश्चात् "किंतु 1 अप्रैल, 2025, से पहले" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) धारा 165 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा

अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(3) इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा किसी विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्राप्त या प्राप्य किसी प्रतिफल को लागू नहीं होगें ।"।

भाग 4

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन दायित्वों के संबंध में व्यय के लिए सिद्धांतों का विधिमान्यकरण

संविधान का अनुच्छेद 309 यह उपबंध करता है कि, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे ;

और, संघ के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित की जाती हैं ;

और, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित की जानी थी जिसे तत्पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 (जिन्हें इस भाग में इसके पश्चात् पेंशन नियम कहा गया है) और इनसे संबंधित विषयों के लिए समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था ; जो केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन के पुनरीक्षण को, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जारी किसी साधारण आदेश के अनुसार अनुज्ञात करता है ;

और, केंद्रीय वेतन आयोग, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के फायदों सहित परिलब्धियों की संरचना की संपूर्ण परिधि के आवधिक पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ निकाय है, जो सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमान और भिन्न-भिन्न भत्तों, विशिष्टितया पेंशन दावों और दायित्वों की सिफारिश करता है ;

और, तीसरे वेतन आयोग तक, यह एक सामान्य अभिमत था कि भूतकालिक और भविष्यकालिक पेंशनभोगियों को एक समान नहीं माना जा सकता और प्रथा यह थी कि पेंशन में सुधार का फायदा भविष्यलक्षी तारीख से नए सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को उपलब्ध होगा ; और तत्पश्चात्, चौथे वेतन आयोग ने पुनरीक्षित वेतनमान में अनुज्ञेय पेंशन के संदर्भ में पेंशन के समानीकरण के सुझाव पर विचार किया और इसे स्वीकार नहीं किया, तथा अपनी रिपोर्ट में भी राज्य सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [एसएलपी (सिविल) सं0 14179-80, 1985] के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को भी निर्दिष्ट किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार संप्रेक्षण किया,—

"इसी प्रकार की चीजों के बारे में वेतनमान में सुधार भूतलक्षी प्रभाव से किया जा सकता है, जिससे यह उन व्यक्तियों को लागू किया जा सके, जो ऊपरी पुनरीक्षण की तारीख को नियोजन में है । उन व्यक्तियों ने, जो मानो वर्ष 1950, वर्ष 1960 या वर्ष 1970 नियोजन में थे, तत्कालीन विद्यमान जीवन-निर्वाह व्यय संरचना तथा वेतनमान संरचना के आधार पर निर्वाह किया, व्यय किया और

बचत की, मानलो वर्ष 1980 में प्रवृत्त किए गए उच्चतर वेतनमान का दावा करने के लिए अनुच्छेद 14 का आश्रय नहीं ले सकते । यदि ऊपरी वेतन पुनर्रीक्षण अनुच्छेद 14 के कारण भविष्यलक्षी रूप से नहीं किया जा सकता है, शायद ऐसा कोई पुनरीक्षण पहले कभी किया ही न गया हो ।";

और, पांचवे और छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने, क्रमशः 1 जनवरी, 1996 से पहले और उसके पश्चात् तथा 1 जनवरी, 2006 से पहले और उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संदेय पेंशन के बीच अंतर को भी बनाए रखा गया था, परिणामत: 1 जनवरी, 2006 को, ऐसे भूतकाल में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों, जो 1 जनवरी, 2006 से कार्यान्वित, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार, छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में पुनर्रीक्षण के आधार पर उस तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, और जो उस तारीख के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए थे, ऐसे कर्मचारियों के बीच विद्यमान पेंशन में अंतर, पेंशन पुनर्रीक्षण सूत्रों, जो 1 जनवरी, 2006 से पहले या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी की पेंशन के बीच समानता को पूरा करने की कोटि में नहीं आती है ;

और, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वर्तमान तथा भूतकालिक के पेंशनभोगियों के विवेचन पर पुनःविचार किया गया था और उसकी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि पेंशन का मुद्दा भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष असंख्य मामलों में बहस का विषय रहा है और अभिमतों में भिन्नता रही है ;

और, सरकारी कर्मचारी को संदेय पेंशन को दी गई सेवा के लिए प्रतिकर के आस्थगित भाग के रूप में नहीं कहा जा सकता और प्रायिकत :किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित प्रतिकर में सेवाकाल के दौरान परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वे आवधिक रूप से केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों या अन्यथा के कार्यान्वयन के कारण पुनर्रीक्षित किए जाते हैं और इस प्रकार प्रतिकर के व्युत्पन्न के रूप में पेंशन में भी फेरफार हो सकता है ;

और, ऐसे अंतरों को अधिरोपित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित है और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का परिणाम अपरिहार्य है ;

और, भारत संघ बनाम ऑल इंडिया एस-30 पेंशनर्स एसोसिऐशन और अन्य के मामले में 2024 की एसएलपी (सिविल) सं0 29124 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने ऐसे अंतर को मिटा दिया है और इस आधारवाक्य पर अग्रसर हुआ है कि सरकार के पास केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर ऐसे अंतर के लिए उपबंध करने के प्राधिकार का अभाव है ;

और, न्यायालयों के निर्वचनों के संबंध में कार्रवाई करना और केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित मुद्दे का समाधान करना आवश्यक और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए पेंशन नियमों और अनुदेशों के संबंध में कार्यवाही करते हुए किसी विधिमान्यकरण विधान के द्वारा ऐसे अंतर वाली सुसंगतता को बनाए रखना समीचीन हो गया है ।

भाग का प्रारंभ ।

147. यह भाग 1 जून, 1972 को प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

148. इस भाग में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पेंशनभोगी" से पेंशन नियमों के अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अभिप्रेत है ; और

(ख) "पेंशन नियम" से संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और उसके

अधीन जारी किए गए अनुदेशों के अधीन बनाए गए, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जैसा यह इसके प्रवर्तन में न रह जाने से पूर्व विद्यमान था ; या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 अभिप्रेत है ।

केंद्रीय सरकार की शक्तियां और प्राधिकार ।

149. (1) केंद्रीय सरकार को, पेंशन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण सिद्धांत के रूप में पेंशनभोगियों में अंतर स्थापित करने का प्राधिकार होगा ।

(2) केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, और ऐसे सन्नियमों, सिद्धांतों तथा पद्धति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, के अधीन रहते हुए, ऐसे पेंशनभोगियों के बीच अंतर किया जा सकेगा या अंतर बनाया रखा जा सकेगा, जो केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों से उद्भूत हो, और, विशिष्टितया, पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के लागू होने की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों की स्वीकृति के संबंध में ऐसे सन्नियमों, सिद्धांतो और पद्धति को, जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे पेंशनभोगियों के बीच अंतर है, जो ऐसी सिफारिश की स्वीकृति और विशिष्टितया, पेंशन दावों और दायित्वों से उद्भूत हो, समय-समय पर, अधिकथित कर सकेगी ।

(4) किसी विशिष्ट केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार, पेंशन के सन्नियम, सिद्धांत और पद्धति ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, और ऐसी स्वीकृत सिफारिश का फायदा पूर्वत्तर तारीख से प्रभावी नहीं होगा ।

विधिमान्यकरण ।

150. किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और पेंशन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार में, अपने पेंशनभोगियों को वर्गीकृत करने के लिए, प्राधिकार निहित है और यह प्राधिकार सदैव उसमें निहित हुआ समझा जाएगा और इस भाग के अधीन केंद्रीय वेतन पेंशनभोगियों के बीच ऐसा अंतर सृजित कर सकेगी या बनाए रख सकेगी, जो आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए समीचीन समझा जाए ;

(ख) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीख अंतर का आधार होगा और पेंशन हकदारी के संबंध में वर्गीकरण के लिए भी आधार होगी ।'।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक	कुछ नहीं ;

नहीं है	
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है ।	1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं

होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2022-2023 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्ति चार अरब रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय	कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	50 प्रतिशत ;
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	2 प्रतिशत ;
(vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;	
(vii) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं	12.5 प्रतिशत ;

हैं] के रूप में अन्य आय पर	
(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार ली गई धन राशियों या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	20 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर	30 प्रतिशत ;

(अः) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(र) उपमद (ख)(i)(अः) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ल) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	20 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	20 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;

(ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक अन्य आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	12.5 प्रतिशत ;
(अं) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(अः) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(र) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।

2. किसी कंपनी की दशा में,—

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—

(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(v) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—

(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा	20 प्रतिशत ;

(1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है

(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो मद (ख)(v) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—

(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;

(vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(viii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(x) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर	12.5 प्रतिशत ;
(xi) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	12.5 प्रतिशत ;

(xii) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट, लाभांश के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(xiii) मद (ख)(xii) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(xiv) किसी अन्य आय पर — 35 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण–इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्ति-निकाय की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और

उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) किसी व्यक्तियों के संगम, जो अनिवासी है, और उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकग या धारा 115खकघ या धारा 115खकङ या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115खखज या धारा 115खखझ या धारा 115खखञ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :–

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से	कुछ नहीं ;

अधिक नहीं है	
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,10,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,00,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच

करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30

प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2023-2024 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	50 प्रतिशत ;
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न], धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम

के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस

प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल,

2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 या 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2026 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-

आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 103(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(i) अध्याय 60 में, टैरिफ मद 6004 10 00, 6004 90 00, 6006 22 00, 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 42 00 और 6006 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 115 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8528 59 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 103(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 10 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**अनुपूरक टिप्पण :**

1. टैरिफ मद 1006 30 11 और 1006 30 91 के प्रयोजनों के लिए, "चावल, भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) मान्यताप्राप्त" माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) रजिस्ट्री द्वारा परिभाषित और मान्यताप्राप्त चावल की किस्मों को निर्दिष्ट करता है ।';

(ii) शीर्ष 1006 में, उपशीर्ष 1006 30, टैरिफ मद 1006 30 10 से 1006 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1006 30	-	*अर्ध कूटा गया या पूर्ण कूटा गया चावल, चाहे पालिश किया गया या चमकाया गया है या नहीं :*			
	---	*उसा हुआ :*			
1006 30 11	----	चावल, भौगोलिक उपदर्शन मान्यताप्राप्त	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 12	----	बासमती चावल	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	70%	-
	---	अन्य :			
1006 30 91	----	चावल, भौगोलिक उपदर्शन मान्यताप्राप्त	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 92	----	बासमती चावल	कि.ग्रा.	70%	-
1006 30 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	70%	-";

(2) अध्याय 15 में, टैरिफ मद 1520 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(3) अध्याय 20 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**अनुपूरक टिप्पण :**

1. टैरिफ मद 2008 19 21 से 2008 19 29 के प्रयोजनों के लिए, "मखाना" पद से यूरेल फेरोक्स सेलिस्ब पौधे का बीज अभिप्रेत है और यह सामान्यत: गोरगोन नट या मखाना के नाम से भी जाना जाता है ।';

(ii) शीर्ष 2008 में, टैरिफ मद 2008 19 20 से 2008 19 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"--- *मखाना :*

2008 19 21	----	तड़का लगा हुआ	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 22	----	आटा और चूर्ण	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	150%	-
	---	*अन्य :*			
2008 19 91	----	अन्य भुने हुए दृढफल और बीज	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 92	----	अन्य दृढ़फल, अन्यथा निर्मित या परिरक्षित	कि.ग्रा.	150%	-
2008 19 93	----	अन्य भुने हुए और तले हुए वनस्पति उत्पाद	कि.ग्रा.	30%	-
2008 19 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(4) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2515 11 00, 2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90, 2516 11 00 और 2516 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 26 में,—

(i) टैरिफ मद 2603 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ मद 2605 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) टैरिफ मद 2609 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) टैरिफ मद 2611 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) शीर्ष 2613 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) शीर्ष 2615 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) टैरिफ मद 2617 10 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 27 में,—

(i) शीर्ष 2710 में, टैरिफ मद 2710 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2710 91	--	जिसमें पाली क्लोरीनेटित बाइफिनायल (पीसीबी) पालीक्लोरिनेटित टरफिनायल (पीसीटी) या पालीबोरोनेटित बाइफिनायल (पीबीबी) अंतर्विष्ट है :			
2710 91 10	---	जिसमें 50 मिलिग्राम/किलोग्राम या अधिक के सांद्र स्तर पर बहुक्लोरीनेटित बाइफिनायल (पीसीबी) अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	5%	-
2710 91 20	---	अन्य, जिसमें बहुक्लोरिनेटित टरफिनायल (पीसीटी) या बहुबोरोनेटित बाइफिनायल (पीबीबी) है, चाहे 50 मिलिग्राम/ किलोग्राम से कम के सांद्र स्तर पर बहु क्लोरीनेटित बाइफिनायल भी अंतर्विष्ट है या नहीं	कि.ग्रा.	5%	-
2710 91 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(ii) टैरिफ मद 2711 12 00 और 2711 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 2711 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 28 में,—

(i) टैरिफ मद 2809 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ मद 2810 00 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) शीर्ष 2812 में, टैरिफ मद 2812 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 2813 में, टैरिफ मद 2813 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2813 90 30	---	चूना सल्फर	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(v) शीर्ष 2853 में, टैरिफ मद 2853 90 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2853 90 50	---	मैग्निशियम फास्फाइड प्लेट, जिंक फास्फाइड	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(8) अध्याय 29 में,—

(i) अनुपूरक टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'**अनुपूरक टिप्पण :**

1. टैरिफ मद 2906 11 10 के प्रयोजनों के लिए "प्राकृतिक मेन्थोल" पद से जैविक यौगिक (सी$_{10}$एच$_{20}$ओ) अभिप्रेत है, जिसे जापानी किस्म के पुदीना तेल या मेन्थाल आर्वेन्सिस के नाम से ज्ञात मेन्थोल पुदीना के आसवन से प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत किसी रासायनिक मार्गों के माध्यम से कृत्रिम रूप से बनाए गए जापानी किस्म के पुदीना तेल या मेन्था आर्वेन्सिस के नाम से ज्ञात मेन्थोल पुदीना नहीं आता है ।

2. टैरिफ मद 2916 39 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 2916 39 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

अल्फानैफ्थाइल ऐसिटिक अम्ल, साइक्लेनीलाइड, क्रेसोक्सिम मिथायल, मेटोफ्लूथाइन, परमेथ्रीन, रेनोफ्लूथ्राइन, ट्रांसफ्लूथ्राइन ।

3. टैरिफ मद 2918 99 30 के अंतर्गत उपशीर्ष 2918 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

2,4-डी अमाइन लवण, 2,4-डी- इथाएल एस्टर, 2,4-डी सोडियम लवण, 2,4-डाईक्लोरोफेनोक्सी ऐसिटिक अम्ल, प्रोहेक्साडाइन कैल्शियम, एस-बायोऐलेथ्रीन, सोडियम ऐसिफ्लोरेफेन ।

4. टैरिफ मद 2924 19 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 19 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बेन्डियोकार्ब, कार्बोक्सीन, क्लोरप्रोफेम, फेनोबुकार्ब (बीपीएमसी), फ्लुजियानडोलीजायन, मेथोमाइल, मेटोलेचलर, प्रोपैमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड, थायोडाइकार्ब ।

5. टैरिफ मद 2924 21 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 21 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बाइफेनेजेट, कार्बोसलफान, साइफ्लूफेनामाइड, फेनोक्सानाइल, फ्लूफेनोक्सरैन, इपफेनकार्बाजोन, लूफेनूरोन, मेटाफ्लूमाइजोन, मेटसल्फ्यूरोन मिथायल, नोवाल्यूरोन, आर्थोसल्फाम्यूरोन, पैनसीक्यूरोन, टैफलूबैनजूरोन, ट्राइफलोक्सीसल्फयूरोन सोडियम ।

6. टैरिफ मद 2924 29 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 2924 29 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

प्रेटीलाचलर (आईएसओ), एनिलोफोस, बेनालैक्साइल, बेनालैक्साइल एम, ब्रोफ्लानिलाइड, बुटाक्लर, कारप्रोपामाइड, साइक्लानीलिप्रोल, डाइफ्लूबेनजूरोन, डाइमेथेनामाइड-पी, डाइयूरन, फ्लूएक्सामेटामाइड, आइप्रोवालीकार्ब, मैन्डीप्रोपामाइड, मेटालैक्सायल-एम, प्रोपानिल, प्रोपोक्सर, पायडाईफ्लूमेटोफैन ।

7. टैरिफ मद 2926 90 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2926 90 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

अल्फासाइपरमेथ्रीन, बेटा साइफ्लूथ्रीन, क्लोरोथालोनिल, साइफ्ल्यूमेटोफैन, साइफ्लूथ्रीन, साइहलोफोप-बुटाइल, साइमोक्सानिल, साइफैनोथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन (डेकामेथ्रीन), डाइथायनॉन, फेनप्रोपाथ्रीन, फेनवैलेरेट, फ्लूवेलाइनेट, हाइड्रोजन सायनामाइड, लैमब्डासाइहैलोथ्रीन, माइक्लोबुटानिल ।

8. टैरिफ मद 2930 20 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2930 20 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड (आईएसओ), मैन्कोजैब, मेटिरैम, प्रोपाइनैब, थायोबेनकार्ब (बैनथायोकार्ब), ट्रायलैट, जीराम ।

9. टैरिफ मद 2930 90 92 के अंतर्गत उपशीर्ष 2930 90 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐसेफेट (आईएसओ), फोरैट (आईएसओ), कैप्टन, क्लेथोडिम, डाइफैन्थाइरोन, इथायोन, मालाथायोन, ऑक्सीडेमेथाइन-मिथायल, फेन्थोयोएट, प्रोफेनोफोस, टेमफोस, थायोफेनेट-मिथायल ।

10. टैरिफ मद 2932 20 30 के अंतर्गत उपशीर्ष 2932 20 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ब्रोडिफाकोयम, ब्रोमाडायोलोन, कोयमाचलर, कोयमाटेट्राल्यल, फ्लोकोयमाफेन, मिल्बेमेस्टिन, स्पिरोमेसिफेन ।

11. टैरिफ मद 2933 19 92 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 19 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

सीएनोपाइराफेन, फेनपाइरोक्सीमेट, फिप्रोनिल, फ्लुक्सापयरोक्सड, पैनफ्लूफेन, पाइराक्लोस्ट्रोबिन, पाइरोक्सास्लफोन, टेट्रोनिलिप्रोल, टोलफेनपाइराद, टोप्रामेजोन ।

12. टैरिफ मद 2933 29 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 29 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

आइमिदाक्लोप्रिड (आईएसओ), फेनामाइडोन, आइमेजामोक्स, आइमिप्रोथ्रीन, आइप्रोडाइने, प्रोक्लोराज ।

13. टैरिफ मद 2933 31 10 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 31 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

फ्लोरपाइरोक्सिफेन बेनजाइल, फ्लुरोक्सीपायर मेपटायल, हैलोक्सीफेन-मिथायल, हैलोक्सीफोप-आर-मिथायल, पैराक्वैट डायक्लोराइड, पायरीफ्लूक्यैनेजोन, ट्राइक्लोपायर अम्ल, ट्राइक्लोपायर बटोटायल ऐस्टर ।

14. टैरिफ मद 2933 39 23 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 39 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

एफाइडोपायरोपेन, बोसकालिड, क्लोपायरिफोस, क्लोपायरिफोस मिथायल, क्लोडिनाफाप-प्रोपाजाइल, सियानट्रानिलिप्रोल, फ्लोनिकमिड, फ्लोरपाइरोक्सिफेन-बेनजाइल, फ्लोरीफाप-पी-बुटायल, फ्लोपीकोलाइड, फ्लोपाइराम, फोरक्लोरफेनुरान, हैलोक्सीफोप-पी-मिथायल, पाइकोसीस्ट्रोबिन, पाइरिडलइयल, पायरोफेनोन, पायराइप्रोक्सीफेन, सलफोक्साफ्लोर ।

15. टैरिफ मद 2933 59 50 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 59 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बाइस्पायरिबैक-सोडियम (आईएसओ), एमेट्रोक्ट्राडिन, एजोक्सीस्ट्राबिन, बेन्जपाइरिमोक्सम, बुप्राइमेट, फ्लोरासलम, पोल्योक्सीन डी जिंक लवण, प्राइमीफास-मिथायल, पायरीबेनजोक्सीम, पायरीफटेलिड,

पायरीथायोबैक सोडियम, ट्राइफ्लूमेजोपायरिम ।

16. टैरिफ मद 2933 69 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 69 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐमेट्राइन, ऐट्राजीन, कारफेनट्राजोन एथायल, साइप्रोकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, फ्लुसिलाजोल, हेक्साकोनाजोल, हेक्साजिनोन, इंडाजिफ्लेम, आयोडोस्लफ्यूरान मिथायल सोडियम, मेफेनट्राइफ्लूआकोनाजोल, मेटामिट्रोन, मेट्राईबुजिन, पैक्लोबुट्राजोल, प्रोपिकोनाजोल, पाइमेट्रोजिन, टेबुकोनाजोल, टेट्राकोनाजोल, ट्रायाडिमेफेन, ट्रायाक्लाजोल, ट्राईटीकोनाजोल ।

17. टैरिफ मद 2933 99 20 के अंतर्गत उपशीर्ष 2933 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

कारबेंडाजिम (आईएसओ), बाइटरटैनॉल, क्लोरफेनापायर, क्लोरफ्लुआजुरॉन, फेनाक्साप्रोप-पी-एथायल, फ्लुफेनजाइन, फ्लुपाइराडिफुरॉन, पैनकोनाजोल, प्रोपाक्याजोफोप, क्वियजालोफोप-पी-टेफुराइल, ट्रायाजोफॉस ।

18. टैरिफ मद 2934 99 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2934 99 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

बेन्टाजोन, बाइक्स्लोजोन, क्लोमाजोन, डैजोमेट, डाइमेथोमोर्फ, एटोक्साजोल, फ्लुऐनसलफोन, फ्लुफेनासेट, फ्लुमियोक्साजिन, हैक्साथायाजोक्स, इनडोक्साकार्ब, आईसोसाइक्लोसीरम, ऑक्साडायरजिल, ऑक्साडायजॉन, फोसालॉन, पाइनाक्साडेन, थायक्लोप्रिड, थायोसाइक्लैम हाइड्रोजन ऑक्सालेट, वैलिफेनालेट ।

19. टैरिफ मद 2935 90 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 2935 90 के निम्नलिखित माल में से कोई माल आता है :

ऐमिसलब्रोम, एजिम्सलफुरोन, बेनसलफुरोन मिथायल, क्लोरिमुरॉन एथायल, सायजोफैमाइड, साइजोफैमाइड, डाक्लोसुलैम, फ्लुसेटोसलफुरॉन, हैलोसलफुरॉन मिथायल, मिजोसलफुरॉन मिथायल, पैनोक्ससुलैम, पायराजोसलफुरॉन ईथायल, पायरोक्ससुलैम, सलफेनट्राजोन, सल्फोसल्फयूरोन, ट्रायफामोन, ट्रायसल्फ्यूरोन ।';

(ii) शीर्ष 2902 में, टैरिफ मद 2902 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2902 19 20	---	1-मिथायल साइक्लोप्रोपेन	कि.ग्रा.	2.5%	-";

(iii) शीर्ष 2903 में,—

(क) टैरिफ मद 2903 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	ट्राइक्लोरोएथेन :			
2903 19 21	----	1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म)	कि.ग्रा.	5%	-
2903 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-
2903 19 40	---	एथिलीन डायक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण	कि.ग्रा.	5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2903 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2903 29	--	अन्य :			
2903 29 10	---	डाइक्लोरोप्रोपीन और डाइक्लोरोप्रोपेन मिश्रण (डीडी मिश्रण)	कि.ग्रा.	5%	-
2903 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2903 79 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात् :—

"2903 79	--	*अन्य :*			
2903 79 10	---	*क्लोरोटेट्राफ्लूरोएथेन्स*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 79 20	---	*केवल फ्लोरीन और क्लोरीन वाली हैलोजेनेटेड मिथेन, इथैन या प्रोपेन के अन्य व्युत्पन्न*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 79 30	---	*केवल फ्लोरीन और ब्रोमीन वाली हैलोजेनेटेड मिथेन, इथैन या प्रोपेन के व्युत्पन्न*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 79 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2903 89 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2903 89	--	*अन्य :*			
2903 89 10	---	हैक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन्स (एचबीसीडी)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2903 89 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(iv) शीर्ष 2905 में,—

(क) टैरिफ मद 2905 19 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- 3,3-*डाइमेथिलब्यूटैन*-2-*ओएल* (*पिनाकोलायल एल्कोहल*)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2905 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2905 19 20	---	ट्राइकोनटानॉल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(v) शीर्ष 2906 में, टैरिफ मद 2906 29 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2906 29 30	---	डाइकोफोल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vi) शीर्ष 2907 में, टैरिफ मद 2907 29 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2907 29 40	---	एक्विनोसिल, मेटामिफोप	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vii) शीर्ष 2908 में, टैरिफ मद 2908 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2908 99 30	---	डाइनोकैप, मेपटायलडाइनोकोप, सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(viii) शीर्ष 2909 में,—

(क) टैरिफ मद 2909 30 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2909 30 13	----	इथोक्सीसलफुरॉन, फैमोक्साडोन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2909 30 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2909 30 40	---	डेकाब्रोमोडाइफिनाइल इथर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2909 30 50	---	इथोफेनप्रोक्स (इटोफेनप्रोक्स), फोमेसफेन, ऑक्सीफ्लोरफेन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2909 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2909 60	-	एल्कोहल परोक्साइट, इथर परोक्साइट, एसिटल और हैमीएसिटल परऑक्साइड, किटोन परोक्साइट और उनके हैलोजेनेटित, सल्फोनेटित, नाइट्रेटित या नाइट्रोसेटित व्युत्पन्न :			
2909 60 10	---	एमसीपीए, अमाइन लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2909 60 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ix) शीर्ष 2910 में, टैरिफ मद 2910 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2910 90	-	अन्य *:*			
2910 90 10	---	इपाक्साकोनाजोल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2910 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(x) शीर्ष 2912 में, टैरिफ मद 2912 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2912 50	-	*एल्डिहाइडों के चक्रीय बहुलक :*			
2912 50 10	---	मेटाल्डिहाइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2912 50 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(xi) शीर्ष 2914 में,—

(क) टैरिफ मद 2914 29 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2914 29 60	---	पायरिडाबेन	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ख) टैरिफ मद 2914 39 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2914 39 50	---	मेसोट्रिओन, मेट्राफेनोन	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ग) टैरिफ मद 2914 69 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2914 69 30	---	स्पाइनेटोरम, स्पिनोसड	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(घ) टैरिफ मद 2914 79 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2914 79 60	---	टेमबोरट्रायन	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(xii) शीर्ष 2915 में, टैरिफ मद 2915 90 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2915 90 80	---	*परफ्लोरोआक्टेनाइक अम्ल और उनके लवण*	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(xiii) शीर्ष 2916 में,—

(क) टैरिफ मद 2916 19 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	*अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किए गए असंतृप्त अचक्रीय मोनोअम्ल के ऐस्टर :*			
2916 19 51	----	गोसीप्लूर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2916 19 59	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ख) टैरिफ मद 2916 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- बाइफेनथ्रीन (आईएसओ), प्राल्लेथ्रीन" प्रविष्टि रखी जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 2916 31 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 31 70	---	डायकाम्बा	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2916 39 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 39 70	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xiv) शीर्ष 2917 में, टैरिफ मद 2917 19 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2917 19 80	---	आइसोप्रोथियोलेन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xv) शीर्ष 2918 में,—

(क) टैरिफ मद 2918 30 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 30 60	---	डाइक्लोफोप-मिथायल, डी-ट्रांस एलेथ्रीन, पायरेथ्रीन (पायरेथ्रम)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2918 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2918 99 30	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xvi) शीर्ष 2920 में,–

(क) टैरिफ मद 2920 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2920 19 30	---	ऐडिफेनफोस, फेनिट्रोथीयॉन, इप्रोबेनफॉस (किटाजिन)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2920 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2920 90	-	*अन्य* :			
2920 90 10	---	प्रोपरजाइट	कि.ग्रा.	7.5%	-
2920 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xvii) शीर्ष 2921 में,–

(क) उपशीर्ष 2921 19 में, टैरिफ मद 2921 19 10 और 2921 19 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	एन, एन-डाइएलकिल (मिथायल, इथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) -2-इथायलामाइन्स और उनके प्रोटोनेटित लवण :			
2921 19 11	----	2-क्लोरो एन, एन-डाइआईसोप्रोपायल ईथायामीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 19 12	----	2-क्लोरो एन, एन-डाइमिथायल ईथायामीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 19 30	---	क्लोर्मेक्वेट क्लोराइड (सीसीसी)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2921 41 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2921 41 30	---	6-बेनजिलऐडीनील, बेफ्लुबुटामिड	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2921 42 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2921 42 50	---	फ्लुफ्लोरालीन, पैनडीमेथालीन, ट्राइफ्लुरालीन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2921 43 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	अन्य *:*			
2921 43 91	----	इथाफ्लुरालीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2921 43 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xviii) शीर्ष 2922 में, टैरिफ मद 2922 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*एन, एन-डाइएलकिल (मिथायल, ईथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) -2-एमिनो इथानोल और उनके प्रोटोनेटित लवण :*			
2922 19 11	----	*एन, एन-डाइमिथायल-2-एमिनो इथानोल और इसके प्रोटोनेटित लवण*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2922 19 12	----	*एन, एन-डाइएथील-2-एमिनो इथानोल और इसके प्रोटोनेटेड लवण*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2922 19 13	----	2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाइआईसोप्रोपायल ईथायलामीन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2922 19 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xix) शीर्ष 2924 में,—

(क) टैरिफ मद 2924 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2924 19	--	अन्य *:*			
2924 19 10	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 4 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2924 19 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2924 21 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2924 21 40	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 5 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2924 29 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण में 6 विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) शीर्ष 2925 में, टैरिफ मद 2925 29 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2925 29 20	---	डोडाइन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxi) शीर्ष 2926 में, टैरिफ मद 2926 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2926 90	-	*अन्य* :			
2926 90 10	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 7 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-

2926 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxii) शीर्ष 2928 में, टैरिफ मद 2928 00 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2928 00 20	---	क्रोमेफेनोजाइड, मेथोक्साइफेनजाइड, ट्राइफ्लोक्साइट्रोबीन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxiii) शीर्ष 2929 में, टैरिफ मद 2929 90 10 से 2929 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	एन, एन-डाइएलकिल *(*मिथायल*,* इथायल*,* एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल*)* फोसफोरेमिडिक डाइहैलिडस *:*			
2929 90 11	----	एन, एन-डाइएथीलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 12	----	एन, एन-डाइआईसोप्रोपायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 13	----	एन, एन-डाइप्रोपायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 14	----	एन, एन-डाइमिथायलफोसफोरेमिडिक डायक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	डाइएलकिल *(*मिथायल*,* इथायल*,* एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल*)* एन, एन-डाइएलकिल *(*मिथायल*,* इथायल*,* एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल*)* फोस्फोरैमिडेटस *:*			
2929 90 21	----	डाइएथील एन, एन-डाइमिथायलफोस्फोरैमिडेट	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 60	---	फोसफोरेमिडिक अम्ल, डाइएथील, डाइमिथायलऐस्टर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 70	---	एन-(1-(डाइएलकिल ($\leq$सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सहित) एमिनो)) एल्किलआइडिन (एच या $\leq$सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सहित) फोस्फोनामिडिक फ्लोराइडस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटित लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 80	---	ओ-ऐल्काइल (एच या $\leq$ सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सहित) एन-(1-(डाइएलकिल ($\leq$सी$_{10}$, साइक्लोएलकिल सहित) एमिनो))एल्किलआइडिन (एच या $\leq$ सी$_{10}$, सहित साइक्लोएलकिल) फोस्फोरेमाइडोफ्लोओराइडेटस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटेड या प्रोटोनेटित लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	*अन्य* :			
2929 90 91	----	*प्रोपेटैमफोस*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2929 90 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxiv) शीर्ष 2930 में,—

(क) टैरिफ मद 2930 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 8 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2930 90 10 से 2930 90 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	थायोयूरिया *(*सल्फोयूरिया*),* मैथयोनाइन के कैल्शियम लवण*,* थायो सल्फोनिक अम्ल*,* एल-सिस्टिन *(*अल्फा-एमिनो बीटा-			

		थाइओप्रोपाओनिक अम्ल)- एमिनो अम्ल अंतर्विष्ट करने वाला सल्फर, सल्फिनिक अम्ल, सल्फोक्साइड, मरकैप्टन, एल्लिल आईसोथायोसाइनेट :			
2930 90 11	----	थायोयूरिया (सल्फोयूरिया)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 12	----	मैथयोनाइन के कैल्शियम लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 13	----	थायो सल्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 14	----	एल-सिसटाइन (अल्फा-एमिनो बीटा-थाइओप्रोपाओनिक अम्ल)-एमिनो अम्ल अंतर्विष्ट करने वाले सल्फर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 15	----	सल्फिनिक अम्ल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 16	----	सल्फोक्साइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 17	----	मरकैप्टन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 18	----	एल्लिल आईसोथायोसाइनेट	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	ओ, ओ-डाइएथील एस-[2-(डाइएथीलएमिनो)इथायल]फोस्फोरोथाओएट और इसके ऐल्काइलेटित या प्रोटोनेटित लवण :			
2930 90 21	----	फोस्फोरोथाओइक अम्ल, एस[2-(डाइएथील एमिनो) एथायल] ओ, ओ-डाइइथाएल एस्टर	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	एन, एन-डाइएलकिल (मिथायल, ईथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल) एमिनोइथैन-2-थायोल्स और उनके प्रोटोनेटित लवण, सिवाय 2-(एन, एन-डाइमिथायलएमिनो) इथैनथायोल और 2-(एन, एन-डाइएथीलएमिनो) इथैनथायोल :			
2930 90 31	----	डाई-मिथायल एमिनो इथैनथायोल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 32	----	डाई-एथायल एमिनो इथैनथायोल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	अन्य :			
2930 90 91	----	इथानोल, 2,2'-थायोबिस-	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 92	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 9 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 94	----	जिसमें कोई फास्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 90 96	----	ओ-एथायल एस-फिनायल इथायलफोस्फोनाथायोलोथायोनेट (फोनोफोस)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxv) शीर्ष 2931 में,—

(क) टैरिफ मद 2931 49 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "---ग्लायफोसेट (आईएसओ), फोसैटायल-एल, ग्लुफोसिनेट अमोनियम, ग्लायफोसेट पोटाशियम लवण" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2931 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात् :–

“2931 49 40	---	*बुटायल मिथायलफोस्फिनेट*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 49 50	---	*बिस*(1-*मिथायलपैनटायल*) *मिथायलफोस्फोनेट*	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	*अन्य :*			
2931 49 91	----	जिसमें कोई फास्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 49 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ग) टैरिफ मद 2931 59 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“2931 59	--	*अन्य :*			
2931 59 10	---	पी-ऐल्काइल ($\leq C_{10}$, साइक्लोएलकिल सहित) एन-(1-(डाइएलकिल ($\leq C_{10}$, साइक्लोएलकिल सहित) एमिनो))एल्किलआइडिन (एच या $\leq C_{10}$, साइक्लोएलकिल सम्मिलित) फोस्फोनामिडिक फ्लोराइडस और तत्स्थानी ऐल्काइलेटित या प्रोटोनेटित लवण	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 59 20	---	*मिथायल-(बिस(डाइएथीलएमिनो)मिथायलीन) फोस्फोनेमाइडोफ्लोराइडेट*	कि.ग्रा.	7.5%	-
	---	कोई फोस्फोरस अणु अंतर्विष्ट है, जिससे एक मिथायल, एथायल, एन-प्रोपायल या आईसोप्रोपायल समूह बंधित है, किंतु कोई अतिरिक्त कार्बन अणु नहीं है *:*			
2931 59 31	----	*इथेफोन*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 59 39	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2931 59 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(xxvi) शीर्ष 2932 में,—

(क) टैरिफ मद 2932 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2932 19 20	---	अजाडिरक्टा (नीम उत्पाद), बेनफुरकार्ब, साइन मिथायलीन	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ख) टैरिफ मद 2932 20 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2932 20 30	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 10 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ग) टैरिफ मद 2932 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “---इमामेक्टीन बेन्जोऐट (आईएसओ), एबेमक्टीन, डाइनोटेफ्युरोन” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) शीर्ष 2933 में,–

(क) टैरिफ मद 2933 19 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2933 19 92	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 11 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(ख) टैरिफ मद 2933 29 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “---इस

अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 12 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2933 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 31	--	*पिपेरिडीन और उसके लवण :*			
2933 31 10	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 13 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 31 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2933 32 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 32	--	*पिपेरिडीन और इसके लवण :*			
2933 32 10	---	मैपीक्वैटे क्लोराइड	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 32 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ङ) टैरिफ मद 2933 39 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2933 39 23	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 14 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(च) टैरिफ मद 2933 39 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2933 39 50	---	1-[एन, एन-डाइएलकिल ($\leq C_{10}$) -एन-(एन-(हाइड्रोक्सिल, सायनो, ऐसीटोक्सी) ऐल्काइल ($\leq C_{10}$)) अमोनिओ]-एन-[एन-(3-डाइमिथायलकारबामोक्सी-α-पिकोलीनाइल)-एन,एन-डाइएलकिल ($\leq C_{10}$) अमोनिओ] डीकेन डाइब्रोमाइड (एन=1-8)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 39 60	---	1,एन-बिस [एन-(3-डाइमिथायलकारबामोक्सी-ए-पिकोलाइल)-एन, एन-डाइएलकिल ($\leq C_{10}$) अमोनिओ]-एलकैन-(2,(एन-1)-डायोन) डाइब्रोमाइड (एन=2-12)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(छ) टैरिफ मद 2933 41 00 और 2933 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2933 41	--	*लेवोरफैनोल (आईएनएन) और इसके लवण :*			
2933 41 10	---	फैनेजाक्वैन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 41 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 49	--	अन्य *:*			
2933 49 10	---	क्वियजालोफोप एथायल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 49 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ज) टैरिफ मद 2933 59 10, 2933 59 20, 2933 59 30 और 2933 59 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(झ) टैरिफ मद 2933 59 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 59 50	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ञ) टैरिफ मद 2933 59 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) टैरिफ मद 2933 69 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2933 69 60	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ठ) टैरिफ मद 2933 79 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2933 79 30	---	स्पायरोटेट्रामैट	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ड) टैरिफ मद 2933 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 17 में विनिर्दिष्ट माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) शीर्ष 2934 में,—

(क) टैरिफ मद 2934 10 00 और 2934 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2934 10	-	*यौगिक, जिनकी संरचना में असंगलित थिएजोल वलय (चाहे वह हाइड्रोजेनेटित अंतर्विष्ट हो या नहीं) है :*			
2934 10 10	---	क्लोथिएनिडीन, औक्जाथायापीपरोलीन, थीफ्लुजामाइड, थायोमेथोक्सम	कि.ग्रा.	7.5%	-
2934 10 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-
2934 20	-	*यौगिक, जिनकी संरचना में बेनजोथिएजोल वलय प्रणाली है (चाहे वह हाइड्रोजेनेटित हो या नहीं), जो और संगलित नहीं है :*			
2934 20 10	---	मेथाबेनजथायाजुरॉन	कि.ग्रा.	7.5%	-
2934 20 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2934 99 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2934 99 40	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 18 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxix) शीर्ष 2935 में,—

(क) टैरिफ मद 2935 50 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2935 50 20	---	सफ्लुफेनासिल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2935 90 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2935 90 40	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 19 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(xxx) शीर्ष 2941 में, टैरिफ मद 2941 90 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2941 90 70	---	ओरियोफंनजिन, कैसुगामाइसीन, वैलीडामाइसीन	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(9) अध्याय 33 में, उपशीर्ष 3302 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 34 में, शीर्ष 3406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 38 में,—

(i) अनुपूरक टिप्पण 1 में, "आईएस-15981 के अनुरूप ऐसिटामिप्रिड (आईएसओ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'आईएस-15981 के अनुरूप ऐसिटामिप्रिड (आईएसओ) ; आईएस 18873 के अनुरूप एफाइडोपायरोपेन ; आईएस 15616 के अनुरूप अल्फासाइपरमेथ्रीन ; आईएस 14299 के अनुरूप अजाडिरक्टा (नीम उत्पाद) ; आईएस 14156 के अनुरूप बेटा साइफ्लूथ्रीन ; आईएस 14940 के अनुरूप कार्बोसलफान ; आईएस 8963 के अनुरूप क्लोपायरिफोस ; आईएस 15693 के अनुरूप क्लोपायरिफोस मिथायल ; आईएस 14156 के अनुरूप साइफ्लूथ्रीन ; आईएस 15978 के अनुरूप साइफैनोथ्रीन ; आईएस 12005 के अनुरूप डेल्टामेथ्रीन (डेकामेथ्रीन) ; आईएस 5278 के अनुरूप डाइकोफोल; आईएस 14185 के अनुरूप डाइफ्लूबेनजूरोन ; आईएस 13146 के अनुरूप डी-ट्रान्स एलेथ्रीन ; आईएस 10369 के अनुरूप इथायोन ; आईएस 14249 के अनुरूप इथोफेनप्रोक्स (इटोफेनप्रोक्स) ; आईएस 634 के अनुरूप एथिलीन डायक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण ; आईएस 5280 के अनुरूप फेनिट्रोथीयॉन ; आईएस 15161 के अनुरूप फेनप्रोपाथ्रीन ; आईएस 12003 के अनुरूप फेनवैलेरेट ; आईएस 18389 के अनुरूप फिप्रोनिल ; आईएस 13097 के अनुरूप फ्लूवेलाइनेट ; आईएस 16921 के अनुरूप आइमिप्रोथ्रीन ; आईएस 15984 के अनुरूप इनडोक्साकार्ब ; आईएस 14509 के अनुरूप लैमब्डासाइहैलोथ्रीन ; आईएस 1832 के अनुरूप मालाथायोन ; आईएस 15614 के अनुरूप मेथोमाइल ; आईएस 17125 के अनुरूप नोवाल्यूरोन ; आईएस 8258 के अनुरूप ऑक्सीडेमेथाइन-मिथायल ; आईएस 8293 के अनुरूप फेन्थायोरेट ; आईएस 8488 के अनुरूप फोसालॉन ; आईएस 13080 के अनुरूप प्राइमीफास-मिथायल ; आईएस 15238 के अनुरूप प्रोफेनोफोस ; आईएस 16141 के अनुरूप पायराइप्रोक्सीफेन ; आईएस 16674 के अनुरूप स्पिरोमेसिफेन ; आईएस 8701 के अनुरूप टेमफोस ; आईएस 16710 के अनुरूप थायक्लोप्रिड ; आईएस 16956 के अनुरूप थायोडाइकार्ब ; आईएस 15983 के अनुरूप थायोमेथोक्सम ; आईएस 14936 के अनुरूप ट्रायाजोफॉस ; आईएस 1251 के अनुरूप जिंक फोसफाइड ।';

(ii) अनुपूरक टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'2. टैरिफ मद 3808 91 42 में, उपशीर्ष 3808 91 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : क्लोरेन्ट्रेनालपप्रोल (आईएसओ) ; ब्यूप्रोफेजिन (आईएसओ) ; फ्लुबेनडियामाइड (आईएसओ) ; इमामेक्टीन बेन्जोऐट (आईएसओ) ; एबेमक्टीन ; बेन्डियोकार्ब ; बेनफुरकार्ब ; बेन्जपाइरिमोक्सम ; ब्रोफ्लानिलाइड ; क्लोरफेनापायर ; क्लोरफ्लुआजुरॉन ; क्रोमेफेनोजाइड ; क्लोथिएनिडीन ; सियानट्रानिलिप्रोल ; साइक्लानीलिप्रोल ; सीएनोपाइराफेन ; साइफ्ल्यूमेटोफैन ; डाइफैन्थाइरोन ; डाइनोटेफ्युरोन ; एटोक्साजोल ; फैनेजाक्वैन ; फेनोबुकार्ब (बीपीएमसी) ; फेनपाइरोक्सीमेट ; फ्लोनिकमिड ; फ्लूफेनोक्सरैन ; फ्लुफेनजाइन ; फ्लुपाइराडिफुरॉन ; फ्लूएक्सामेटामाइड ; हैक्साथायाजोक्स ; आईसोसाइक्लोसीरम ; लूफेनूरोन ; मेटाफ्लूमाइजोन ; मेटाल्डिहाइड ; मेथोक्साइफेनजाइड ; मेटोफ्लूथाइन ; मिल्बेमेक्टिन ; परमेथ्रीन ; प्रैलइथ्रीन ; प्रोपरजाइट ; प्रोपोक्सर ; पाइमेट्रोजिन; पायरेथ्रीन (पायरेथ्रम) ; पायरिडाबेन ; पाइरिडलइयल; पायरीफ्लूक्यैनेजोन ; रेनोफ्लूथ्राइन ; एस-बायोऐलेथ्रीन ; स्पिनेटोरम ; स्पिनोसड ; स्पायरोटेट्रामैट ; सलफोक्साफ्लोर ; टैफलूबैनजूरोन ; टोलफेनपाइराद ; ट्रांसफ्लूथ्राइन ; ट्राइफ्लूमेजोपायरिम ;

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : प्रोपेटैमफोस ; टेट्रोनिलिप्रोल ; थायोसाइक्लैम ; हाइड्रोजन ऑक्सालेट ।';

(iii) अनुपूरक टिप्पण 5 में, "आईएस-8445 के अनुरूप कारबेनडाजिम (आईएसओ)", शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"आईएस-8445 के अनुरूप कारबेनडाजिम (आईएसओ) ; आईएस 13330 के अनुरूप बाइटरटनॉल ; आईएस 14251 के अनुरूप कैप्टन ; आईएस 13110 के अनुरूप कार्बोक्सीन ; आईएस 16706 के अनुरूप कारप्रोपामाइड ; आईएस 13132 के अनुरूप क्लोरोथालोनिल ; आईएस 1682 के अनुरूप कुपरस ऑक्साइड ; आईएस 15600 के अनुरूप साइमोक्सानिल ; आईएस 12944 के अनुरूप डाइथायनॉन ; आईएस 13784 के अनुरूप डोडाइन ; आईएस 8954 के अनुरूप ऐडिफेनफोस ; आईएस 14549 के अनुरूप हेक्साकोनाजोल ;

आईएस 13788 के अनुरूप इप्रोबेनफॉस (किटाजिन) ; आईएस 15163 के अनुरूप आइसोप्रोथियोलेन ; आईएस 8707 के अनुरूप मैन्कोजैब ; आईएस 13458 के अनुरूप मेटालैक्सायल-एम ; आईएस 15234 के अनुरूप पैनकोनाजोल ; आईएस 15241 के अनुरूप प्रोपिकोनाजोल ; आईएस 15165 के अनुरूप टेबुकोनाजोल ; आईएस 14551 के अनुरूप थायोफेनेट-मिथायल ; आईएस 13328 के अनुरूप ट्रायाडिमेफेन ; आईएस 15982 के अनुरूप ट्रायाक्लाजोल ; आईएस 17200 के अनुरूप वैलीडामाइसीन ; आईएस 3900 के अनुरूप जीरैम ।";

(iv) अनुपूरक टिप्पण 7 में, "आईएस-12502 के अनुरूप ग्लायफोसेट (आईएसओ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'आईएस-12502 के अनुरूप ग्लायफोसेट (आईएसओ) ; आईएस 1827 के अनुरूप 2,4-डी अमाइन लवण ; आईएस 7233 के अनुरूप 2,4-डी- इथाएल एस्टर ; आईएस 1488 के अनुरूप 2,4-डी सोडियम लवण ; आईएस 13402 के अनुरूप एनिलोफोस ; आईएस 12932 के अनुरूप ऐट्राजीन ; आईएस 17847 के अनुरूप बेनसलफुरोन मिथायल ; आईएस 9356 के अनुरूप बुटाक्लर ; आईएस 15619 के अनुरूप क्लोरिमुरॉन एथायल ; आईएस 15409 के अनुरूप क्लोमाजोन ; आईएस 14938 के अनुरूप डाइक्लोफोप-मिथायल ; आईएस 8702 के अनुरूप डाइयूरन ; आईएस 15232 के अनुरूप फेनाक्साप्रोप-पी-एथायल ; आईएस 8958 के अनुरूप फलुफ्लोरालीन ; आईएस 15166 के अनुरूप ग्लुफोसिनेट अमोनियम ; आईएस 8494 के अनुरूप एमसीपीए, अमाइन लवण ; आईएस 11007 के अनुरूप मेथाबेनजथायाजुरॉन ; आईएस 15229 के अनुरूप मेटोलाचलर ; आईएस 13332 के अनुरूप मेट्राईबुजिन ; आईएस 15615 के अनुरूप मेटसल्फ्यूरोन मिथायल ; आईएस 16708 के अनुरूप ऑक्साडायरजिल ; आईएस 14934 के अनुरूप ऑक्सीफ्लोरफेन ; आईएस 12685 के अनुरूप पैनडीमेथालीन ; आईएस 8071 के अनुरूप प्रोपानिल ; आईएस 16212 के अनुरूप सल्फोसल्फयूरोन ; आईएस 12768 के अनुरूप थायोबेनकार्ब (बैनथायोकार्ब) ; आईएस 9357 के अनुरूप ट्रायलैट ।';

(v) अनुपूरक टिप्पण 8 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. टैरिफ मद 3808 93 62 में, उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : बाईसपायरीबैक सोडियम (आईएसओ) ; इमेजथपायर (आईएसओ) ; 2,4-डाईक्लोरोफेनोक्सी ऐसिटिक अम्ल ; ऐमेट्राइन ; एजिम्सलफुरोन ; बेफ्लुबुटामिड ; बेन्टाजोन ; बाइक्स्लोजोन ; कारफेनट्राजोन एथायल ; क्लोरप्रोफेम ; सीनमिथायलेन ; क्लेथोडिम ; क्लोडिनाफाप-प्रोपाजाइल ; साइहलोफोप-बुटाइल ; डैजोमेट ; डाइकाम्बा ; डाक्लोसुलैम ; डाइमेथेनामाइड-पी ; इथाफ्लुरालीन ; इथोक्सीसलफुरॉन ; फ्लोरासलम ; फ्लोरपाइरोक्सिफेन बेनजाइल ; फ्लोरपाइरोक्सिफेन-बेनजाइल ; फ्लोजीफाप-पी-बुटायल ; फ्लुसेटो सलफुरॉन ; फ्लुफेनासेट ; फ्लुमियोक्साजिन ; फ्लुरोक्सीपायर मेपटायल ; फोमेसफेन ; ग्लायफोसेट पोटाशियम लवण ; हैलोक्सीफेन-मिथायल ; हैलोक्सीफोप-पी-मिथायल ; हैलोक्सीफोप-आर-मिथायल ; हैलोसलफुरॉन मिथायल ; हेक्साजिनोन ; आइमेजामोक्स ; इंडाजिफ्लेम ; आयोडोस्लफ्यूरान मिथायल सोडियम ; इपफेनकार्बाजोन ; मिजोसलफुरॉन मिथायल ; मेसोट्रिओन ; मेटामिफोप ; मेटामिट्रोन ; आर्थोसल्फाम्यूरोन ; ऑक्साडायजॉन ; पैराक्वैट डायक्लोराइड ; पैनोक्ससुलैम ; पाइनाक्साडेन ; प्रोपाक्याजोफोप ; पायराजोसलफुरॉन एथायल ; पायरीबेनजोक्सीम ; पायरीफटेलिड ; पायरीथायोबैक सोडियम ; पाइरोक्सासलफोन ; पायरोक्ससुलैम ; क्यिजालोफोप एथायल ; क्यिजालोफोप-पी-टेफुराइल ; सफ्लुफेनासिल ; सोडियम ऐसिफ्लोरेफेन ; सलफेनट्राजोन ; टेमबरेट्राइन ; टोप्रामेजोन ; ट्रायफामोन ; ट्रायसल्फ्यूरोन ; ट्राइक्लोपायर अम्ल ; ट्राइक्लोपायर बटोटायल ऐस्टर ; ट्राइफलोक्सीसल्फयूरोन सोडियम ; ट्राइफ्लुरालीन ;

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : इन्डाजिफ्लैम ; मिसोट्राइन ;

(ग) द्रव्यमान के अनुसार 40% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : पैराक्वाट डाइक्लोराइड ।";

(vi) अनुपूरक टिप्पण 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'11. टैरिफ मद 3808 92 80 में उपशीर्ष 3808 92 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : एमेट्रोक्ट्राडिन ; ऐमिसलब्रोम ; ओरियोफंनजिन ; एजोक्सीस्ट्राबिन ; बेनालैक्साइल ; बेनालैक्साइल एम ; बोसकालिड ; बुप्राइमेट ; कापर सल्फेट पैन्टाहाइड्रेट ; सायजोफैमेड ; साइफ्लूफेनामाइड ; साइप्रोकोनाजोल ; साइजोफैमेड ; डाइफेनोकोनाजोल ; डाइमेथोमोर्फ ; डाइनोकैप ; इपाक्साकोनाजोल ; फैमोक्साडोन ; फेनामाइडान ; फेनोक्सानाइल ; फ्लोपीकोलाइड; फ्लोपाइराम ; फ्लुसिलाजोल ; फ्लुक्सापयरोक्सड ; फोसैटायल-एन ; आइप्रोडाइने ; आइप्रोवलीकार्ब ; क्रेसोक्सिम मिथायल ; लाइम सल्फर ; मैन्डीप्रोपामाइड ; मेफेनट्राइफ्लूआकोनाजोल ; मेपटायलडाइनोकोप ; मेटिरैम ; मेट्राफेनोन ; माइक्लोबुटानिल ; औक्जाथायापीपरोलीन ; पैनसीक्यूरोन ; पैनफ्लूफेन ; पाइकोसीस्ट्रोबिन ; पोल्योक्सीन डी जिंक लवण ; प्रोक्लोराज; पायडाईफ्लूमेटोफैन ; पाइराक्लोस्ट्रोबिन ; पायरोफेनोन ; टेट्राकोनाजोल ; थीफ्लुजामाइड ; ट्राइबेसिक कापर सल्फेट ; ट्राइफ्लोक्सीट्रोबीन ; ट्राईटीकोनाजोल ; वैलिफेनालेट ।

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 60% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : कापर हाइड्राक्साइड ; प्रोपैमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड ; प्रोपाइनैब ।';

12. टैरिफ मद 3808 93 41 में उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

आईएस 13070 के अनुरूप अल्फानैफ्थाइल ऐसिटिक अम्ल ; आईएस 8961 के अनुरूप क्लोर्मेक्वेट क्लोराइड (सीसीसी) ; आईएस 14408 के अनुरूप इथेफोन ; आईएस 16340 के अनुरूप मैपीक्वैटे क्लोराइड ।

13. टैरिफ मद 3808 93 42 में, द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ, उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

1-मिथायल साइक्लोप्रोपेन ; 6-बेनजिलऐडीनील ; साइक्लेनीलाइड ; फोरक्लोरफेनुरान ; पैक्लोबुट्राजोल ; प्रोहेक्साडाइन कैल्शियम ; सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट ; ट्राइकोनटानॉल ।

14. टैरिफ मद 3808 94 20 में, उपशीर्ष 3808 94 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

(क) द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : डाइक्लोरोप्रोपीन और डाइक्लोरोप्रोपेन मिश्रण (डीडी मिश्रण) ; हाइड्रोजन सायनामाइड ;

(ख) द्रव्यमान के अनुसार 40% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ : मैगनिशियम फोसफाइड प्लेट ।

15. टैरिफ मद 3808 99 11 में उपशीर्ष 3808 99 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

आईएस 12914 के अनुरूप ब्रोमाडायोलोन ।

16. टैरिफ मद 3808 99 12 में, द्रव्यमान के अनुसार 90% से अधिक अंतर्वस्तु के साथ, उपशीर्ष 3808 99 के निम्नलिखित मालों में से कोई माल आता है :

एक्विनोसिल ; बाइफेनेजेट ; ब्रोडिफाकोयम ; कोयमाचलोर ; कोयमाटेट्राल्यल ; फ्लोकोयमाफेन ; फ्लुजियानडोलीजायन ; फ्लुऐनसलफोन ; गोसीप्लूर ।';

(vii) शीर्ष 3808 में,—

(क) टैरिफ मद 3808 91 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3808 91 93	----	*ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 3808 92 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"3808 92 80	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 11 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
	---	*अन्य :*			

3808 92 91	----	*ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-
3808 92 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 3808 93 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	पादप वृद्धि नियामक*:*			
3808 93 41	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 12 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 42	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 13 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 49	----	अन्य :	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 3808 93 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	*अन्य :*			
3808 93 91	----	*ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ङ) टैरिफ मद 3808 94 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3808 94	--	*विसंक्रामक :*			
3808 94 10	---	ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3808 94 20	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 14 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 94 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(च) टैरिफ मद 3808 99 10 और 3808 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 और टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 99 11	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 15 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
3808 99 12	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट माल	कि.ग्रा.	10%	-
	---	*अन्य :*			
3808 99 91	----	*ब्रोमोमिथेन (मिथायल ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले*	कि.ग्रा.	10%	-
3808 99 92	----	*कीटनाशक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए है*	कि.ग्रा.	10%	-
3808 99 99	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(viii) टैरिफ मद 3813 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3813		अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड			

3813 00	-	अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड :			
3813 00 10	---	ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लूरोमिथेन, ब्रोमोट्राईफ्लूरोमिथेन या डाईब्रोमोटेट्राफ्लूरोइथैन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 20	---	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोब्रोमोफ्लूरोकार्बन (एचबीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 30	---	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 40	---	ब्रोमोक्लोरोमिथेन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3813 00 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ix) शीर्ष 3814 में, टैरिफ मद 3814 00 10 और 3814 00 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है :			
3814 00 11	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 12	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 13	----	कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरोमिथेन या 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
	---	निर्मित पेंट या वार्निश अपसारक :			
3814 00 21	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 22	----	मिथेन, इथैन या प्रोपेन हाइड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट न हो	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 23	----	कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरोमिथेन या 1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन (मिथायल क्लोरोफोर्म) करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3814 00 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(x) उपशीर्ष 3822 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 3824 60 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 3824 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 39 में, शीर्ष 3920 और शीर्ष 3921 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 64 में, शीर्ष 6401, शीर्ष 6402, शीर्ष 6403, शीर्ष 6404 और शीर्ष 6405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 68 में, टैरिफ मद 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 91 00, 6802 92 00 और 6802 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7106 में,—

(क) टैरिफ मद 7106 91 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7106 91 20	---	रजत के भार से 99.9 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 7106 92 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	*छड़ :*			
7106 92 21	----	रजत के भार से 99.9 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7106 92 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ii) शीर्ष 7108 में, टैरिफ मद 7108 12 00 और 7108 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7108 12	--	*अन्य अनगढ़ रूप में :*			
7108 12 10	---	स्वर्ण के भार से 99.5 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7108 12 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
7108 13	--	*अन्य अर्ध-विनिर्मित रूप में :*			
7108 13 10	---	स्वर्ण के भार से 99.5 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7108 13 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(iii) शीर्ष 7110 में, टैरिफ मद 7110 11 10 से 7110 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	*अनगढ़ रूप में :*			
7110 11 11	----	प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7110 11 19	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
	---	*चूर्ण रूप में :*			
7110 11 21	----	प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7110 11 29	----	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-
7110 19	--	अन्य *:*			
7110 19 10	---	प्लेटिनम के भार से 99.0 प्रतिशत या अधिक अंतर्विष्ट है	कि.ग्रा.	10%	-
7110 19 90	---	*अन्य*	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 7113 और शीर्ष 7114 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 72 में, टैरिफ मद 7210 12 10, 7210 12 90, 7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90, 7219 90 90 और 7225 11 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 73 में, टैरिफ मद 7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90 और 7326 90 99 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 74 में, टैरिफ मद 7404 00 12, 7404 00 19, 7404 00 22 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 80 में,—

(i) शीर्ष 8001 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8002 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 81 में,—

(i) टैरिफ मद 8101 94 00, 8101 97 00, 8102 94 00, 8102 97 00, 8103 20 10, 8103 20 90, 8103 30 00, 8105 20 20, 8105 30 00, 8106 10 10, 8106 90 10, 8109 21 00, 8109 31 00, 8109 39 00, 8110 10 00, 8110 20 00, 8112 12 00, 8112 13 00, 8112 31 10, 8112 31 20, 8112 31 30, 8112 41 10, 8112 41 20, 8112 61 00, 8112 69 10 और 8112 69 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "नि:शुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8112 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में, "(कोलम्बियम और)" प्रविष्टि के स्थान पर, "(कोलम्बियम), और" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 85 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, "50 x 103 जीवाई(सिलिकान)(5 x 106 आरएडी (सिलिकान)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "50 x 10^3 जीवाई(सिलिकान)(5 x 10^6 आरएडी (सिलिकान)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 8541 42 00, 8541 43 00 और 8541 49 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 87 में,—

(i) शीर्ष 8702 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8704 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 8711 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8712 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 89 में, शीर्ष 8903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9028 30 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%"

प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 94 में, शीर्ष 9401, शीर्ष 9403, शीर्ष 9404 और शीर्ष 9405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 95 में, टैरिफ मद 9503 00 91 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 98 में,—

(i) टैरिफ मद 9802 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9803 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 9804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 14)

[5 अप्रैल, 2025]

वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1995 का 43

धारा 1 का संशोधन ।

2. वक्फ अधिनियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) में, "वक्फ" शब्द के स्थान पर "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि इस अधिनियम की कोई बात, किसी न्यायालय के

किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, किसी ऐसे न्यास (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) पर लागू नहीं होगी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् स्थापित किया गया हो या जो किसी मुस्लिम द्वारा लोक खैरातों से संबंधित किसी कानूनी उपबंध द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, वक्फ के सदृश प्रयोजन के लिए कानूनी रूप से विनियमित हों ।"।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "आगाखानी वक्फ" से किसी आगाखानी वाकिफ द्वारा समर्पित वक्फ अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गक) "बोहरा वक्फ" से किसी बोहरा वाकिफ द्वारा समर्पित वक्फ अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घक) "कलक्टर" के अन्तर्गत किसी जिले का भू-राजस्व कलक्टर या उपायुक्त अथवा कलक्टर द्वारा लिखित में प्राधिकृत उप कलक्टर की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी सम्मिलित है ;';

'(iv) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(चक) "सरकारी संगठन" के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिकाएं, पंचायतें, संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई संगठन या संस्था सम्मिलित है ;

(चख) "सरकारी संपत्ति" से किसी सरकारी संगठन से संबंधित कोई चल या अचल संपत्ति या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;';

(v) खंड (झ) में, "मौखिक रूप से अथवा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(टक) "पोर्टल और डाटाबेस" से वक्फ आस्ति प्रबंधन प्रणाली या वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण, लेखा, लेखापरीक्षा और कोई अन्य ब्यौरे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य प्रणाली अभिप्रेत है ;';

(vii) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों

द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(viii) खंड (त) का लोप किया जाएगा;

(ix) खंड (द) में,—

(क) आरंभिक भाग में "किसी व्यक्ति द्वारा" से प्रारंभ होने वाले "और इसके अंतर्गत है" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "किसी व्यक्ति द्वारा जो यह दर्शाता है या प्रदर्शन करता है कि वह कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम का आचरण कर रहा है, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखते हुए और ऐसी संपत्ति के समर्पण में कोई उपाय अन्तर्वलित नहीं है, किसी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (iv) में, "कल्याण" शब्द के पश्चात्, "या विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के भरण-पोषण, यदि वाकिफ ऐसा आशय रखता है, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) दीर्घ रेखा में, "कोई व्यक्ति", शब्दों के स्थान पर "ऐसा कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत विद्यमान उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियां, वक्फ संपत्ति के रूप में बनी रहेगी, सिवाय कि वह संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है ;"।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 3क, धारा 3ख, धारा 3ग, धारा 3घ और धारा 3ङ का अंत:स्थापन ।

"3क. (1) कोई व्यक्ति, किसी वक्फ का सृजन नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह ऐसी संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी न हो और ऐसी संपत्ति को अंतरित या समर्पित करने के लिए सक्षम न हो । वक्फ की कतिपय शर्तें ।

(2) वक्फ-अल-औलाद के सृजन का परिणाम, वाकिफ के महिला उत्तराधिकारियों सहित, उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार या विधिपूर्ण दावों वाले व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों की अस्वीकृति नहीं होगा ।

3ख. (1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वक्फ, ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ और वक्फ के लिए समर्पित पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ के ब्यौरे फाइल करना ।

संपत्ति के ब्यौरे फाइल करेगा :

परन्तु अधिकरण, मुतवल्ली द्वारा अधिकरण को किए गए आवेदन पर इस धारा के अधीन ऐसी छह मास की ऐसी अवधि को, छह मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए, जो वह समुचित समझे, बढ़ा सकेगा, यदि वह अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर पोर्टल पर वक्फ के ब्यौरे फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वक्फ के ब्यौरों में अन्य सूचना के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) वक्फ संपत्तियों की पहचान और सीमाएं, उनका उपयोग और अधिभोगी ;

(ख) वक्फ के सृजनकर्ता का नाम और पता, ऐसे सृजन की रीति और तारीख ;

(ग) वक्फ विलेख, यदि उपलब्ध हो ;

(घ) वर्तमान मुतवल्ली और उसका प्रबंधन ;

(ङ) ऐसी वक्फ संपत्तियों से सकल वार्षिक आय ;

(च) वक्फ संपत्तियों के संबंध में वार्षिक रूप से संदेय भू-राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम ;

(छ) वक्फ संपत्तियों की आय उगाहने में वार्षिक रूप से उपगत प्राक्कलित व्यय ;

(ज) निम्नलिखित के लिए वक्फ के अधीन पृथक् रखी गई रकम—

(i) मुतवल्ली का वेतन और व्यष्टिकों के भत्ते ;

(ii) केवल धार्मिक प्रयोजन ;

(iii) धर्मार्थ प्रयोजन ; और

(iv) कोई अन्य प्रयोजन ;

(झ) ऐसी वक्फ संपत्तियों को अंतर्वलित करने वाले न्यायालय के मामलों के ब्यौरे, यदि कोई हों;

(ञ) कोई अन्य विवरण, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

वक्फ की सदोष घोषणा ।

3ग. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, वक्फ संपत्ति के रूप में पहचान की गई या घोषित की गई सरकारी संपत्ति किसी वक्फ की संपत्ति नहीं समझी जाएगी ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, कलक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् पदाभिहित अधिकारी कहा गया है), से ऊपर की पंक्ति के अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी, जो विधि के अनुसार जांच करेगा और वह यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु ऐसी संपत्ति तब तक वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी जब

तक पदाभिहित अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दे ।

(3) यदि पदाभिहित अधिकारी यह अवधारित करता है कि वह संपत्ति, सरकारी संपत्ति है तो वह राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) राज्य सरकार, पदाभिहित अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर अभिलेखों में समुचित संशोधन करने हेतु बोर्ड को निदेश देगी ।

संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र की वक्फ के रूप में घोषणा का शून्य होना ।

3घ. इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व अधिनियम के अधीन वक्फ संपत्तियों के संबंध में जारी की गई कोई घोषणा या अधिसूचना शून्य होगी, यदि ऐसी संपत्ति, ऐसी घोषणा या अधिसूचना के समय प्राचीन संस्मारक परिरक्षण
1904 का 7 अधिनियम, 1904 या प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष
1958 का 24 अधिनियम, 1958 के अधीन कोई संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र था ।

अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र में किसी भूमि की वक्फ के रूप में घोषणा पर रोक ।

3ङ. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संविधान की पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से संबंधित किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा या समझा नहीं जाएगा ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, "ओकाफ़ का सर्वेक्षण" शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ पर, सर्वेक्षण आयुक्त के समक्ष लंबित ओकाफ का कोई भी सर्वेक्षण, अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को अंतरित किया जाएगा और कलक्टर, राज्य की राजस्व विधियों में प्रक्रिया के अनुसार कलक्टर को अंतरित ऐसे सर्वेक्षण के स्तर से आगे सर्वेक्षण करेगा और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।";

(ग) उपधारा (1क), उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा;

(घ) उपधारा (4) में आरंभिक भाग में "सर्वेक्षण आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर" शब्द रखा जाएगा ;

(ङ) उपधारा (5) में, "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "या आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "शिया ओकाफ़" शब्दों के पश्चात् "या आगाखानी

ओकाफ़ या बोहरा ओकाफ़" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर ओकाफ की अधिसूचित सूची अपलोड करेगी ।

(2ख) प्रत्येक वक्फ के ब्यौरों में वक्फ संपत्तियों की पहचान, सीमाएं, उनके उपयोग और अधिभोगी, सृजनकर्ता के ब्यौरे, ऐसे सृजन की रीति और तारीख, वक्फ का प्रयोजन, उनके वर्तमान मुतवल्ली और प्रबंधन, ऐसी रीति में अंतर्विष्ट होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।";

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) राजस्व प्राधिकारी, प्रवृत्त राजस्व विधियों के अनुसार, भू-अभिलेखों में नामांतरण के विनिश्चय से पूर्व, ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्रों में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, नब्बे दिन की सार्वजनिक सूचना देगा और प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा ।";

(ङ) उपधारा (4) में, "समय-समय पर" शब्दों के पश्चात् "पोर्टल और डाटाबेस पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात्, "या आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) पहले परंतुक में, "एक वर्ष" , शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कोई आवेदन, अधिकरण द्वारा पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के पश्चात् भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक अधिकरण का यह समाधान करा देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था ;";

(ख) उपधारा (3) में, "सर्वेक्षण आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 7 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में,—

(i) "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "या आगाखानी वक्फ या बोहरा

वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) पहले परंतुक में, "एक वर्ष" शब्दों, जहां-कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के पश्चात् भी अधिकरण द्वारा कोई आवेदन ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने हेतु उसके पास पर्याप्त कारण था :

परंतु यह और कि" ।

10. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 9 का संशोधन ।

"(2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) वक्फ का भार साधक संघ का मंत्री—पदेन अध्यक्ष;

(ख) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा से होंगे और एक राज्य सभा से होगा ;

(ग) निम्नलिखित सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) अखिल भारतीय चरित्र और राष्ट्रीय महत्व वाले मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन व्यक्ति ;

(ii) चक्रानुक्रम द्वारा तीन बोर्डों के अध्यक्ष ;

(iii) पांच लाख रुपए या उससे अधिक की कुल वार्षिक आय वाले वक्फ के मुतवल्लियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति ;

(iv) तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि में ख्यातिप्राप्त विद्वान हों ;

(घ) दो व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों ;

(ङ) राष्ट्रीय ख्याति का एक अधिवक्ता ;

(च) राष्ट्रीय ख्याति के चार व्यक्ति, प्रशासन या प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, इंजीनियरी या वास्तुकला और चिकित्सा के क्षेत्र में से प्रत्येक से एक-एक व्यक्ति ;

(छ) संघ के मंत्रालय या विभाग में वक्फ मामलों से संबंधित अपर सचिव या संयुक्त सचिव, भारत सरकार - सदस्य, पदेन :

परंतु खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन नियुक्त कुल सदस्यों में से दो सदस्य जिनमें पदेन सदस्य नहीं है, गैर-मुस्लिम होंगे ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोहरा और आगाखानी के लिए पृथक् बोर्ड स्थापित कर सकेगी ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) किसी राज्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे,—

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख)(i) यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से एक संसद् सदस्य ;

(ii) राज्य विधानमंडल का एक सदस्य ;

(ग) मुस्लिम समुदाय से आने वाले निम्नलिखित सदस्य, अर्थात्:—

(i) एक लाख रुपए या उससे अधिक की आय वाला वक्फ का एक मुतवल्ली ;

(ii) मुस्लिम धर्म विद्या का एक ख्यातिप्राप्त विद्वान ;

(iii) नगर पालिकाओं या पंचायतों से दो या अधिक निर्वाचित सदस्य :

परंतु उपखंड (i) से उपखंड (iii) में किसी भी प्रवर्ग से कोई मुस्लिम सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो उपखंड (iii) में प्रवर्ग से अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा;

(घ) दो व्यक्ति, जिनके पास कारबार प्रबंध, सामाजिक कार्य, वित्त या राजस्व, कृषि और विकास क्रियाकलापों में वृत्तिक अनुभव है ;

(ङ) वक्फ मामलों से संबंधित राज्य सरकार का संयुक्त सचिव - पदेन ;

(च) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधिज्ञ परिषद् का एक सदस्य :

परंतु खंड (ग) के अधीन नियुक्त बोर्ड के दो सदस्य, महिलाएं होंगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन नियुक्त बोर्ड के कुल

सदस्य में से दो सदस्य, जिसमें पदेन सदस्य नहीं है, गैर-मुस्लिम होंगे :

परंतु यह कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य शिया, सुन्नी और मुस्लिम समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा :

परंतु यह भी कि राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कार्यात्मक औकाफ होने की स्थिति में बोहरा और आगाखानी समुदायों से एक एक सदस्य को बोर्ड में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु यह भी कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ पर पद धारण करने वाले बोर्ड के निर्वाचित सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्री, बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं होगा ।

(3) संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच से अन्यून एवं सात से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।";

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या का अवधारण करने में, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के मामले में केन्द्रीय सरकार बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले मुस्लिम औक़ाफ़ के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या और महत्व को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति, जहां तक हो सके, ऐसे अवधारण के अनुसार की जाएगी।";

(ग) उपधारा (8) का लोप किया जाएगा ।

13. मूल अधिनियम की धारा 16 में,— धारा 16 का संशोधन ।

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) यदि वह इक्कीस वर्ष की आयु से कम का है ;

(कक) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी सदस्य की दशा में, यदि वह मुस्लिम नहीं है ;";

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) यदि वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडित किया गया है ;"।

14. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "उसका अधिवेशन" शब्दों के पश्चात्, "प्रत्येक मास में कम से कम एक बार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । धारा 17 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20क का लोप किया जाएगा । धारा 20क का लोप ।

16. मूल अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 23 का संशोधन ।

"(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला बोर्ड का पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ।"।

धारा 28 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 28 में, "बोर्ड के ऐसे विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संसूचित किए जाएं" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के विनिश्चय को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संसूचित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर कार्यान्वित करेगा" रखे जाएंगे ।

धारा 30 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य 1872 का 1 अधिनियम, 2023 की धारा 75" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 2023 का 47

धारा 32 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(क) उपधारा (2) में, खंड (ङ) में स्पष्टीकरण और परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में, "और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 33 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(क) उपधारा (4) में, परन्तुक में "और अधिकरण को, अपील का निपटारा लंबित रहने तक, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 36 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारम्भ से ही, कोई वक्फ, वक्फ विलेख के निष्पादन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) आरम्भिक पैरा में, "ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर किया जाएगा जिसका बोर्ड विनियमों द्वारा, उपबंध करे" शब्दों के स्थान पर "पोर्टल और डाटाबेस के माध्यम से बोर्ड को किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) कोई अन्य विशिष्टियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।";

(ग) उपधारा (4) में, "अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया

गया है या उसकी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है तो उसमें वक्फ के उद्गम, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्यों की पूरी विशिष्टियां होंगी जहां तक कि वे आवेदक को ज्ञात हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड, अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को आवेदन के असली होने और उसकी विधिमान्यता और उसमें किन्हीं विशिष्टियों के सही होने के बारे में ऐसी जांच करने के लिए आवेदन अग्रेषित करेगा और वह बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि आवेदन वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब बोर्ड वक्फ को रजिस्ट्रर करने से पहले आवेदन की सूचना वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और यदि वह सुनवाई चाहता है तो उसको सुनेगा ।

(7क) जहां कोई कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित करता है कि कोई संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादग्रस्त है या सरकारी संपत्ति है, तो वक्फ संपत्ति के ऐसे भाग के संबंध में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक विवाद का सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चय नहीं कर दिया जाता है ।";

(ङ) उपधारा (8) में, परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(9) बोर्ड, किसी वक्फ का रजिस्ट्रीकरण करने पर, पोर्टल और डाटा बेस के माध्यम से वक्फ को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(10) किसी वक्फ की ओर से, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही का वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारम्भ से छह मास की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् किसी न्यायालय द्वारा संस्थित या प्रारम्भ या सुनवाई, विचारण या विनिश्चय नहीं किया जाएगा :

परन्तु कोई आवेदन, इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट छह मास की अवधि के पश्चात् ऐसे वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियों के संबंध में न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक, न्यायालय का यह समाधान करा देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।"।

22. मूल अधिनियम की धारा 37 में,— धारा 37 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में "विशिष्टियां" शब्द के पश्चात् "ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (च) में, "विनियमों द्वारा उपबंधित" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "भू-अभिलेख कार्यालय" शब्दों के पश्चात् "प्रवृत्त राजस्व विधियों के अनुसार भू-अभिलेख में नामांतरण के विनिश्चय से पूर्व ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्रों में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, नब्बे दिन की सार्वजनिक सूचना देगा और प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा तत्पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 40 का लोप ।

23. मूल अधिनियम की धारा 40 का लोप किया जाएगा ।

धारा 46 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (2) में,—

(क) "जुलाई" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "अक्तूबर" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों का, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला, जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं" शब्दों के स्थान पर "किसी स्रोत से प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों का, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 47 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "लेखाओं की संपरीक्षा" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल में से बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी :

परन्तु राज्य सरकार, संपरीक्षकों के ऐसे पैनल को तैयार करते समय, ऐसे संपरीक्षकों को संदाय करने वाले पारिश्रमिक को विनिर्दिष्ट करेगी ;";

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,—

"(ख) ऐसे वक्फ के, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट संपरीक्षकों के पैनल से बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक द्वारा की जाएगी ;";

(iii) खंड (ग) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित किए गए किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा किसी भी समय, किसी वक्फ की संपरीक्षा कराने के लिए, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी ;";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संपरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।";

(ग) उपधारा (3) के दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा ।

26. मूल अधिनियम की धारा 48 में,— धारा 48 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियां और आदेश ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रकाशित किए जाएंगे ।";

(ख) उपधारा (3) में, "और अधिकरण को उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए आदेश का प्रवर्तन रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

27. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 50क का अंत:स्थापन ।

"50क. कोई व्यक्ति, मुतवल्ली के रूप में, नियुक्त होने या बने रहने के लिए अर्हक नहीं होगा, यदि वह,— मुतवल्ली की निरहर्ता ।

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है ;

(ख) विकृतचित्त व्यक्ति के रूप में पाया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कम से कम दो वर्ष के कारावास से उसे दंडित किया गया है ;

(ङ) किसी वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण का दोषी ठहराया गया है ;

(च) किसी पूर्व अवसर पर–

(i) मुतवल्ली के पद से हटाया गया है ; या

(ii) कुप्रबंधन के लिए या भ्रष्टाचार के कारण किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा किसी न्यास के पद से हटाया गया है ।"।

धारा 51 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1894 का 1 2013 का 30

धारा 52 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) में, "और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 52क का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 52क में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "कठोर कारावास" शब्दों के स्थान पर, "कारावास" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) परन्तुक में, "बोर्ड में निहित" शब्दों के स्थान पर, "वक्फ को वापस प्रतिवर्तित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 55क का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 55क की उपधारा (2) के परंतुक में, "और उस पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 61 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 61 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ङ) और खंड (च) का लोप किया जाएगा ;

(ii) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"असफल रहेगा तो वह, जब तक कि वह न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान नहीं करा देता है कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण था, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि कोई मुतवल्ली,—

(i) किसी वक्फ संपत्ति का कब्जा परिदान करने में, यदि बोर्ड या अधिकरण द्वारा आदेश किया जाए ;

(ii) कलेक्टर या बोर्ड के निदेशों का कार्यान्वयन करने में ;

(iii) कोई अन्य कृत्य करने में, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे विधिपूर्वक करना अपेक्षित है ;

(iv) धारा 46 के अधीन लेखाओं का विवरण प्रदान करने में ;

(v) धारा 3ख के अधीन वक्फ के ब्यौरे अपलोड करने में,

असफल रहेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा और जुर्माने से भी, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।";

1974 का 2 (ग) उपधारा (5) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्दों और अंकों के
2023 का 46 स्थान पर, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

33. मूल अधिनियम की धारा 64 में,— धारा 64 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) एक वर्ष के लिए ऐसे नियमित लेखाओं को रखने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल रहा है अथवा एक वर्ष के भीतर वह वार्षिक लेखा विवरण देने में असफल रहा है, जो धारा 46 द्वारा अपेक्षित है ; अथवा";

(ii) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) किसी ऐसे संगम का सदस्य है, जिसे विधिविरुद्ध
1967 का 37 क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किया गया है ।";

(ख) उपधारा (4) में, "और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

34. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) में, "यथाशीघ्र" शब्द के स्थान पर, "छह मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे । धारा 65 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 67 में,— धारा 67 का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, अधिकरण को अपील कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (6) के दूसरे परंतुक में, "और ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

36. मूल अधिनियम की धारा 69 में,— धारा 69 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति और जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए लिखित नोटिस ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, नहीं दे दिया जाता है ।"।

धारा 72 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 72 में,—

(क) उपधारा (1) में, "सात प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) में, "और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 73 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (3) में, "तथा ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 83 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 83 में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई अन्य अधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण के रूप में घोषित किया जा सकेगा ।" ;

(ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि कोई अधिकरण नहीं है या अधिकरण कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई व्यथित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।";

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) प्रत्येक अधिकरण निम्नानुसार तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा—

(क) ऐसा एक व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है या रहा है, अध्यक्ष होगा ;

(ख) ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के समतुल्य का अधिकारी है या रहा है - सदस्य ;

(ग) ऐसा एक व्यक्ति जो मुस्लिम विधि और विधिशास्त्र का ज्ञान रखता हो :

परंतु वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के आरंभ से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष और इसके सदस्यों के पद की अवधि की समाप्ति तक ऐसे कृत्य करना जारी रखेगा ।";

(घ) उपधारा (4क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष या उनके पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा ।";

(ङ) उपधारा (7) में "अंतिम होगा और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।"।

40. मूल अधिनियम की धारा 91 में,— धारा 91 का संशोधन ।

1894 का 1 (क) उपधारा (1) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
2013 का 30 और पारदर्शिता अधिनियम 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

1894 का 1 (ख) उपधारा (3) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
2013 का 30 पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 77 या धारा 78", शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में,—

1894 का 1 (i) "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में
2013 का 30 उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 77 या धारा 78" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जब बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्ति के भाग के संबंध में प्रास्थगन में रखा जाएगा, यदि बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कलेक्टर संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात् बोर्ड को आवेदन करने की तारीख से एक मास के भीतर आदेश करेगा ।"।

41. मूल अधिनियम की धारा 100 में, "सर्वेक्षण आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "कलेक्टर" शब्द रखा जाएगा । धारा 100 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 101 में,— धारा 101 का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष और उपधारा (1) में दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "सर्वेक्षण आयुक्त", शब्दों के स्थान पर, "कलेक्टर" शब्द रखा जाएगा ;

1860 का 45 (ख) उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "भारतीय दंड संहिता की धारा 21", शब्दों और अंकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं,
2023 का 45 "भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28)", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

धारा 104 का लोप ।

43. मूल अधिनियम की धारा 104 का लोप किया जाएगा ।

धारा 107 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 107 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

1963 का अधिनियम 36 का लागू होना ।

"107. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ से ही, परिसीमा अधिनियम, 1963 किसी वक्फ में समाविष्ट अचल संपत्ति से संबंधित किसी दावे या हित के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों को लागू होगा ।"।

धारा 108 और धारा 108क का लोप ।

45. मूल अधिनियम की धारा 108 और धारा 108क का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 108ख का अंत:स्थापन ।

46. मूल अधिनियम की यथा लोपित धारा 108क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

"108ख. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के खंड (टक) के अधीन वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण, लेखाओं, संपरीक्षा और अन्य ब्यौरों और खंड (द) के उपखंड (iv) के अधीन विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के भरण-पोषण के लिए संदाय की रीति के लिए वक्फ आस्ति प्रबंधन प्रणाली ;

(ख) धारा 3ख की उपधारा (1) के खंड (त्र) के अधीन अन्य विशिष्टियां ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (2ख) के अधीन वह रीति, जिसमें वक्फ के ब्यौरे अपलोड किए जाने हैं ;

(घ) धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन अन्य विशिष्टियां ;

(ङ) वह रीति, जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड औकाफ रजिस्टर रखेगा ;

(च) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन औकाफ रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(छ) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लेखा विवरणों का प्ररूप और रीति तथा विशिष्टियां ;

(ज) धारा 47 की उपधारा (2क) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट को प्रकाशित करने की रीति ;

(झ) धारा 48 की उपधारा (2क) के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियों और आदेशों को प्रकाशित करने की रीति ;

(ञ) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"।

47. मूल अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (2) में,— धारा 109 का संशोधन ।

(क) खंड (iक) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (iv) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (viक) और खंड (viख) में, "धारा 31" शब्द और अंकों, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "धारा 29" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (xviii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xviiiक) धारा 69 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन आक्षेप आमंत्रित करने के लिए नोटिस देने की रीति ;"।

48. मूल अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा । धारा 110 का संशोधन ।

वहन-पत्र अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 18)

[24 जुलाई, 2025]

वहन-पत्र में नामित प्रेषिती और वहन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठांकिती को, जिसे वहन-पत्र में उल्लिखित माल की संपत्ति, किसी प्रेषण या पृष्ठांकन पर या उसके कारण संक्रांत होगी, वाद के अधिकारों और सभी दायित्वों के अंतरण के लिए तथा उसके संबद्ध या उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

व्यापारियों की रुढ़ि द्वारा, ऐसे माल का वहन-पत्र, जो पृष्ठांकन द्वारा अन्तरणीय है, माल में संपत्ति उसके द्वारा पृष्ठांकिती को संक्रांत हो सकेगी, किन्तु ऐसा होने पर भी वहन-पत्र में अन्तर्विष्ट संविदा के संबंध में सभी अधिकार माल भेजने वाले मूल व्यक्ति या स्वामी के पास बने रहते हैं,

और यह समीचीन है कि ऐसे अधिकार संपत्ति के साथ संक्रांत होने चाहिए ;

और प्राय: ऐसा होता है कि वह माल, जिसके संबंध में वहन-पत्र हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, जलयान पर नहीं चढ़ाया जाता है ;

और यह उचित है कि मूल्य के लिए सद्भावपूर्वक धारक के पास ऐसे वहन-पत्रों पर, मास्टर या उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाना चाहिए कि माल पूर्वोक्त रूप से चढ़ाया नहीं गया है ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वहन-पत्र अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

वहन-पत्रों के अधीन अधिकारों का प्रेषिती या पृष्ठांकिती में निहित होना ।

2. किसी वहन-पत्र में नामित माल के प्रत्येक प्रेषिती और वहन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठांकिती को, जिसे उसमें उल्लिखित माल की संपत्ति ऐसे प्रेषण या पृष्ठांकन के होने पर या उसके कारण संक्रांत होगी, उसे वाद के सभी अधिकार अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे तथा वह ऐसे माल के संबंध में उन्हीं दायित्वों के अधीन होगा मानो उस वहन-पत्र में अन्तर्विष्ट संविदा ऐसे प्रेषिती या पृष्ठांकिती के साथ की गई हो ।

अभिवहन में रोकने के या भाड़े के लिए दावों के अधिकार का प्रभावित न होना ।

3. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात से—

(क) अभिवहन में रोकने के किसी अधिकार पर; या

(ख) माल भेजने वाले मूल व्यक्ति या स्वामी के विरुद्ध भाड़े का दावा करने के किसी अधिकार पर ; या

(ग) ऐसे प्रेषिती या पृष्ठांकिती होने के कारण या उसके परिणामस्वरूप, प्रेषिती या पृष्ठांकिती का, या ऐसे प्रेषण या पृष्ठांकन के कारण या उसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा माल की प्राप्ति के संबंध में किसी दायित्व पर,

प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या प्रभावित नहीं करेगी ।

प्रेषिती आदि के पास वहन-पत्र का मास्टर आदि के विरुद्ध वहन का निश्चायक साक्ष्य होना ।

4. (1) मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रेषिती या पृष्ठांकिती के पास प्रत्येक वहन-पत्र, जो किसी जलयान पर माल की लदाई का घोतक है, मास्टर या उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे वहन का इस बात के होते हुए भी निश्चायक साक्ष्य होगा, कि ऐसा माल या उसके किसी भाग का इस प्रकार वहन न किया गया हो :

परन्तु मास्टर या ऐसे हस्ताक्षर करने वाला कोई अन्य व्यक्ति ऐसे दुर्व्यपदेशन से यह दर्शित करके स्वयं को दोषमुक्त कर सकेगा कि यह उसकी ओर से किसी व्यतिक्रम के बिना और पूर्णत: माल भेजने वाले या धारक या किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके अधीन धारक दावा करता है, के कपट के कारण हुआ है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां वहन-पत्र के धारक को ऐसा वहन-पत्र प्राप्त करते समय वास्तव में यह सूचना थी कि माल जलयान पर नहीं लादा गया था ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

5. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

6. (1) भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856 का लोप किया जाता है । 1856 का 9

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, यह निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई या की जाने के लिए

तात्पर्यित कोई कार्रवाई या होने दी गई कार्रवाई ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या

(ग) जारी किए गए किसी नियम, अधिसूचना, आदेश, सूचना या निदेश या उसके अधीन प्रदान की गई छूट का प्रवर्तन, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है और तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि उसे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन निरसित या अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ; या

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई शास्ति ; या

(ङ) पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार को और ऐसी कार्यवाही या उपचार को संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी मानो अधिनियम को निरसित न किया गया हो ;

(च) किसी अन्य विधान, नियम, आदेश या किसी अन्य विधिक प्रपत्र के अधीन निरसित अधिनियम के प्रति किए गए निर्देश को और कोई ऐसा निर्देश, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम या उसके तत्स्थानी उपबंधों के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड
1897 का 10 अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध, निरसन के प्रभाव के संबंध में लागू होंगे ।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 29)

[21 अगस्त, 2025]

आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 में संशोधन

1961 का 43

धारा 10 का संशोधन।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसे इसके पश्चात् इस अध्याय में आय-कर अधिनियम कहा गया है), धारा 10 में, 1, अप्रैल, 2025 से—

(क) खंड (12क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित हुए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

"(12कक) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से किसी निर्धारिती, जो एकीकृत पेंशन स्कीम का अंशदाता है, को उनकी अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 (त्र) के अधीन सेवानिवृत्ति [जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है] के समय किया गया कोई ऐसा संदाय जैसा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी की गई 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर में यथापरिभाषित व्यष्टिक समग्र निधि के साठ प्रतिशत की सीमा तक से अधिक नहीं होगा ।

(12कख) एकीकृत पेंशन स्कीम के अंशदाता के रूप में किसी निर्धारिती द्वारा वित्तीय सेवा विभाग की तारीख 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर के पैरा 2 के खंड (vi) के अनुसार एकमुश्त रकम के रूप में प्राप्त कोई राशि ;" ;

(ख) खंड (23 चङ) के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) (i) सऊदी अरब साम्राज्य सरकार की लोक विनिधान निधि; और

(ii) सऊदी अरब साम्राज्य सरकार की लोक विनिधान निधि की पूर्णतः स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी, जो—

(क) सऊदी अरब साम्राज्य के निवासी हैं; और

(ख) उक्त सरकार के स्वामित्व वाली निधि में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिधान कर रहे है।"।

धारा 16 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 16 के खंड (iक) के परंतुक में, "खंड (ii)" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के पश्चात् "या खंड (iii)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित हुए समझे जाएंगे ।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी—

(क) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और अंतःस्थापित हुई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) जहां एकीकृत पेंशन स्कीम के अंशदाता के रूप में उपधारा (1) या उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट निर्धारिती के खाते में कोई जमा रकम, जिसके संबंध में उन उपधाराओं या उपधारा (2) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, उस पर प्रोद्भूत राशि सहित, यदि कोई हो, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा किसी पूर्व वर्ष में उसकी अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56(त्र) के अधीन सेवानिवृत्ति [जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन शास्ति नहीं माना जाता है] के कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त की जाती है, जैसा लागू किया जाए वहां संपूर्ण राशि, यथास्थिति निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की, उस पूर्व वर्ष की आय मानी जाएगी, जिसमें ऐसी

राशि प्राप्त हुई है, और तद्नुसार उस पर उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में कर प्रभार्य होगा :"।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और अंतःस्थापित हुई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) उपधारा (3क) के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसी राशि उसकी सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या यथा लागू [केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन मौलिक नियम 56(त्र) के अधीन सेवानिवृत्ति (जिसे शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है] के कारण व्यष्टिक समग्र निधि से पूल समग्र निधि में अंतरित कर दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में कोई राशि प्राप्त नहीं की गई है ।";

(ग) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और प्रतिस्थापित समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पूल समग्र निधि" और "व्यष्टिक समग्र निधि" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर, तारीख 24 जनवरी, 2025 में है।

(ii) "वेतन" के अंतर्गत महंगाई भत्ता आता है, यदि नियोजन के निबंधन इस प्रकार उपबंध करते हैं, किन्तु अन्य सभी भत्तों और परिलब्धियों का अपर्जन करता है।'।

अध्याय 3

वित्त अधिनियम 2025 का संशोधन

2025 का 7 **5.** वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 49 मे खंड(ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 सितम्बर, 2024 से अंतःस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात्: — धारा 49 का संशोधन ।

'(खक) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) (क) इस अधिनियम (इस अध्याय से भिन्न) के उपबंधों के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना का, यदि कोई हो, ब्लॉक अवधि में आने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित, यथास्थिति धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने की तारीख पर लंबित, या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा पर उपशमन हो जाएगा और तलाशी आरंभ करने या अध्यपेक्षा की तारीख पर उपशमन हुआ माना जाएगा।

(ख) इस अधिनियम (इस अध्याय से भिन्न) के किन्हीं उपबधों के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कोई कार्यवाही, ब्लॉक अवधि (उस निर्धारण वर्ष से भिन्न जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है) में आने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष से संबंधित है, जिसके लिए धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा करने की

तारीख से आरंभ होने वाली और धारा 158 खग की उपधारा(1) के खंड (ग) के अधीन आदेश देने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान नोटिस जारी किया गया है का उपशमन हो जाएगा और ऐसे नोटिस के जारी होने की तारीख को उपशमन हुआ माना जाएगा।'।

———————

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 31)

[21 अगस्त, 2025]

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,— 2017 का 33

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक संस्थान, अनुसूची के स्तंभ (5) में यथा उल्लिखित उसी नाम का एक निगमित निकाय होगा ।";

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख से ही, इस अधिनियम के सभी उपबंध भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को लागू होंगे ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) इस अधिनियम के अधीन भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी के प्रथम बोर्ड का गठन हो जाने तक, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन, ऐसे बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले सभी कृत्य, भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाएंगी या निर्वहन किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त निदेश दे ।"।

अनुसूची का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम सं0 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"22.	असम	.....	गुवाहाटी	भारतीय प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी ।"।

ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 32)

[22 अगस्त, 2025]

ई-खेल, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल सेक्टर की अभिवृद्धि और विनियमन करने; इस सेक्टर के समन्वित नीति समर्थन, सामरिक विकास और विनियामक निरीक्षण के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करने ; किसी कंप्यूटर संसाधन, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन धन खेल के प्रस्ताव, प्रचालन, सरलीकरण, विज्ञापन, संवर्धन और भागीदारी को प्रतिषिद्ध करने, विशिष्टतया जहां ऐसे क्रियाकलाप राज्य की सीमाओं के पार या विदेशी अधिकारिता से प्रचालित होते हैं ; ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और निजता संबंधी समाघातों से व्यष्टियों, विशेष रूप से युवाओं और आबादी के कमजोर वर्गों की रक्षा करने; डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायी उपयोग को सुनिश्चित करने; लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोक स्वास्थ्य की संरक्षा करने; वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने ; लोकहित में राष्ट्र-स्तरीय समान विधिक ढांचा स्थापित करने; और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

ऑनलाइन खेल सेक्टर, डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अत्यंत गतिशील और तीव्रतम अभिवृद्धि वाले खंडों में से त्वरित गति से विकसित हुआ है, जो नवाचार,

संज्ञानात्मक विकास, नियोजन सृजन, प्रौद्योगिकीय उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है;

और भारत के पास प्रौद्योगिकीय क्षमताओं वाले युवा वृत्तिकों का एक वृहत् और बढ़ता हुआ समूह तथा तेजी से विस्तारित होता हुआ घरेलू बाजार है, जो मिलकर देश को वैश्विक ऑनलाइन खेल मूल्य श्रृंखला में नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाते हैं;

और ऑनलाइन खेल पारिस्थितिकी तंत्र में ई-खेल, नैमितिक और सामाजिक खेल, शैक्षणिक खेल और ऑनलाइन धन खेल सहित विविध खंड सम्मिलित हैं, और वर्तमान में सामरिक समन्वय, क्षमता निर्माण, सामान्य अवसंरचना, अनुसंधान और उत्तरदायी नवाचार के लिए आवश्यक समर्पित संस्थागत और विधिक ढांचे की अनुपस्थिति में प्रचालित हैं;

और संगत और सामर्थ्यकारी विधिक ढांचे के अभाव ने सेक्टरों के संरचित विकास और उत्तरदायी खेल प्रथाओं के संवर्धन को प्रतिबाधित किया है, जिसके लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप और समर्थन तंत्र की अपेक्षा है;

और ऑनलाइन धन खेल का समानांतर प्रसार, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से सुगम्य है और उपयोक्ता जमा के विरुद्ध धनीय प्रत्यागम का प्रस्ताव, विशिष्टतया युवा व्यष्टियों और आर्थिक रूप से अहित समूहों के गंभीर सामाजिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और लोक स्वास्थ्य अपहानि का कारण बना है;

और ऐसे खेल अक्सर छलपूर्ण परिकल्पना विशिष्टताओं, व्यसनकारी एल्गोरिदम, बॉट्स और अप्रकटित अभिकर्ताओं का उपयोग करते हैं, जो बाध्यकारी व्यवहार को बढ़ावा देने के दौरान जिससे वित्तीय बर्बादी होती है, निष्पक्षता, पारदर्शिता और उपयोक्ता संरक्षण को दुर्बल करते हैं;

और ऑनलाइन खेल प्रणाली का प्रस्ताव करने वाले मंचों का अक्सर व्यापक विज्ञापन अभियानों के माध्यम से आक्रामक रूप से विपणन किया जाता है, जिसमें ख्यातिप्राप्त व्यक्ति और प्रभावकारी व्यक्ति का समर्थन सम्मिलित हैं, जिससे विशेषकर युवाओं और कमजोर समूहों के बीच उनकी पहुंच और प्रभाव परिवर्धित हो जाता है;

और ऑनलाइन धन खेल सेवाओं का अपरीक्षित विस्तार वित्तीय कपट, धन शोधन, कर अपवंचन और कुछ मामलों में, आतंकवाद के वित्तपोषण सहित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों से संसक्त किया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था और राज्य की अखंडता को संकट उत्पन्न होता है;

और ऑनलाइन धन खेल के व्यष्टियों, कुटुंबों, समाज और राष्ट्र पर हानिकारक और नकारात्मक प्रभाव को तथा तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिसके अन्तर्गत ऑनलाइन धन खेल के लिए प्रयुक्त इलैक्ट्रानिक माध्यम की प्रकृति, उपयोजित एल्गोरिदम और इसमें सम्मिलित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी हैं;

और ऐसी अनेक सेवाएं, घरेलू विधियों को दरकिनार करते हुए, राज्य-स्तरीय विनियमों को दुर्बल करते हुए, अपतटीय अधिकारिताओं में प्रचालित होती हैं, और अतिरिक्त राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता और अंतर्राज्यीय विसंगतियों के निबंधनों में महत्वपूर्ण प्रवर्तन चुनौतियां पेश करती हैं;

और संघ सरकार के लिए लोकहित में यह समीचीन है कि ऑनलाइन खेल सेक्टर पर विधायी सक्षमता अपने हाथ में ले, जिससे लोक स्वास्थ्य, उपभोक्ता सुरक्षा, लोक नैतिकता और वित्तीय संप्रभुता से जुड़े जोखिमों का समाधान करते हुए एक सुरक्षित, संरचित और नवाचार-अनुकूल डिजिटल वातावरण का सृजन सुनिश्चित किया जा सके;

और ऑनलाइन खेल के विभिन्न रूपों को स्पष्ट रूप से चित्रित और वर्गीकृत करना और उद्योग के प्रत्येक उप सेक्टरों को समुचित रूप से शासित करने के लिए एक अनुकूल विधिक ढांचे का उपबंध करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा और यह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर प्रस्तावित या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर से प्रचालित ऑनलाइन धन खेल सेवा पर भी लागू होता है ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

2019 का 35

(क) "विज्ञापन" का वही अर्थ होगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उसका है;

(ख) "प्राधिकरण" से धारा 8 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "ई-खेल" से ऐसा ऑनलाइन खेल अभिप्रेत है—

(i) जो बहु-खेल आयोजनों के भाग के रूप में खेला जाता है;

(ii) जिसमें व्यष्टियों या टीमों के बीच पूर्व परिभाषित नियमों द्वारा शासित बहु-खिलाड़ी रूप विधानों में संचालित, संगठित प्रतिस्पर्धी आयोजन अन्तर्वलित हैं;

2025 का 25

(iii) जो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अधीन सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त और धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्राधिकरण या अभिकरण है;

(iv) जिसमें परिणाम केवल शारीरिक निपुणता, मानसिक चपलता, सामरिक सोच या खिलाड़ियों के रूप में उपयोक्ताओं के अन्य समान कौशल जैसे कारकों द्वारा अवधारित होते हैं;

(v) जिसमें केवल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने या प्रशासनिक लागतों को समाविष्ट करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण या सहभागिता फीस का संदाय सम्मिलित हो सकेगा और खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार धनराशि भी सम्मिलित हो सकेगी; और

(vi) जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा बाजी, द्यूत या अन्य कोई दांव लगाना अन्तर्वलित नहीं होगा, चाहे वह व्यक्ति सहभागी हो या न हो, जिसके अंतर्गत ऐसी बाजी, द्यूत या किसी अन्य दांव से कोई जीत भी शामिल है;

(घ) "इंटरनेट" से कंप्यूटर सुविधाओं और विद्युत चुम्बकीय पारेषण माध्यम, तथा संबंधित उपस्कर और सॉफ्टवेयर का संयोजन अभिप्रेत है, जिसमें कंप्यूटर

नेटवर्कों का अन्तःसंबंधी विश्वव्यापी नेटवर्क सम्मिलित है जो ऐसे पारेषण को नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकॉल के आधार पर सूचना पारेषित करता है;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(च) "ऑनलाइन खेल" से कोई ऐसा खेल अभिप्रेत है, जो किसी इलैक्ट्रॉनिक या डिजीटल डिवाइस पर खेला जाता है और जिसका प्रबंध और प्रचालन, इंटरनेट या इलैक्ट्रानिक संचार को सुगम बनाने वाली किसी अन्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है ;

(छ) "ऑनलाइन धनीय खेल" से किसी उपयोक्ता द्वारा किसी फीस का संदाय करके, धन जमा करके, या अन्य दांव लगाकर, जीत की आशा से खेला जाने वाला कोई ऑनलाइन खेल अभिप्रेत है, चाहे वह खेल कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो, जिसमें धन या अन्य दांव के बदले में मौद्रिक और अन्य संवृद्धि सम्मिलित होती है ; किंतु इसमें कोई ई-खेल सम्मिलित नहीं होगा ;

(ज) "ऑनलाइन धनीय खेल सेवा" से ऑनलाइन धनीय खेल में प्रवेश करने या खेलने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) "ऑनलाइन सामाजिक खेल" से ऐसा ऑनलाइन खेल अभिप्रेत है,—

(i) जिसमें धन का दांव लगाना या अन्य दांव लगाना, या धन या अन्य दांव के बदले में मौद्रिक अभिलाभ के रूप में जीतने की आशा से सहभागिता अंतर्वलित नहीं होती है ;

(ii) जो अभिदाय फीस या एक-बार प्रवेश फीस के संदाय के माध्यम से प्रवेश अनुज्ञात कर सकेगा, परन्तु कि ऐसा संदाय दांव या बाजी की प्रकृति का न हो;

(iii) जो केवल मनोरंजन, आमोद-प्रमोद या कौशल-विकास के प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित किया गया है ; और

(iv) जो कोई ऑनलाइन धनीय खेल या ई-खेल नहीं है ;

(ञ) "अन्य दांव" से धन में परिवर्तनीय या समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसमें उधार, सिक्के, टोकन या चीजें या कोई अन्य समान वस्तु भी सम्मिलित हैं, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो और चाहे वह वास्तविक हो या आभासी, जिसका प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः साधनों से धन का संदाय करके या भाग के रूप में, या उसके संबंध में किसी ऑनलाइन खेल का क्रय किया जाता है ;

(ट) "व्यक्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं,—

(i) कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ;

(iii) कोई कम्पनी ;

(iv) कोई फर्म ;

(v) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(vi) कोई राज्य ; और

(vii) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखण्डों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आता है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "उपयोक्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऑनलाइन खेल में प्रवेश करता है या उसे खेलता है ।

(2) शब्द और पद, जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किंतु इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, के वहीं अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए उक्त नियमों में हैं । 2000 का 21

अध्याय 2

विकास और मान्यता

ई-खेल की मान्यता और संवर्धन ।

3. (1) केंद्रीय सरकार, ऐसे उपाय करेगी, जो वह ई-खेल को भारत में प्रतिस्पर्धी खेल के न्यायसंगत रूप में यथास्थिति, प्राधिकरण या अभिकरण के साथ मान्यता देने और रजिस्टर करने तथा ई-खेल का संवर्धन और विकास करने के लिए, आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे,—

(क) ई-खेल आयोजनों के आयोजन और संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और मानक तैयार करना ;

(ख) ई-खेल के अभिवर्धन के लिए समर्पित प्रशिक्षण अकादमियों, अनुसंधान केंद्रों और अन्य संस्थाओं की स्थापना ;

(ग) नवाचार को प्रोत्साहित करने और ई-खेल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म सृजित करने हेतु नए उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजनाओं, जागरूकता अभियानों और लोक संपर्क कार्यक्रमों की पुरःस्थापना ;

(घ) व्यापक खेल नीति पहलों के अंतर्गत ई-खेलों के एकीकरण के लिए राज्य सरकारों और मान्यता प्राप्त खेल संघों के साथ समन्वय ; और

(ङ) ऐसे अन्य उपाय, जो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हों, जो विहित किए जाएं ।

ऑनलाइन सामाजिक खेलों की मान्यता और विकास ।

4. (1) केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, प्राधिकरण या अभिकरण के साथ ऑनलाइन सामाजिक खेलों को मान्यता देने, वर्गीकृत करने और रजिस्टर करने के लिए उपाय करेगी जो आवश्यक समझे जाएं और मनोरंजन तथा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए ऑनलाइन सामाजिक खेल के विकास और उपलब्धता को सुकर बनाएगी ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे,—

(क) ऑनलाइन सामाजिक खेल के रजिस्ट्रीकरण हेतु तंत्र का सृजन ;

(ख) ऑनलाइन सामाजिक खेल के विकास और वितरण में सहायता के लिए प्लेटफॉर्म या कार्यक्रमों का सृजन ;

(ग) सुरक्षित और आयु-समुचित सामाजिक खेल अन्तर्वस्तु तक जनता की

पहुंच बढ़ाने के उद्देश्यों से पहलों का समर्थन ;

(घ) मनोरंजन, कौशल-विकास और डिजिटल साक्षरता के लिए सामाजिक खेलों के सकारात्मक उपयोग को उजागर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना ;

(ङ) व्यापक डिजिटल जुड़ाव रणनीतियों के भाग के रूप में सामाजिक खेल के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों और शैक्षणिक या मनोरंजक संस्थाओं के साथ समन्वय करना ; और

(च) ऐसे अन्य उपाय, जो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हों, जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 3

प्रतिषेध

ऑनलाइन धनीय खेल और ऑनलाइन धनीय खेल सेवा का प्रतिषेध ।

5. कोई व्यक्ति, ऑनलाइन धनीय खेल और ऑनलाइन धनीय खेल सेवा का प्रस्ताव नहीं करेगा, उसमें सहायता नहीं देगा, दुष्प्रेरण नहीं करेगा, उसे उत्प्रेरित नहीं करेगा या अन्यथा इसमें संलिप्त नहीं होगा या उन्हें प्रस्तावित करने में उसका नहीं लगेगा ।

ऑनलाइन धनीय खेल से संबंधित विज्ञापन का प्रतिषेध ।

6. कोई व्यक्ति, किसी मीडिया में, जिसमें संचार के इलैक्ट्रानिक साधन सम्मिलित हैं, ऐसा कोई विज्ञापन नहीं बनाएगा, नहीं बनवाएगा, बनवाने में सहायता नहीं करेगा, दुष्प्रेरण नहीं करेगा, उत्प्रेरित नहीं करेगा या अन्यथा बनाने में या बनवाने में शामिल नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति को, कोई ऑनलाइन धनीय खेल खेलने या ऑनलाइन धनीय खेल को संवर्धित करने वाले किसी क्रियाकलाप में आसक्त होने के लिए, बढ़ावा देता हो या उत्प्रेरित करता हो ।

निधि के अन्तरण का प्रतिषेध ।

7. कोई भी बैंक, वित्तीय संस्था, या निधियों के प्राधिकार या वित्तीय संव्यवहारों को सुकर बनाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऑनलाइन धनीय खेल सेवा के लिए संदाय करने हेतु निधियों के प्राधिकार या किसी संव्यवहार के काम में नहीं लगेगा, अनुमति नहीं देगा, सहायता नहीं करेगा, दुष्प्रेरण नहीं करेगा, उत्प्रेरित नहीं करेगा या अन्यथा सुकर नहीं बनाएगा ।

अध्याय 4

ऑनलाइन खेल प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना ।

8. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक अध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, या इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए किसी विद्यमान प्राधिकरण या प्राधिकरणों या किसी अभिकरण को पदाभिहित कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, प्राधिकरण या अभिकरण में निम्नलिखित सभी या कोई शक्तियां निहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऑनलाइन खेल का प्रस्ताव करने वाले किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा के आधार पर, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह उचित समझे, यह अवधारित करना कि क्या कोई विशिष्ट ऑनलाइन खेल, ऑनलाइन धनीय खेल या अन्यथा है ;

(ख) ऑनलाइन खेलों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मान्यता देना, वर्गीकृत करना और रजिस्टर करना ; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) किसी ऑनलाइन खेल का प्रस्ताव, आयोजन या उसे सुकर बनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा, इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में जारी किए गए निदेशों, आदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या व्यवहार संहिता का अनुपालन करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) संरचना, तथा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ;

(ख) उन्हें संदेय वेतन, भत्ते और उनकी पदावधि;

(ग) नियुक्ति के लिए और अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में बने रहने के लिए निर्हरता;

(घ) सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और रिक्ति का भरा जाना;

(ङ) प्राधिकरण की कार्यवाहियां;

(च) प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी;

(छ) अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां;

(ज) ऑनलाइन खेलों से संबंधित परिवादों और शिकायतों का निपटान जिसके अंतर्गत जांच की रीति भी आती है; और

(झ) इस अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई अन्य विषय ।

(5) यथास्थिति, प्राधिकरण या अभिकरण ऑनलाइन खेलों से संबंधित या तो लिखित में या इलैक्ट्रानिक ढंग से अग्रेषित ऐसे परिवादों पर प्रतिक्रिया दे सकेगा, जो उपयोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

उल्लंघन के लिए शास्ति।

9. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 5 के उल्लंघन में ऑनलाइन धनीय खेल सेवा का प्रस्ताव करता है, तो वह ऐसे कारवास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 6 के उल्लंघन में किसी मीडिया में विज्ञापन करता है या विज्ञापन किया जाना कारित करता है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 7 के उल्लंघन में निधियों के किसी संव्यवहार या प्राधिकरण में संलिप्त रहता है, तो वह ऐसे कारवास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) यदि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध कोई व्यक्ति, उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारवास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो करोड़ रुपए तक

हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(5) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध कोई व्यक्ति, उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारवास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो पचास लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अपराधों का संज्ञान।

10. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 5 और धारा 7 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे । 2023 का 46

कंपनियों द्वारा अपराध।

11. (1) जहां कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के उस भाग के संचालन के लिए, कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थीं ।

(3) उपधारा 1 में अन्तर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात, किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक या किसी गैर-कार्यकारी निदेशक को, जो वास्तविक विनिश्चय करने में शामिल नहीं है, ऐसे अपराध के लिए दायी नहीं ठहराएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) कोई फर्म; और

(ii) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय चाहे निगमित हो या नहीं; और

(ख) "निदेशक" से—

(i) किसी फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

(ii) व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के किसी निकाय के संबंध में इसके कार्यों को नियंत्रण करने वाला उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है।

12. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा जारी किए गए किसी निदेश या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी या जिसमें रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण और ऐसे खेलों को, ऐसी अवधि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, प्रस्ताव करने से, सुकर बनाने से और संवर्धन करने से प्रतिषेध भी सम्मिलित हो सकेगा । किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अननुपालन।

(2) सुनवाई का अवसर दिए बिना उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

13. प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन धनीय खेल सेवाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करेगा। केन्द्रीय सरकार के निदेश का अनुपालन।

14. धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता की दशा में, इस अधिनियम में या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऑनलाइन धनीय खेल सेवा के संबंध में किसी कंप्यूटर संसाधन में सृजित, प्रेषित, प्राप्त या होस्ट की गई कोई जानकारी ऐसी रीति में, जो उस अधिनियम में उपबंधित की जाए, जनता द्वारा पहुंच के लिए अवरुद्ध किए जाने के लिए दायी होगी । ऑनलाइन धनीय खेल सेवा का अवरुद्ध किया जाना। 2000 का 21

15. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में अन्वेषण करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति।

2023 का 46 **16.** (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी चाहे तो भौतिक रूप से या डिजिटल रूप से, किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसमें मिले किसी व्यक्ति की, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किए गए या किए जा रहे या किए जाने वाले किसी अपराध का युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, बिना वारंट के तलाशी ले सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा। सम्पत्ति की तलाशी और अभिग्रहण।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया गया है, वहां ऐसा अधिकारी बिना अनावश्यक विलंब के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

2023 का 46 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन किए गए किसी भी प्रवेश, तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किसी स्थान" के अंतर्गत कोई परिसर, भवन, यान, कंप्यूटर संसाधन, आभासी डिजिटल स्थान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक भंडारण युक्ति भी आती है और अधिकारी, यदि आवश्यक हो, किसी भी

पहुंच नियंत्रण या सुरक्षा संकेत शब्द को अध्यारोही करके, जहां उसका ऐसा सुरक्षा संकेत शब्द उपलब्ध नहीं है, ऐसे कंप्यूटर संसाधन, आभासी डिजिटल स्थान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक भंडारण युक्ति तक पहुंच प्राप्त कर सकता है ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

17. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

किसी अन्य विधि का अल्पीकरण न करने वाले कृत्य।

18. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में तथा इस अधिनियम की किसी अन्य अधिनियम से असंगतता की दशा में, इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी असंगतता के विस्तार तक, ऐसे किसी अधिनियम पर अध्यारोही प्रभाव रखेंगे ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

19. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे अन्य उपाय, जो धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन ई-खेलों से संबंधित सेक्टर का संवर्धन करने के लिए आवश्यक हों;

(ख) ऐसे अन्य उपाय, जो धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन ऑनलाइन सामाजिक खेलों से संबंधित सेक्टर का संवर्धन करने के लिए आवश्यक हों;

(ग) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन ऑनलाइन खेलों को मान्यता देने, प्रवर्गीकरण करने और रजिस्टर करने की रीति;

(घ) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकरण या अभिकरण की शक्तियों से संबंधित ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ङ) कोई अन्य मामला, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जा सकेगा या जिसके संबंध में उपबंध बनाए जाने है या बनाए जा सकेंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेंगी, और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

20. (1) यदि, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार कठिनाईयों को दूर करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो आवश्यक या समीचीन हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, नहीं किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

डॉ. राजीव मणि,
सचिव, भारत सरकार ।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—294 GI(S4)—17.06.2026.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.08.19 21:19:19 +05'30'